

एसआईए रिपोर्ट



कांगडा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि
अधिग्रहण, हिमाचल प्रदेश

SIAU-HIPA, Govt of Himachal Pradesh



प्राक्कथन

यह सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रतिवेदन, एसआर एशिया द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन (एचपीएसआईए) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार तैयार किया गया है। प्रभावित क्षेत्र से महत्वपूर्ण निविष्टियां, सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकड़ा, विस्थापन की उत्पन्न स्थिति, स्थानीय पारिस्थितिकी, संस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा एवं अन्य सुझावो पर्याप्त करने के लिए एसआईए टीम ने जिला उप आयुक्त कांगड़ा, एडीएम कांगड़ा, एसडीएम शाहपुर एवं एसडीएम कांगड़ा, परियोजना प्रभावित परिवारों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श किया।

हम इस प्रतिवेदन को तैयार करने में शासकीये अधिकारियों, परियोजना प्रभावित परिवार, स्थानीय प्रतिनिधियों, डा. अंबरीन जमाली (सहायक प्रोफेसर) एवं टीम संकाय-सामाजिक कार्य विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश तथा सभी हितधारकों द्वारा उनके साझा समय एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम विशेष रूप से प्रमुख सचिव (पर्यटन-हि.प्र.), निदेशक- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उपायुक्त कांगड़ा, जिला एवं तहसील प्रशासन तथा को एसआईए कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इस चुनौती पूर्ण अध्ययन को पूर्ण करने के लिए मैं संस्था में कार्यरत श्री अजय कुमार सिंह (परियोजना प्रबंधक) तथा एसआईए टीम के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

मार्च, 2023

बीरेंद्र रतूड़ी
(अंतर्राष्ट्रीय निदेशक)

विषय सूची

	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी संक्षेप	i-xxviii
अध्याय—एक	भूमिका	1-10
	1.1 पृष्ठीमि	1
	1.2 दिल्ली-धर्मशाला के बीच होती हैं शिर्फ तीन उड़ानें	7
	1.3 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता	7
	1.4 परियोजना स्थल	8
	1.5 परियोजना के लिए वैकल्पित स्थान	8
अध्याय—दो	सामाजिक समाघात आंकलन की अध्ययन पद्धति	11-21
	2.1 परिचय	11
	2.2 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता	12
	2.3 अध्ययन के उद्देश्य	12
	2.4 अध्ययन पद्धति	13
	2.5 अध्ययन के उपकरण	16
	2.6 टीम संयोजन	19
	2.7 समय विवरण	20
	2.8 जन सुनवाई	21
अध्याय—तीन	भूमि आंकलन	22-27
	3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण	22
	3.2 तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण	23
	3.3 ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण	24
	3.4 भूमि का प्रकार	27
	3.5 भूमि का उपयोग	27
	प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा	28-45

अध्याय—चार	4.1 ग्रामों की अवस्थिति	28
	4.2 जनांकिकी स्थिति एवं श्रेणी	29
	4.3 आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता	30
	4.4 सामाजिक/धार्मिक स्थल	31
	4.5 राजनैतिक, प्रशासनिक संस्थाएँ	32
	4.6 शिक्षण संस्थाए	33
	4.7 स्वास्थ्य सेवाए	34
	4.8 पशु चिकित्सा सेवाए	35
	4.9 विद्युत कनेक्शन	36
	4.10 पेयजल स्रोत	36
	4.11 सिंचाई का साधन	37
	4.12 आर्थिक गतिविधियां	37
	4.13 कुटीर उद्योगों की स्थिति	38
	4.14 कुरीतियां	39
	4.15 पशुधन	39
	4.16 पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता	40
	4.17 मुख्य फसलें	40
	4.18 अधिग्रहीत सार्वजनिक परिसम्पत्तियां	41
	4.19 असहमति के कारण	43
	4.20 परियोजना के प्रभाव	43
अध्याय—पाँच	सामाजिक प्रभाव	46—83
	5.1 प्रभावित परिवारों की सामान्य विशेषताए	46
	5.1.1 लिंग	47
	5.1.2 शैक्षिक योग्यता	48
	5.1.3 धर्म	50
	5.1.4 जाति	50
	5.2 व्यवसाय	52
	5.3 आय	54
	5.4 परिवार के प्रकार	56

	5.5 पशुधन	57
	5.6 सामाजिक स्थिति	58
	5.6.1 मकान का प्रकार	58
	5.6.2 विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता	59
	5.6.3 पेयजल स्रोत	60
	5.6.4 शौचालय की उपलब्धता	62
	5.6.5 रसोई की उपलब्धता	63
	5.7 आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता	64
	5.8 चिकित्सकीय सुविधा	65
	5.9 विभिन्न उत्सवों में भागीदारी	66
	5.10 गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डा के विस्तार के संबंध में जानकारी	67
	5.11 अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल	68
	5.12 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें	69
	5.13 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी	70
	5.14 अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय	72
	5.15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के बार में राय	73
	5.16 भूमि अधिग्रहित करने की सहमति	74
	5.17 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सम्पति	76
	5.18 असहमति के कारण	77
	5.19 भूस्वामियों द्वारा बतायी गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत हैं	79
	5.20 परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव	81
	5.21 हवाई अड्डा से लाभ / सकारात्मक प्रभाव	82
अध्याय—छ :	सामूहिक विचार विमर्श	84—97
	6.1 सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता	84
	6.2 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आकड़ा संग्रह की प्रक्रिया	85
	6.3 परियोजना प्रभावित क्षेत्र के पांच अबाद गांवों का सामूहिक विचार विमर्श	86

6.4 विशेष रूप से आय के स्रोत के बारे में उठाए गए मुद्दे, चाहे वह कृषि हो या गैर-कृषि, परिवार में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा :	88
6.5 भूमि अधिग्रहण से पीएपी में रोजगार क्षमता, आय क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण और पारिस्थितिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा	90
6.6 प्रभावित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, व्यापार के अवसर, जमीन की कीमत, सार्वजनिक सुविधा, औपचारिक रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर में वृद्धि के संबंध में उनकी राय /धारणाओं पर चर्चा की गई	91
6.7 प्रभावित क्षेत्र में खाद्य (सब्जी) सुरक्षा में वृद्धि, महिला रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर के संबंध में उनकी राय/धारणाओं पर चर्चा की गई और राय मांगी गई	92
6.8 अधिग्रहण से क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक निर्भरता पर पड़नेवाले प्रभाव पर चर्चा	92
6.9 परियोजना क्षेत्र में जल स्रोत, जल संचय, भूमिगत जल स्तर और वन संरक्षित जैसे मुद्दों चर्चा	92
6.10 परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा	93
6.11 इस परियोजना का क्षेत्र में शैक्षिक सुविधा/स्कूलों/कॉलेजों और परिवहन और सड़क सुविधा में वृद्धि पर प्रभाव	93
6.12 क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार और निजी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा	93
6.13 सामान्य तौर पर, एफजीडी के दौरान परियोजना के बारे में कोई अन्य राय/टिप्पणी भी उठाई गई और चर्चा की गई	93
6.14 शमन उपाय	94
6.15 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली संभावित प्रभाव	95
6.16 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगे	95
6.17 परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान पर चर्चा	96
अध्याय—सात	98—106
लागत और लाभ विश्लेषण	
7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	98
7.2 संरचना और परिमाण या आकार पर प्रभाव	99
7.3 मुआवजे के निर्धारण	99
7.4 पात्रता अधात्री (मैट्रिक्स)	100

	7.5 परियोजना की लागत और लाभ	103
	7.5.1. लागत	104
	7.5.2. लाभ	104
	7.6.1 लागत –लाभ विश्लेषण लागू करने में समस्याएँ	106
अध्याय—आठ	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना	107–123
	8.1 प्रभाव से बचने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय	113
	8.2 प्रभाव और प्रबंधन योजना	114
	8.3.महिलाओं के लिए प्रबंधन योजना	115
	8.4 विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी	116
	8.5 निर्माण शिविरों में महिलाओं का प्रावधान	117
	8.6 प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन	118
	8.7 कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संचालन और आय सृजन की रणनीति	119
	8.8. हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार अपेक्षित निकाय द्वारा उपाय	120
	8.9 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था	121
	8.10 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)	122
अध्याय—नौ	संस्तुतिया	124–128
परिशिष्ट—एक	ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्याएँ/ नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव	129–168
परिशिष्ट—दो	साहित्यिक समीक्षा एवं तसवीर	169–188
परिशिष्ट—तीन	प्रभावित भूस्वामियों की सामान्य विशेषताएँ	189

कार्यकारी संक्षेप

1.1 पृष्ठीभूमि :

विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न काल खण्डों के तत्कालीन परिवेश के अनुरूप आविष्कार किये जाते रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आविष्कार किये जाते हैं। समय-समय पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे हैं। मनुष्य की प्रकृति रही है कि ज्यों-ज्यों आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है त्यों-त्यों जीवन स्तर में सुधार हेतु नई आवश्यकताएँ अनुभव की जाती रही हैं।

विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा युक्त साधनों में परिवहन एवं यातायात महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। परिवहन एवं यातायात के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे अधिक दबाव सड़क मार्ग पर यातायात में पड़ता है। विगत वर्षों में सड़क मार्ग से यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे सड़क मार्ग से यातायात में वाहनों की भीड़भाड़ से सड़को पर अत्यधिक जाम तो लगता ही है साथ ही वाहनों की धीमी गति के कारण गन्तव्य तक पहुँचने में अधिक समय एवं ईंधन व्यय होता है। इसके निराकरण हेतु लोग वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर जल्द पहुँच सके हैं। इसके लिए हवाई अड्डा का विस्तार एवं नविन हवाई अड्डा के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विगत कुछ वर्षों से पूर्व में निर्मित विद्यमान हवाई अड्डा को यथासम्भव विस्तार किया जाता रहा है। इस क्रम में कांगड़ा हवाई अड्डा का विस्तार कांगना जनपद के कांगड़ा एवं शाहपुर तहसील के 14 ग्राम के भूमि पर विस्तार का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

वर्ष 2019 में, टीम ने हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र का दौरा किया और रनवे को 1,370 से 1,920 मीटर (4,490 से 6,300 फीट) तक विस्तारित करने के लिए भूमि की पहचान की गई। हालांकि, इस प्रस्तावित विस्तार के लिए कुल 140 हेक्टेयर (350 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी और इसका मतलब लगभग सभी गगल टाउनशिप का विस्थापन होगा जो

हवाई अड्डे से लगभग 2 किमी (1.2 मील) की दूरी पर स्थित है और हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्तावित मार्ग में सीधे स्थित है। नतीजतन, जनवरी और फरवरी 2020 में स्थानीय लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

मार्च 2021 में, एएआई द्वारा प्रस्तावित विस्तार के लिए बाधा/व्यवधान स्तर सर्वेक्षण (ओएलएस) किया गया था। एएआई के संशोधित सर्वेक्षण में, पहले मांझी नदी पर एक पुल का निर्माण करके रनवे की लंबाई को 1,900 मीटर (6,200 फीट) तक बढ़ाया जाना था, जो गगल टाउनशिप और हवाई अड्डे के बीच बहती है। इसके बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 154 को काटकर गगल टाउनशिप से भूमि का अधिग्रहण करके रनवे को 3,010 मीटर (9,880 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए राजमार्ग के पुनर्गठन की भी आवश्यकता होगी।

मार्च 2022 में, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए दो चरणों में विस्तार की योजना बनाई।

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय राज्य है और परिवहन के अन्य साधनों की अनुपलब्धता सड़कों को अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन का एकमात्र साधन बनाती है। इसके अलावा, लंबी यात्रा का समय और सुरक्षा पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति के दौरान बड़े मुद्दे हैं इसलिए हवाई संपर्क समय की बचत और सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए विश्वसनीय और निर्बाध हवाई संपर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो हिमाचल प्रदेश को विमानन और संबद्ध व्यवसायों में निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना देगा। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हवाई अड्डों का निर्माण/विस्तार कराया जायेगा।

इसलिए, राज्य के समग्र विकास और कांगड़ा जिले के विकास को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने

की योजना बनाई है जो व्यापक रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित साइट केंद्रीय रूप से स्थित है और अन्य महत्वपूर्ण/धार्मिक / पर्यटन स्थलों के साथ निकटता में है।

1.2 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता :

हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसमें गगल हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई संपर्क है। सीमित रनवे लैंग्थ व लोड पेनाल्टी के कारण यह हवाई अड्डा छोटे विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है, परिणामतः हवाई किराया बहुत अधिक है। अधिक मांग और बहुत सीमित सीटें होने के कारण देश में गगल हवाई अड्डे के लिए विमान किराया उच्चतम स्तर पर है, जिससे राज्य में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा हवाई अड्डे का बाधा/व्यवधान सीमा सतह सर्वेक्षण किया गया था तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोजन के लिए भूमि चयनित की गई है। यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ-साथ प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिंग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी।

1.3 परियोजना स्थल :

तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल रछियालू, जुगेहड, कियोड़ी और भड़ोत तथा तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल भेड़ी, दुगियारी खास, सनौर, बल्ला, सहौड़ा, मुंगरेहाड, बाग, गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी में अवस्थित कुल 147-75-87 हैक्टर प्रस्तावित भूमि (सरकारी भूमि और निजी भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गगल (कांगड़ा) हवाई अड्डे, जिला कांगड़ा के विस्तारीकरण के लिए चयन किया गया है।

से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि०मी० की दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि०मी० पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड के लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि०मी० एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि०मी० पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि०मी० एवं ऊना से लगभग 100 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

इसलिए SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पित स्थान का चयन किया जाए।



वैकल्पित स्थान : ग्राम बोड़क्वाल

2.1 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता :

कांगड़ा हवाई अड्डा का विस्तार राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हवाई अड्डा के विस्तार हेतु संबंधित जनपद में भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। इससे सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की भूमि सम्मिलित है। जिन निजी भू-स्वामियों की भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नियमों के तहत अधिग्रहित कर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश शासन को हस्तांतरित की जायेगी। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, यानी हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 (एचपीएसआईए नियम, 2015) के अनुपालन में, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, एचआईपीए की निविदा के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, (हिपा) हिमाचल प्रदेश सरकार, एसआर एशिया द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किया गया

2.2 अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन का उद्देश्य हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनको होने वाले नुकसान का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने हेतु सुझाव देना है। प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन RFLTLARR अधिनियम, 2013 और HP SIA नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया।

- यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।
- प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों रूप से विस्थापित होने की संभावना है।

- परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष रूप से भूमि खोने वाले परिवारों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों दोनों को सामिल करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव और परियोजना के लाभ का आकलन करना।
- यह पता लगाने के लिए कि जहां कम से कम विस्थापन की समस्या है, उस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है, लेकिन वह स्थल ही परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.3 अध्ययन पद्धति :

कांगड़ा जिले के कांगड़ा तहसील के दस ग्राम (गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा एवं बल्ला) के 108.4707 हे० भूमि और शाहपुर तहसील के चार (जुगेहड़, कियोड़ी, भड़ोत एवं रछियालू) ग्रामों के 39.2880 हे० भूमि हवाई अड्डा विस्तार परियोजना से प्रभावित है, इस प्रकार दोनों तहसील के कुल 147.7587 हे० भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। एस आर एशिया संस्था की एस.आई.ए.टीम द्वारा सभी ग्रामों के 1446 प्रभावित परिवारों से दिनांक 28 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक ग्रामों में लगातार घर –घर जाकर साक्षात्कार करने हेतु मिलने का प्रयास किया गया तथा जो भूस्वामीं ग्राम से बाहर थे उनसे दूरभाष के माध्यम से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि झिकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोग साक्षात्कार देने से माना कर दिये। पंचायत के लोगो ने एस.आई.ए.टीम टीम को भी ग्राम के अन्दर साक्षात्कार करने से रोका एवं टीम के लोगो को धमकियाँ भी दी, उनका

कहना था कि जब हम लोग को हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि नहीं देनी हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में परियोजना से संबंधित कई बार सर्वे का कार्य हुआ हैं। हवाई अड्डा विस्तार से क्षेत्र में बहुत ज्यादा मकान एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों में परियोजना के प्रति काफी रोष हैं और परियोजना के विरोध में हैं। इसलिए लोगों ने साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस.आई.ए के लाभ को SDM एवं ADC कई बैठको के माध्यम से ग्रामों के परिवारों को बताने का प्रयास किये, परंतु लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस आर एशिया संस्था की एस.आई.ए.टीम को कुछ ग्राम के 399 (34.04 प्रतिशत) परिवार के लोगों ने साक्षात्कार दिये, जिसके अघार पर एस.आई.ए.टीम ने प्रभावित ग्रामों के परिवारों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। यह भी उल्लेख करना अवश्यक हैं कि परिवार के केवल एक सदस्य ने साक्षात्कार दिया, अन्य सदस्य साक्षात्कार देने से मना कर दिये, कुछ परिवार ग्राम से बाहर रहते हैं एवं अन्य विभिन्न कारणों से 773 परिवारों से साक्षात्कार नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तथा तहसील स्तर से आंकड़ें प्राप्त किये गये। साथ ही प्रभावित ग्रामों में सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर भी प्राथमिक आंकड़े संकलित करने का प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा के विस्तार से संबन्धित ग्राम से विभिन्न हितधारकों से भी विचार-विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को पूर्ण किया गया।

2.4 अध्ययन के उपकरण :

अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का मिश्रण किया गया। प्रस्तुत सामाजिक सामाघात आंकलन अध्ययन को पूर्ण करने में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया।

1. डेस्क समीक्षा
2. स्थल भ्रमण
3. ग्राम स्तरीय प्रोफॉर्मा

4. प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची,
5. भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए)
6. सामूहिक विचार विमर्श हेतु निर्देशक प्रसंग तथा
- 7 डेटा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन

2.5 जन सुनवाई

RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 5 में परिकल्पना की गई है कि जब भी सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता होती है, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित क्षेत्रों में एक जन सुनवाई आयोजित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित परिवारों के विचार रिकॉर्ड किए गए हैं और सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। एसआर एशिया के आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और विज्ञापन देने के बाद जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण :

जनपद कांगड़ा के प्रभावित शाहपुर और कांगड़ा तहसील के 14 ग्रामों में हवाई अड्डा के विस्तार के अन्तर्गत कुल 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से 25.1064 हे० (16.99 प्रतिशत) भूमि सरकारी है शेष (83.02 प्रतिशत) 122.6623 हे० भूमि निजी कृषकों की है। हमारे संस्था द्वारा 147.7587 हे० भूमि का सामाजिक समाघात आंकलन किया गया है।

3.2 तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्राम है। इस प्रकार शाहपुर तहसील के 4 ग्रामों में 39.2880 हे० (26.59 प्रतिशत) और कांगड़ा तहसील के 10 ग्रामों में 108.4707 हे० (73.41 प्रतिशत) भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

3.3 भूमि का प्रकार :

इस परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि, गैर-कृषि और व्यावसायिक भूमि है। भूमि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की हैं।

3.4 भूमि का उपयोग :

पीएफ के साथ चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना स्थल कि अधिकतम भूमि पर कृषि का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त गैर-कृषि, अवासिये, वाणिज्यिक और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी हैं।

4. प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा :

1. प्रभावित सभी ग्राम विकास खण्ड से 5 से 10 कि०मी० तक के दूरी तक हैं। तहसील से दस ग्राम 5 से 10 कि०मी० तथा चार ग्राम 10 से 15 कि०मी० कि दूरी पर स्थित है। अन्य विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से प्रभावित ग्रामों की दूरी 0 से 10 कि०मी० तक हैं।

2. सभी प्रभावित ग्रामों में कुल जनसंख्या में पुरुषों का 50.27 प्रतिशत एवं महिलाओं का 49.73 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.93 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 7.64 प्रतिशत एवं महिला 7.70 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं। अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.64 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 1.70 प्रतिशत एवं महिला 1.57 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं। इसी प्रकार मुख्य कर्मकर की संख्या कुल जनसंख्या का 43.33 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 53.23 प्रतिशत एवं महिला 33.32 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं।

3. सभी आर्थिक संस्थाओं की सुविधाओं के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि सब्जी/गल्ला मंडी, गेहूं, धान क्रय केन्द्र और कोल्ड स्टोरेज के अलावा सभी उपलब्धता (वाणिज्यिक/ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी क्रय-विक्रय/ऋण समिति, दैनिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद-बीज गोदाम एवं कृषि यंत्र स्टोर की सुविधाएं) सुविधाएँ 0 से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

4. प्रभावित सभी ग्रामों में मंदिर स्थित हैं, जबकि 10 ग्राम में खेल का मैदान, 5 ग्राम में मेला स्थल, 2 ग्राम में पुरुषों एवं महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, ग्यारह ग्राम में शमशान/कब्रिस्तान स्थित हैं। शेष ग्राम एवं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं/स्थलों जैसे कि पुरुषों/महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, कब्रिस्तान, मस्जिद, गुरुद्वारा, खेल का मैदान तथा मेला स्थल की दूरी ग्राम से 5 कि०मी० के अन्तर्गत हैं। गिरिजाघर एवं मस्जिद की दूरी प्रभावित ग्रामों से 5 से 10 कि०मी० तक है।
5. प्रभावित सात ग्रामों में पंचायत भवन, स्थित है, दो ग्राम में स्वैच्छिक संस्थाएँ, एक ग्राम में राजनैतिक दलों के कार्यालय, सात ग्राम में डाकघर एवं एक ग्राम में पुलिस स्टेशन स्थित हैं। शेष प्रभावित ग्रामों में से राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता की दूरी 2 से 4 कि०मी० तक स्थित हैं।
6. प्रभावित आठ ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, सात ग्राम में उच्च प्राइमरी स्कूल, दो ग्राम में हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज, एक ग्राम में डिग्री कालेज एवं आई० टी० आई० और पाँच ग्राम में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल उपलब्ध है।
7. प्रभावित सभी ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध है। जबकि सात ग्राम में ए०एन०एम० केन्द्र, तीन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ऐलोपैथीक चिकित्सा, होमियोपैथी चिकित्सा, दो ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा और बारह ग्रामों में झोलाछाप डाक्टर अवस्थित है। प्रभावित शेष ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध 6 कि.मी. तक है।
8. प्रभावित तीन ग्राम में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता हैं। जबकि शेष ग्यारह ग्रामों से पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता एक कि.मी. से चार कि०मी० की दूरी तक है।
9. प्रभावित सभी अबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं। शत प्रतिशत अबाद ग्रामों में घरेलू बत्ती/पंखा विद्युत कनेक्शन तथा 9 ग्राम में औद्योगिक कार्य हेतु औद्योगिक कनेक्शन उपलब्धता है।
10. प्रभावित ग्रामों के पेयजल के स्रोत में शत प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः पड़प से जलापूर्ति, समरसेबिल/ बोरींग/ ट्यूबवेल तथा कुआ पीने के पानी का मुख्य स्रोत है।

11. प्रभावित शत प्रतिशत ग्रामों में महिला स्वयं सहायता समूह गठित हैं। जबकि किसी भी ग्राम में पुरुष स्वयं सहायता समूह गठित नहीं हैं।
12. प्रभावित सभी ग्रामों में किराना स्टोर, दूधिया, बकरी पालन इकाइयां उपलब्ध है। शेष अन्य कुटीर उद्योगों की उपलब्धता ग्राम से बाहर हैं। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।
13. प्रभावित सभी ग्रामों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासीयों द्वारा बताया गया कि उनके ग्रामों में दहेज प्रथा, विधवा विवाह पाबंदी, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी, अंधविश्वास, तांत्रिक क्रिया एवं परिवार नियोजन पर पाबंदी बिल्कुल नहीं है। जबकि पंचायती फैसले आदि सामान्य रूप में प्रचलित है।
14. रबी की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में गेहूं, एवं सरसों की खेती होती है। खरीफ की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में धान एवं मक्का बोया जाता है। जबकि जायद की फसलों में कोई फसले नहीं बोयी जाती हैं। वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत अबाद ग्रामों में सब्जिया (टमाटर, गोभी, बैंगन, भिण्डी, खिरा आदि) तथा आलू बोयी जाती हैं। प्रभावित ग्रामों के मुख्य फसलों में सब्जियाँ (टमाटर, गोभी, बैंगन, भिण्डी, खिरा आदि) हैं। इन ग्रामों में सब्जी की खेती प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो ग्राम के किसानों के आय का मुख्य स्रोत हैं।
15. प्रभावित लगभग 93 प्रतिशत ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, सिंचाई नाली, मकान, 86 प्रतिशत ग्राम में मंदिर, पेड़-पौधे, 71 प्रतिशत ग्राम में जल निकासी नाली, 64 प्रतिशत ग्राम में दुकान, बोरींग / ट्यूबवेल (पिने के पानी हेतु) आदि प्रभावित हैं। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हैं।
16. प्रभावित ग्रामों के प्रधानों/पंचायत सदस्यों के अनुसार भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से परियोजना के लिए भूमि न देने के कारणों का बहुउत्तरीय विवरण में शत प्रतिशत ग्रामों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से बहुत कम होना, भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना एवं भूमि का अत्यधिक

मूल्यवान होना, कई अंशधारको का होना, भूस्वामि का मृत्क होना/वरासत न होने के कारण, 92.86 प्रतिशत ग्राम में अवास का नुकसान होना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का न होना, बेरोजगारी का भय, अवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना एवं ग्राम से पलायन की समस्या आदि कारण बताये गये।

17. हवाई अड्डा विस्तार से नकारात्मक प्रभावो के सम्बन्ध में शत प्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 92.86 प्रतिशत द्वारा मुख्य/सम्पर्क मार्गों का नुकसान, अवास का नुकसान, किसानों को खेतों को आन-जाने मे कठिनाईयां, बेरोजगारी का भय, 85.71 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी, सिचाई के साधनों में कमी, 78.57 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी, ग्राम से पलायन की समस्या एवं 64.28 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय का नुकसान होना आदि नकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

18. जबकि शत प्रतिशत द्वारा गाँव / क्षेत्र का विकास, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि, यात्रा में समय की बचत होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि, जबकि 92.86 प्रतिशत द्वारा व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी, 85.71 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, 78.57 प्रतिशत द्वारा क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा, 71.43 प्रतिशत द्वारा क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा, 64.28 प्रतिशत द्वारा शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा आदि सकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

5. सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

5.1 प्रभावित परिवारों की विशेषताएँ :

जैसा कि अध्ययन पद्धति मे यह उल्लेख हैं कि जिन भूस्वामियो का सूची में नाम बार-बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक ही परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ है। क्षेत्र के लोगों द्वारा हवाई अड्डा के विस्तार के पूर्ण रूप से विरोध के कारण

लगभग 28 प्रतिशत परिवारों का साक्षात्कार हुआ है इसी के आधार पर प्रभावित परिवारों की सामाजिक विशेषताओं का विवरण किया गया है।

1. कुल साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 77.44 प्रतिशत पुरुष तथा 22.563 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

2. साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों का उच्चतम शैक्षिक योग्यता में 1.00 प्रतिशत हाई स्कूल से कम, 18.55 प्रतिशत हाई स्कूल तक, 17.29 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 38.60 प्रतिशत स्नातक तक तथा 24.56 प्रतिशत परास्नातक या उससे अधिक तक शिक्षा प्राप्त थे।

3. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में शत प्रतिशत हिन्दू हैं।

4. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 5.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 34.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 57.90 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं।

5. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 60.40 प्रतिशत का व्यवसाय स्वयं की भूमि पर कृषि जबकि 8.27 प्रतिशत का व्यवसाय कृषि एवं अन्य मजदूरी हैं। इसके अतिरिक्त 16.79 प्रतिशत का दुकान/व्यपार, 17.04 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 22.30 प्रतिशत प्राइवेट नौकरी तथा 29.32 प्रतिशत का अन्य व्यवसाय है।

6. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 33.08 प्रतिशत का आय एक से 2.5 लाख तक, 32.08 प्रतिशत का 2.5 लाख से 5 लाख तक, 14.79 प्रतिशत का पाँच लाख से 10 लाख तक, 13.53 प्रतिशत का एक लाख से कम तथा 6.52 प्रतिशत का 10 लाख से अधिक का आय है।

7. परिवार के प्रकार के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 31.08 प्रतिशत एकल परिवार, 34.59 प्रतिशत मध्य परिवार तथा 33.09 प्रतिशत का संयुक्त परिवार है।

8. साक्षात्कारकृत भूस्वामियों में से 40.10 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता है जबकि 59.90 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता नहीं है।

9. साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का मकान के प्रकार में 43.86 प्रतिशत का पक्का मकान, 38.35 प्रतिशत का बहुमंजिल पक्का मकान, 12.53 प्रतिशत का मिश्रित मकान तथा 5.26 प्रतिशत का कच्चा मकान है।
10. साक्षात्कार किये गये सभी भूस्वामियों के पास विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।
11. साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल का शतप्रतिशत स्रोत पाइप लाइन द्वारा है।
12. शत प्रतिशत साक्षात्कार कृत भूस्वामियों के घरों में शौचालय निर्मित हैं।
13. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से केवल 87.97 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई धर उपलब्ध हैं शेष 12.03 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई धर उपलब्ध नहीं हैं।
14. आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता शतप्रतिशत है।
15. प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की चिकित्सा हेतु शतप्रतिशत भूस्वामियों को 0 से 5 कि.मी. तक दूरी तय करनी पड़ती है।
15. साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 30.83 से 47.37 प्रतिशत द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय पर्वो/आयोजनों, धार्मिक मेलों, धार्मिक आयोजनों एवं राजनैतिक आयोजनों में अधिक सहभागिता तथा 45.36 से 65.41 प्रतिशत द्वारा सामान्य सहभागिता का स्तर रहता है। जबकि 3.76 से 14.29 प्रतिशत द्वारा बहुत अधिक सहभागिता का स्तर रहता है।
16. प्रभावित सभी भूस्वामियों को हवाई अड्डा के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी शत-प्रतिशत पायी गयी।
17. प्रभावित भूस्वामियों की हवाई अड्डा विस्तार हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 82.21 प्रतिशत भूस्वामियों की 0.20 हे० तक, 14.79 प्रतिशत की 0.21 से 0.40 हे० तक तथा 3.01 प्रतिशत की 0.40 हे० से अधिक की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

18. अधिग्रहीत की जा रही भूमि में वर्तमान में बोई जाने वाली फसलों का बहुत्तरीय विवरण में 63.91 प्रतिशत द्वारा धान्य फसलें, 24.56 प्रतिशत द्वारा तिलहनी फसलें तथा 68.17 प्रतिशत द्वारा वाणिज्यिक फसलें बोयी जा रहीं हैं।

19. अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रकार का विवरण में 69.67 प्रतिशत की भूमि उपजाऊ, 32.58 प्रतिशत की भूमि बहुत उपजाऊ तथा 29.32 प्रतिशत की भूमि सामान्य श्रेणी की है।

20. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में फसलोत्पादन से होने वाली वार्षिक आय का विवरण में से 73.43 प्रतिशत का आय पचास हजार से कम, 20.30 प्रतिशत का एक लाख से 1.5 लाख तक, 5.76 प्रतिशत का 1.5 लाख से 3 लाख तक तथा 0.50 प्रतिशत का 3 लाख से अधिक का आय है।

21. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 26.82 प्रतिशत भूस्वामियों ने अच्छा, 39.35 प्रतिशत भूस्वामियों ने खराब तथा 33.83 प्रतिशत भूस्वामियों ने कह नहीं सकते हवाई अड्डा के विस्तार बारे में अपनी राय बताई।

22. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 52.63 प्रतिशत भूस्वामियों ने हवाई अड्डा के विस्तार के लिए भूमि देने में सहमति जताई जबकि 32.33 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने में असहमति जताई तथा 15.04 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने के लिए कह नहीं सकते का जबाब दिया।

23. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 45.36 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर अवास, 16.04 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर व्यवसाय के साथ शत प्रतिशत भूस्वामियों के कृषि भूमि भी अधिग्रहण से प्रभावित हैं।

24. साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए भूमि देने के असहमति के कारणों का बहुत्तरीय विवरण में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम होना, 61.40 प्रतिशत द्वारा भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना, 82.96 प्रतिशत द्वारा जिवकोपार्जन/व्यवसाय का नुकसान, 76.69 प्रतिशत द्वारा भूमि अत्यधिक मूल्यवान होना, 86.47 प्रतिशत द्वारा बेरोजगारी का भय, 60.40 प्रतिशत द्वारा ग्राम से पलायन, 35.34 प्रतिशत

द्वारा भूमि से अवास के लिए अन्य भूमि का न होना, 94.74 प्रतिशत द्वारा भूमि के कई अंशधारक का होना तथा 34.09 प्रतिशत द्वारा पूर्वजों का भूमि होना आदि का कारण बताये गये।

25. प्रभावित भूस्वामियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी थी कि उनके द्वारा किन शर्तों पर भूमि देने हेतु सहमत होंगे। जिसका बहुत्तरीय विवरण में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर, 80.70 प्रतिशत द्वारा भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय, 49.62 प्रतिशत द्वारा सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग में नौकरी, 30.83 प्रतिशत द्वारा वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय, 43.86 प्रतिशत द्वारा विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद, 77.94 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर तथा 30.83 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत के बाद आदि शर्तें बतायी गयीं।

26. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डा के विस्तार से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय पर चर्चा की गयी जिसका बहुत्तरीय में शतप्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 86.47 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी एवं किसानों को अपने खेत में जाने में समस्या, 89.22 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण में वृद्धि, 64.41 प्रतिशत ग्राम से पलायन की समस्या, 38.60 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय समाप्त होने कि संभावना तथा 35.34 प्रतिशत कृषकों द्वारा कोई विशेष कुप्रभाव न होने की बात कही है।

27. साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डो के विस्तार से होने वाले लाभ में शत प्रतिशत द्वारा क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, पर्यटन में वृद्धि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी, 94.49 प्रतिशत द्वारा आवागमन सुविधा में वृद्धि होना, 89.22 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होना, 96.99 प्रतिशत द्वारा यात्रा में समय की बचत, 97.99 प्रतिशत भूस्वामियों द्वारा स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि, 38.60 प्रतिशत ने गाँव से शहर में पलायन कम होगा, 73.93 प्रतिशत द्वारा रहन सहन में सुधार होगा तथा 36.84 प्रतिशत द्वारा सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होना आदि लाभ बताये है।

6.1 सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता :

आधारभूत संरचना और विकास परियोजनायें जो प्रभावित परिवारों की आजीविका, पशुधन, रोजगार, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए जल स्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बाग, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूल (विद्यालय) सुविधाओं, आंगनबाड़ी, पार्क, पूजा-स्थलों और दाह संस्कार स्थल को प्रभावित करती हैं। यह नीति निर्माताओं को पुनर्वास और पुनर्वासन (आर एंड आर) अधिनियम के अनुसार निष्पादन पर पर्याप्त और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। सामूहिक विचार विमर्श परियोजना के लिए समावेशी और स्थानीय समुदाय और सामाजिक पारिस्थितिकी के प्रति उत्तरदायी होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह परस्पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों, नीति-निर्माण निकायों और कई एजेंसियों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों को शामिल करने का एक माध्यम है, जो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित मुद्दों और गतिविधियों के बारे में अपनी राय, चिंताओं और आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल कुछ भावात्मक प्रभाव और प्रभावी योजना की पहचानने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह सूचनाओं के संचार, उनके भय को कम करने और समुदायों के साथ तालमेल के विकास में भी सहायता प्रदान करता है, जो कि इस तरह के सुचारु परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोपरि है। परियोजना से प्रभावित लोगों की भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य खुले संवाद के माध्यम से कथित पर्यावरणीय परिणामों को कम करके सार्वजनिक जागरूकता और विकास गतिविधि या परियोजना की स्वीकृति को बढ़ाना है।

6.2 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आकड़ा संग्रह की प्रक्रिया :

एसआईए टीम ने सभी परियोजना प्रभावित गांवों में परियोजना के संभावित प्रभाव के गुणात्मक विश्लेषण के लिए आकड़ा संग्रह और समाज के कल्याण के लिए पुनर्वास और परियोजना के निष्पादन के बारे में भू-स्वामियों की राय/दृष्टिकोण जानने के लिए पीएपी के साथ सामूहिक विचार विमर्श और गहन साक्षात्कार आयोजित करने का प्रयास किया। जिससे उनके भूमि अधिग्रहण, आजीविका, रोजगार, सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि से संबंधित कई प्रासंगिक मुद्दों के बारे में सशक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रत्येक ग्राम में प्रभावित समुदाय के सदस्यों के साथ दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के दौरान सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन किया गया। प्रतिक्रिया देने वालों में अधिकांश परियोजना प्रभावित क्षेत्र के किसान, व्यवसायी आदि थे। सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। इसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुषों का सामूहिक विचार विमर्श अलग-अलग करने का प्रयास किया गया। सामूहिक विचार विमर्श की शुरुआत में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन और अध्ययन करने वाली एजेंसी के लक्ष्यों और विधियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था। सामूहिक विचार विमर्श के दौरान, SIA टीम के सदस्यों की भूमिका मध्यस्था के रूप में थी।

सामूहिक विचार विमर्श (एफजीडी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना था, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, उनके भूमि उपयोग की व्यवस्था, व्यवसाय एवं रोजगार आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना था। परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ एफजीडी का आयोजन उनके समुदाय की विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र के कमजोर लोगों के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए एवं समुदाय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया करने के लिए प्रभावित सभी ग्रामों में खसरावार प्रभावित परिवारों द्वारा 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के बीच एफजीडी करने का प्रयास किया गया। परंतु गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के लोगो ने पूरी तरह से इस प्रयोजना का विरोध किये इस कारण इस पंचायत में एवं इनके पास के ग्राम में विचार विमर्श पूर्ण रूप से

नहीं हो पाया। SDM और ADC द्वारा इन ग्राम पंचायतों में SIA के बारे में जनकारी देने के लिए दो से तीन बार बैठके कि गई फिर भी लोग SIA टिम को साक्षात्कार एवं विचार विमर्श के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि, अधिकांश पीएएफ ने प्रस्तावित कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के बारे में अपनी असहमति व्यक्त की क्योंकि इस परियोजना के विस्तार से उनके अवास एवं व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोग इस परियोजना के विरोध में हैं। इसलिए एसआईए टीम को सक्षात्कार नहीं दिये। उनका कहना है कि जब हमलोग इस परियोजना के विरोध में हैं तो फिर इस परियोजना के लाभ एवं हानि के बारे में क्यों बात करे। इसलिए लोगों ने एसआईए टीम को सक्षात्कार एवं विचार विमर्श करने के लिए ग्राम के अन्दर जाने से माना /विरोध किया।

6.3 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली संभावित प्रभाव :

पीएपी सामुदायिक कल्याण और रहने की क्षमता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंतित थे जिससे उनके जीवन प्रभावित होगा। यह भी जवाब दिया गया है कि इस भूमि अधिग्रहण से कुछ पीएएफ अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे दूसरों की तुलना में बड़े क्षेत्र में भूमि, अवास एवं व्यवसाय खो देंगे। परियोजना लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी क्योंकि परियोजना के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल सकती है। वे अपनी मूल पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति और संयुक्त परिवार संरचना के नुकसान के बारे में बहुत आशंकित हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो परिवार के सदस्यों के बीच आय का समान अवसर प्रदान करती है, लेकिन भूमि के नुकसान के बाद, हमें उनके अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो संयुक्त परिवार की संरचना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा परियोजना पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है, ग्रामवासीयों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण से क्षेत्र की स्थलाकृति बदल जाएगी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के कारण ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होगा।

6.4 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगे :

प्रस्तावित क्षेत्र के कुछ ग्राम के अधिकांस किसान/भूस्वामि अपना भूमि परियोजना के लिये नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय एवं अवास का नुकसान हो रहा है और वह चाहते हैं कि सरकार पहले प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना प्रस्तुत करें। परंतु प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के संरेखन से प्रभावित अन्य ग्राम के किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं परंतु इसके बदले अपनी भूमि का मूल्य बजार मूल्य के बराबर चाहते हैं या फिर सर्किल रेट का दस गुणा दर चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां, जमीन के बदले जमीन और प्रभावित परिवार के युवा पीढ़ी के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सृजित करना आदि शर्तें बताए गये। जिनका घर अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है उनको तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 2013 के नियमानुसार किया जाना चाहिए। जिनका व्यवसाय अधिग्रहण से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारु रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार धनराशी प्रतिमाह मिलनी चाहिये।

6.5 परियोजना के लिए वैकल्पित स्थान पर चर्चा:

एफजीडी के दौरान ग्रामीणों से इस परियोजना के विस्तार के लिए वैकल्पित स्थान पर चर्चा किया गया एवं उनका सुझाव लिया जो निम्नवत हैं:

1. ग्रामीणों ने पहला सुझाव इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह कि ओर दिये, उनके अनुसार इस क्षेत्र में अबादि कम हैं और खाली भूमि अधिक हैं।
2. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये हैं, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि०मी० कि दूरी पर है। प्रस्तावित

भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि०मी० पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड के लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि०मी० एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि०मी० पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि०मी० एवं ऊना से लगभग 100 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पित स्थान का चयन किया जाए।

7.1 सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना :

हवाई अड्डे के निर्माण/ विस्तार के लिए सुझाई गई वैकल्पिक भूमि और स्थान जिससे कम से कम सामाजिक और आर्थिकछति का अवलोकन को जनकल्याण एवं मांग के संदर्भ में लिया जाए। यदि हवाई अड्डा का विस्तार किया जा रहा है तो परियोजना से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए प्रस्तावित उपाय RFLTLAR (HP) नियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित हैं:-

1. परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना उपलब्ध नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना सिर्फ एक सुझाव/संदर्भ के रूप में प्रस्तुत हैं जिसका बिना पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कोई औचित्य नहीं है।

2. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

3. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना उपलब्ध होना चाहिए।
4. अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले अधिक मौद्रिक लाभ और विस्थापित परिवार की सूची, भूमि का स्वामित्व और बुनियादी ढांचा, वाणिज्यिक संरचना, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीएएपी की सूची है, प्रभावित क्षेत्र में विकलांग सूची, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सूची, प्रभावित क्षेत्र में चल/अचल संपत्ति की सूची तैयार किया जाना चाहिए और तदनुसार, प्रतिकर प्रदान किया जाय।
5. परियोजना का परिचालन सभी लागू विधानों, नीतियों, क्षति को कम से कम करने हेतु किये गये उपायों जैसे उचित प्रतिकर अथवा आजीविका के स्रोतों तथा संसाधनों का विकास राष्ट्रीय एवं राज्य के विधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।
6. जहाँ तक सम्भव हो परियोजना के परिचालन में सामाजिक कुप्रभाव नहीं होने देने के लिए उचित स्रोतों के सृजन का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो तो सामाजिक प्रभाव /प्रतिघात की अवधि, सघनता एवं प्रभाव के प्रसार को कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे प्रभाव जिनको पूर्ण रूप से कम नहीं किया जा सकता है उनको पूर्व की स्थिति में लाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए कृषि भूमि, आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवनशैली की गुणवत्ता आदि)।
7. परियोजना की प्राथमिकता उपयुक्त निर्माण पद्धति अनुसूची एवं अन्य क्षति को कम से कम करने के उपायों का उपयुक्त निर्धारण करते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के कल्याण एवं जीविकोपार्जन के अनुरूप होनी चाहिए।
8. हवाई अड्डा का विस्तार एवं परिचालन प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक प्रभाव से सम्बंधित हो सकता है अथवा प्राकृतिक पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में परियोजना के कार्यकलापों के सम्पादन आदि के रूप में समाघात सम्भव है। इस प्रकार के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात का सही

एवं पारदर्शी रूप से आंकलन करते हुए उन्हें कम करने हेतु शमन के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

9. परियोजना में दुर्बल/कमजोर व्यक्तियों एवं परिवारों, जैसे ऐसे भूमिहीन एवं बटाई कृषक जो अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति एवं परिवार नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने, परामर्श करने एवं विचार-विमर्श में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही, आजीविका के नये साधनों एवं परियोजना के अन्तर्गत काम के अवसरों के सम्बंध में भी अनभिज्ञ रहते हैं। प्रभावित उन लोगो को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिनके पास उचित भूमि स्वामित्व या भूमि पंजीकरण नहीं है, हालांकि वे कई वर्षों से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं।

10. परियोजना में उन सभी व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों के विधि सम्मत अधिकारों एवं रूचि का ध्यान रखा जाना चाहिए जो परियोजना से प्रभावित हैं। इस प्रकार इसमें उन सभी को सम्मिलित किया जाना है जिनकी भूमि, फसल एवं अन्य परिसंपत्तियों हवाई अड्डा के विस्तार के रेखांकन में अवस्थित हैं तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके सुख-साधन, जीवन-स्तर एवं अन्य सुरक्षा कवच आदि प्रभावित हुए हैं।

11. परियोजना में व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को परियोजना के हितधारकों के रूप में अपनी तर्कसंगत, रूचियों एवं परियोजना से सम्बन्धित विषयों में अपने विचार रखने का अधिकार होगा। प्रभावित लोगों के असहमति का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए।

12. अधिग्रहण से प्रभावित लोगो के लिए आजीविका योजना, लिंग योजना, शिक्षा योजना आदि सहित आर एंड आर पैकेज अनिवार्य और समयबद्ध होना चाहिए।

13. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से पहले भुगतान का समयरेखा का निर्धारण या भुगतान किया जाना चाहिए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना से पहले किसी को विस्थापन नहीं किया जाना चाहिए।

14. सभी विस्थापित पीएफ को कम से कम तीन बार पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, और उनके पशुधन की अत्यधिक देखभाल के साथ उनकी पसंद के नए क्षेत्र में सुचारु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए 9-12 महीने का उचित समय दिया जाना चाहिए।
15. विस्थापन/पुनर्वास के कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, मानसिक समावेशन को पूर्ण करने वाले सामाजिक प्रभावों के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
- 16.. अधिग्रहण और उसके बाद पुनर्वास प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता और भागीदारी दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए
17. भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए।
18. भूमिहीन लोगों के लिए पट्टे का विकल्प होना चाहिए।
19. संस्थागत तंत्र-विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय/राज्य निगरानी प्राधिकरण/आयुक्त आर एंड आर/प्रशासक का गठन किया जाना चाहिए।

8.1 संस्तुतिया :

एसआईए टीम ने पीएएफ एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत, विचार विमर्श, अवलोकन और अन्य तकनीकी तरीकों के माध्यम से क्षेत्रीय आंकड़ों को एकत्रित करके विश्लेषण किया है और तदोपरांत निम्नवत सिफारिशें प्रस्तावित हैं :

1. भू-अर्जन से पहले कानून के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना कि व्यवस्था तथा हितधारको का सहयोग वांछनीय है।
2. हवाई अड्डा का वर्तमान विस्तार वृहत आबादी क्षेत्र एवं स्थापित व्यवसाय को प्रभावित करेगी, जो वर्षों से स्थापित एवं सामान्य स्वसंचालित हैं को पूर्ण तरह से प्रभावित करेगा। व्यापक विचार विमर्श से जानकारी मिली है कि यदि प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण होता है तो परियोजना कि लागत मूल्य लगभग कई हजार करोड़ आकी गई है साथ ही साथ हजारों कि संख्या में परिवार अपना परिवारिक व्यवसाय, आमदनी के श्रोत और सामाजिक ताना बना खो देंगे, विचार

विमर्श के दौरान यह भी पता चला है कि हजारो लोग छोटी बड़ी दुकानो में कर्यारत है वे भी अपनी जीवन यापन इस कारण खो देंगे। जैसेकि सरकारी नौकरीयों का पहले ही अभाव है, और सरकार हजारों लोगो को नियोजित नही कर पायेगी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों ने परियोजना के लिए वैकल्पित भूमि एवं भू-अर्जन के लिए निम्न सुझाव दिये है

- i. परियोजना का विस्तार, वर्तमान कांगड़ा हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर की तरफ धर्मशाला की ओर किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम परिवार विस्थापित होंगे और सरकारी आय कि अत्यधिक बचत होगी और स्थानिये लोग भी खुश रहेंगे।
- ii. नई जगह (बोड़क्वालू या लंज) कांगड़ा तहसील में खुली एवं सरकारी भूमि उपलब्ध है, इसमें भी समाजिक एवं आर्थिक छति निम्नवत् आकि गई है।
3. ग्रामवार समस्याओं के समाधान हेतु दिये गये उपायो का विवरण परिशिष्ट-एक में अंकित हैं। जिसका निवारण समयवद्ध होना चाहिए ताकी लोगो में समाजिक सद्भावना बनी रहे।
4. परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसे आपदा प्रबंधन के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।
5. पूर्व में जो परिवार,वर्तमान हवाई अड्डे की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं ऐसे परिवार यदि पुनः अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं तो विशेष प्रतिकर राशी दि जाए।
6. जो परिवार भूमिहीन और बेघर हो रहे हैं, उनका उपयुक्त रूप से और पूरी तरह से पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।
7. प्रभावित अधिग्रहण भूमि में उपलब्ध परिसम्पत्तियों जैसे भवन, दुकान, नलकूप/बोरिंग, पेड़-पौधे, फसल, जलस्रोत, होटल, पेट्रोल पम्प, समुदायिक भवन, सरकारी भवन साजसामान,आदि का सक्षम संस्था से उचित मूल्यांकन कराते हुए, प्रभावित परिवारों एवं संस्थान

के स्वामियों से बातचित के माध्यम से प्रतिकर दिया जाना चाहिए और उपयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।

8. प्रभावित परिवार आंशिक/पूर्ण रूप से कृषि भूमि खो देंगे, जिससे फसल उत्पादन एवं आजीविका का नुकसान होगा।

9. जिन लोगो ने साक्षात्कार दिये उनमें से लगभग 53 प्रतिशत परिवार जमीन देने के लिए तैयार हैं, यदि उनकी समस्याओं का निवारण उनकी मांगों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

10. जिनका व्यवसाय भू-अधिग्रहण से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारु रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार प्रतिमाह धनराशी मिलनी चाहिये।

11. प्रभावित भूस्वामियों को इस अध्ययन में वर्णित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) और RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

12. जिन परिवारों की पूर्ण भूमि एवं मकान अधिग्रहण से प्रभावित समाप्त होगा। ऐसे परिवारों को लगभग 15 कि.मी. के परिधी में नियमानुसार या वर्तमान यथास्थिति के अनुसार, अधिग्रहण से पूर्व पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।

13. सामुदायिक, समाजिक और सरकारी सम्पतियाँ जो कि अधिग्रहण से प्रभावित होंगी एवं ग्रामवासियों को आंशिक व पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। ऐसी सम्पतियों का आंकलन करके परियोजना कार्य आरम्भ होने से पूर्व ही नियमानुसार पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

14. अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों की आजीविका और समाजिक-आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

15. RFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य/ सर्कल रेट (लागू होने पर) का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का दो गुना होना चाहिए।

16. परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त सुझाव और प्रतिक्रिया होने की स्थिति में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी प्राप्त की जा सकती है और अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना से प्रभावित अधिकांश परिवारों द्वारा अपनी जमीन नहीं देने के लिए कई मुद्दे और चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। हवाई अड्डे के विस्तार /निर्माण के लिए सुझाई गई वैकल्पिक भूमि और स्थान, लोगों द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित हैं क्योंकि इससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम से कम होगा, इसके लिए वैकल्पिक भूमि की तकनीकी जांच की आवश्यकता हो सकती है और तदनुसार, सरकार भूमि अधिग्रहण के विषय पर निर्णय ले सकती है। RFCTLARR 2013 के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और हितधारकों के साथ सारे एवं अन्य भी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की चर्चा होगी और एसआईए एजेंसी द्वारा स्थानीय स्तर पर भी सभी मुद्दों/विषयों का मूल्यांकन करने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण की सिफारिश उसके बाद ही की जा सकती है।

अध्याय—एक

भूमिका

1.2 पृष्ठीमि :

विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न काल खण्डों के तत्कालीन परिवेश के अनुरूप आविष्कार किये जाते रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आविष्कार किये जाते हैं। समय-समय पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे हैं। मनुष्य की प्रकृति रही है कि ज्यों-ज्यों आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है त्यों-त्यों जीवन स्तर में सुधार हेतु नई आवश्यकताएँ अनुभव की जाती रही हैं।

जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तब उसे सुविधाजनक जीवन की चाहत बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप सुख सुविधाओं के साधनों के विकास और सृजन भी खोज प्रारम्भ होती जाती है। यह प्रक्रिया कभी सामाप्त नहीं होती है। इस अवधि में भी जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है फलतः विकसित किये गये साधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ जाता है जिससे नये साधनों का विकास किया जाता है साधनों के विकास के साथ उनकी तकनीक में भी सुधार किया जाता है। मनुष्य की यह भी प्रकृति है कि उसके द्वारा नवीनतम तकनीको का उपयोग अधिक रूप से किया जाता है, ताकि मानव जीवन अधिक सुगम हो सके।

विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा युक्त साधनों में परिवहन एवं यातायात महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। परिवहन एवं यातायात के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे अधिक दबाव सड़क मार्ग पर यातायात में पड़ता है। विगत वर्षों में सड़क मार्ग से यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे सड़क मार्ग से यातायात में वाहनों की भीड़भाड़ से सड़को पर अत्यधिक जाम तो लगता ही है साथ ही वाहनों की धीमी गति के कारण गन्तव्य तक पहुँचने में अधिक समय एवं ईंधन व्यय होता है। इसके निराकरण हेतु लोग वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर जल्द

पहुच सके है। इसके लिए हवाई अड्डा का विस्तार एवं नविन हवाई अड्डा के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विगत कुछ वर्षों से पूर्व में निर्मित विद्यमान हवाई अड्डा को यथासम्भव विस्तार किया जाता रहा है। इस क्रम में कांगड़ा हवाई अड्डा का विस्तार कांगना जनपद के कांगड़ा एवं शाहपुर तहसील के 14 ग्राम के भूमि पर विस्तार का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

अक्टूबर 2013 में, पहली बार, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का मुद्दा आधिकारिक रूप से सामने आया, जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक नया सर्वेक्षण करने का संकेत दिया। इस क्रम में अगस्त 2014 में, जिला प्रशासन को विस्तार सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था और इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को भी लिखा गया था।, इसके बाद, एएआई अधिकारियों की एक टीम ने व्यवहार्यता अध्ययन और आवश्यक भूमि की पहचान के लिए मई 2015 में हवाई अड्डे का दौरा किया।

वर्ष 2019 में, टीम ने हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र का दौरा किया और रनवे को 1,370 से 1,920 मीटर (4,490 से 6,300 फीट) तक विस्तारित करने के लिए भूमि की पहचान की गई। हालांकि, इस प्रस्तावित विस्तार के लिए कुल 140 हेक्टेयर (350 एकड़) भूमि की आवश्यकता होगी और इसका मतलब लगभग सभी गगल टाउनशिप का विस्थापन होगा जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किमी (1.2 मील) की दूरी पर स्थित है और हवाई पट्टी के विस्तार के प्रस्तावित मार्ग में सीधे स्थित है। नतीजतन, जनवरी और फरवरी 2020 में स्थानीय लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

मार्च 2021 में, एएआई द्वारा प्रस्तावित विस्तार के लिए बाधा/व्यवधान स्तर सर्वेक्षण (ओएलएस) किया गया था। एएआई के संशोधित सर्वेक्षण में, पहले मांझी नदी पर एक पुल का निर्माण करके रनवे की लंबाई को 1,900 मीटर (6,200 फीट) तक बढ़ाया जाना था, जो गगल टाउनशिप और हवाई अड्डे के बीच बहती है। इसके बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 154 को काटकर गगल टाउनशिप से भूमि का अधिग्रहण करके रनवे को 3,010 मीटर (9,880 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए राजमार्ग के पुनर्गठन की भी आवश्यकता होगी।

मार्च 2022 में, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए दो चरणों में विस्तार की योजना बनाई।



चरण 1 में, रनवे को वर्तमान 1,372 से 1,900 मीटर (4,501 से 6,234 फीट) तक लगभग 600 मीटर (2,000 फीट) तक विस्तारित किया जाना है, जिसके लिए मांझी नदी पर एक रनवे पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी, जो गगल टाउनशिप से कुछ ही दूर है। यदि पहला चरण पूरा हो जाता है, तो यह टर्बोप्रॉप हवाई जहाजों को बिना लोड पेनल्टी के पूरी क्षमता के साथ गगल हवाई अड्डे पर उड़ान भरने और उतरने में मदद करेगा।

चरण 2 में, रनवे की लंबाई 1,900 से बढ़ाकर 3,110 मीटर (6,230 से 10,200 फीट) करते हुए रनवे को 1,210 मीटर (3,970 फीट) बढ़ाया जाना है। इस विस्तार के बाद यह हवाई अड्डा आसानी से एयरबस-320/330 और बोइंग 737 जैसे संकीर्ण आकार के टर्बोफैन विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। इससे न केवल कांगड़ा जिले के लिए पर्यटन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बल्कि चंबा, हमीरपुर और ऊना जिलों को भी फायदा होगा।


कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है।

वर्तमान हवाई अड्डा 2,492 फीट (760 मीटर) की ऊंचाई पर, 1,269 एकड़ (514 हेक्टेयर) में एक डामर रनवे के साथ बना हुआ है, जो 15/33, 1,372 गुणा 30 मीटर (4,501 गुणा 98 फीट) की ओर उन्मुख है। इसका 91 गुणा 61 मीटर (300 गुणा 200 फीट) एप्रन एटीआर 72 और डैश 8 सीरीज 400 जैसे दो टर्बोप्रॉप विमानों के लिए पार्किंग स्थान प्रदान करता है, जबकि इसकी टर्मिनल बिल्डिंग 100 यात्रियों को संभाल सकती है, आगमन में 50 यात्री और प्रस्थान में 50 यात्री। इसके छोटे रनवे के साथ-साथ अधिक ऊंचाई के कारण, हवाईअड्डे पर लोड पेनाल्टी है और इस हवाईअड्डे पर विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति भी नहीं है, जिसके कारण इस मार्ग पर कम उपयोग और उच्च हवाई किराए हैं।

एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण



एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण



हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मांझी खड्ड पर कंकरीट का पुल डालकर गगल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भारतीय विमानन प्राधिकरण केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे की टीम ने हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में गगल एयरपोर्ट का रनवे 1,330 मीटर है। पहले चरण में रनवे को 1,900 मीटर किया जाएगा। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 3,010 मीटर की जाएगी।

विस्तारीकरण के बाद यहां 320 सीटर जहाज उतर पाएगा, जिससे दिल्ली से कांगड़ा के हवाई सफर का किराया आधा होने की संभावना रहेगी। बीते नवंबर में सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे की टीम गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की संभावनाएं तलाशने के लिए कांगड़ा पहुंची थी। इस दौरान टीम ने गगल एयरपोर्ट सहित साथ लगते क्षेत्रों, खड्डों और नालों का निरीक्षण किया था। टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया था कि मांझी खड्ड सहित अन्य नालों का तटीकरण (चौनलाइजेशन) कर यहां पर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक पर्वतीय राज्य है और परिवहन के अन्य साधनों की अनुपलब्धता सड़कों को अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन का एकमात्र साधन बनाती है। इसके अलावा, लंबी यात्रा का समय और सुरक्षा पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति के दौरान बड़े मुद्दे हैं इसलिए हवाई संपर्क समय की बचत और सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए विश्वसनीय और निर्बाध हवाई संपर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय विमानन बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो हिमाचल प्रदेश को विमानन और संबद्ध व्यवसायों में निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना देगा। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में हवाई अड्डों का निर्माण/विस्तार कराया जायेगा।

इसलिए, राज्य के समग्र विकास और कांगड़ा जिले के विकास को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है जो व्यापक रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित साइट केंद्रीय रूप से स्थित है और अन्य महत्वपूर्ण/धार्मिक/पर्यटन स्थलों के साथ निकटता में है।

1.2 दिल्ली-धर्मशाला के बीच होती हैं शिफ्ट तीन उड़ानें :

वर्तमान में दिल्ली-धर्मशाला के बीच गगल एयरपोर्ट पर तीन उड़ानें लैंड और टेकऑफ होती हैं। इसके अलावा शिमला के लिए भी यहां से उड़ानें होती हैं। गगल एयरपोर्ट का विस्तार होता है तो यहां पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे।

1.3 हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता :

हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसमें गगल हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई संपर्क है। सीमित रनवे लेंथ व लोड पेनाल्टी के कारण यह हवाई अड्डा छोटे विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है, परिणामतः हवाई किराया बहुत अधिक है। अधिक मांग और बहुत सीमित सीटें होने के कारण देश में गगल हवाई अड्डे के लिए विमान किराया उच्चतम स्तर पर है, जिससे राज्य में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदानुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा हवाई अड्डे का बाधा/व्यवधान सीमा सतह सर्वेक्षण किया गया था तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोजन के लिए भूमि चयनित की गई है। यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ-साथ प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिंग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी।

1.4 परियोजना स्थल :

तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल जुगेहड, रछियालू, कियोड़ी और भड़ोत तथा तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के महाल भेडी, ढुगियारी खास, सनौर, बल्ला, सहौड़ा, मुंगरेहाड, बाग, गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी में अवस्थित कुल 147-75-87 हैक्टर प्रस्तावित भूमि (सरकारी भूमि और निजी भूमि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गगल (कांगड़ा) हवाई अड्डे, जिला कांगड़ा के विस्तारीकरण के लिए चयन किया गया है।

1.5 परियोजना के लिए वैकल्पित स्थान :

प्रभावित क्षेत्र के निवासियों एवं पचायत के सदस्यों से बात करने से ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि फसल उत्पादन के लिए ज्यादा उपजाऊ हैं और इसके साथ परियोजना क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियाँ एवं अवास भी प्रभावित हो रहा है। इससे क्षेत्र कि आर्थिक स्थिती खराब होगी एवं परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सब्जी उत्पादन में कमी आयेगी। इस प्रभाव से बचने के लिए लोगो ने परियोजना के लिए तीन वैकल्पित सुझाव दिये जो निम्नवत हैं:

क. क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों के अनुसार इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह कि ओर विस्तार कर सकते हैं, इस क्षेत्र में अबादि कम हैं और खली भूमि का क्षेत्रफल अधिक हैं।



ख. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि०मी० कि दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि०मी० पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड के लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि०मी० एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि०मी० पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि०मी० एवं ऊना से लगभग 100 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पित स्थान का चयन किया जाए।




Proposed site as per current proposal.




संस्था: एसआर एशिया


एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण





एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण




एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण




एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण





Alternative site 1



Alternative Site-2



एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण



एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण



वैकल्पित स्थान : ग्राम बोड़क्वाल

अध्याय—दो

सामाजिक समाघात आंकलन की अध्ययन पद्धति

2.1 परिचय :

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (भारत का राज पत्र असाधारण भाग—दो, खण्ड—एक, 27 सितम्बर 2013) और हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन नियम, 2015 के अनुसार जब कभी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थित, पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से ऐसी रीति में और ऐसी तारीख से जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी। अध्याय—2 धारा (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। अर्थात् (क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है। (ख) प्रभावित परिवारों का और उन परिवारों की संख्या का प्राक्कलन जिनके विस्थापित होने की सम्भावना है। (ग) ऐसी सार्वजनिक और निजी भूमि, भवनों, बन्दोबस्तों और अन्य समान परिसम्पत्तियों की सीमा जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की सम्भावना है। (घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तय की गयी है। (च) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किये जाने पर विचार किया गया है, और उसे साध्य नहीं पाया गया है। (छः) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनके ठीक करने की प्रकृति और खर्चा तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र, खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में सामाघात का अध्ययन। इस प्रकार किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु निजी भूस्वामियों की भूमि को अधिग्रहण करने से पूर्व सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना आवश्यक किया गया है।

2.2 सामाजिक समाघात अध्ययन की आवश्यकता :

कांगड़ा हवाई अड्डा का विस्तार राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हवाई अड्डा के विस्तार हेतु संबंधित जनपद में भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। इससे सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की भूमि सम्मिलित है। जिन निजी भू-स्वामियों की भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नियमों के तहत अधिग्रहित कर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश शासन को हस्तांतरित की जायेगी। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यकता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, यानी हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम 2015 (एचपीएसआईए नियम, 2015) के अनुपालन में, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, एचआईपीए की निविदा के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, (हिपा) हिमाचल प्रदेश सरकार, एसआर एशिया द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किया गया।

2.3 अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन का उद्देश्य हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनको होने वाले नुकसान का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने हेतु सुझाव देना है। प्रस्तुत सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन RCTLARR अधिनियम, 2013 और HP SIA नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया।

- यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।

- प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों रूप से विस्थापित होने की संभावना है।
- परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष रूप से भूमि खोने वाले परिवारों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों दोनों को सामिल करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और कुल लागत पर इन लागतों का प्रभाव और परियोजना के लाभ का आकलन करना।
- यह पता लगाने के लिए कि जहां कम से कम विस्थापन की समस्या है, उस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है, लेकिन वह स्थल ही परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.4 अध्ययन पद्धति :

कांगड़ा जिले के कांगड़ा तहसील के दस ग्राम (गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा एवं बल्ला) के 108.4707 हे० भूमि और शाहपुर तहसील के चार (जुगेहड, कियोड़ी, भड़ोत एवं रछियालू) ग्रामों के 39.2880 हे० भूमि हवाई अड्डा विस्तार परियोजना से प्रभावित है, इस प्रकार दोनों तहसील के कुल 147.7587 हे० भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। एस आर एशिया संस्था की एस.आई.ए.टीम द्वारा सभी ग्रामों के 1446 प्रभावित परिवारों से दिनांक 28 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक ग्रामों में लगातार घर-घर जाकर साक्षात्कार करने हेतु मिलने का प्रयास किया गया तथा जो भूस्वामीं ग्राम से बाहर थे उनसे दूरभाष के माध्यम से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से साक्षात्कार करने का प्रयास किया

गया। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि झकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोग साक्षात्कार देने से मना कर दिये। पंचायत के लोगो ने एस.आई.ए.टीम टीम को भी ग्राम के अन्दर साक्षात्कार करने से रोका एवं टीम के लोगों को धमकियाँ भी दी, उनका कहना था कि जब हम लोग को हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि नहीं देनी हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में परियोजना से संबंधित कई बार सर्वे का कार्य हुआ है। हवाई अड्डा विस्तार से क्षेत्र में बहुत ज्यादा मकान एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, इसलिए क्षेत्र के लोगों में परियोजना के प्रति काफी रोष है और परियोजना के विरोध में हैं। इसलिए लोगों ने साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस.आई.ए के लाभ को SDM एवं ADC कई बैठको के माध्यम से ग्रामों के परिवारों को बताने का प्रयास किये, परंतु लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और साक्षात्कार देने से मना कर दिये। एस आर एशिया संस्था की एस.आई.ए.टीम को कुछ ग्राम के 399 (34.04 प्रतिशत) परिवार के लोगों ने साक्षात्कार दिये, जिसके अघार पर एस.आई.ए.टीम ने प्रभावित ग्रामों के परिवारों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। यह भी उल्लेख करना अवश्यक है कि परिवार के केवल एक सदस्य ने साक्षात्कार दिया, अन्य सदस्य साक्षात्कार देने से मना कर दिये, कुछ परिवार ग्राम से बाहर रहते है एवं अन्य विभिन्न कारणों से 773 परिवारों से साक्षात्कार नहीं हो पाया। जिसका ग्रामवार विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तथा तहसील स्तर से आंकड़ें प्राप्त किये गये। साथ ही प्रभावित ग्रामों मे सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर भी प्राथमिक आंकड़े संकलित करने का प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा के विस्तार से संबन्धित ग्राम से विभिन्न हितधारकों से भी विचार-विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को पूर्ण किया गया।

तालिका – 2.1

ग्रामवार प्रभावित परिवारों की संख्या

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	प्रभावित परिवारों संख्या	साक्षात्कार हुआ	साक्षात्कार नहीं हुआ
तहसील : शाहपुर				
1	रछियालू	205	75	130
2	भड़ोत	15	5	10
3	कियोड़ी	98	39	59
4	जुगेहड़	91	28	63
तहसील : कांगड़ा				
5	भेडी	19	15	4
6	दुगियारी खास	24	17	7
7	सनौर	138	54	84
8	बल्ला	95	61	34
9	सहौड़ा	41	12	29
10	मुंगरेहाड	45	28	17
11	बाग	46	8	38
12	गगल खास	355	57	298
	योग	1172	399 (34.04)	773 (65.96)
13	बरसवालकड	153	0	153
14	झिकली इच्छी	121	0	121

नोट : सूची में नाम बार-बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ है। बरसवालकड और झिकली इच्छी के लोगो ने साक्षात्कार का पूर्ण रूप से विरोध किये।



2.5 अध्ययन के उपकरण :

अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का मिश्रण किया गया। प्रस्तुत सामाजिक सामाघात आंकलन अध्ययन को पूर्ण करने में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया।

7. डेस्क समीक्षा
 8. स्थल भ्रमण
 9. ग्राम स्तरीय प्रोफॉर्मा
 10. प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची,
 11. भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए)
 12. सामूहिक विचार विमर्श हेतु निर्देशक प्रसंग तथा
- 7 डेटा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन

डेस्क समीक्षा :

अध्ययन के दौरान RECTLARR अधिनियम 2013, उपलब्ध प्रतिवेदन, परियोजना से संबंधित दस्तावेज और राजस्व और भूमि सुधार विभाग से रिकॉर्ड, और नक्शे सहित साहित्य, भूमि मालिकों का विवरण आदि की समीक्षा की गई। यह पीएएफ की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति, परियोजना के प्रभाव के परिमाण और परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों को समझने के लिए किया गया था। डेस्क समीक्षा ने प्राथमिक आकड़ा संग्रह के लिए उपकरण विकसित करने में भी मदद करेगा।

स्थल भ्रमण :

परियोजना की भूमि और भूमि उपयोग पर संसाधनों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए परियोजना टीम ने उस भूमि का भौतिक रूप से दौरा किया जिसे अधिग्रहित किया जाना था। इससे संभावित प्रभावों का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।

ग्राम सर्वेक्षण प्रश्नावली :

प्रभावित ग्रामों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और परियोजना के प्रभावों की सभी श्रेणियों को समझने के लिए एक ऑफलाइन प्रश्नावली तैयार की गई। ऑकड़ा संग्रह के उद्देश्य से ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जबकि ऑकड़ा सारणीकरण और ऑकड़ा विश्लेषण उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों में खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली का नमूना प्रतिवेदन में संलग्न है। साथ ही, समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए साइट के दौरे और प्रश्नावली सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ केंद्रित समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। एसआईएमपी (सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान) को समग्र दृष्टिकोण देने के लिए इनका और विश्लेषण किया गया।

व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रश्नावली :

प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और परियोजना के प्रभावों की सभी श्रेणियों को समझने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की प्रश्नावली (जोहो सर्वे से तैयार) तैयार की गई। ऑकड़ा संग्रह के उद्देश्य से ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था, जबकि तालिका बनाने और ऑकड़ा विश्लेषण के उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियों में खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। साथ ही, समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए साइट के दौरे और प्रश्नावली सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ केंद्रित समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। एसआईएमपी (सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान) को समग्र दृष्टिकोण देने के लिए इनका और विश्लेषण किया गया।

भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) :

पीआरए गतिविधि परियोजना प्रभावित परिवारों के संसाधनों और सामुदायिक रूपरेखा का मानचित्रण करने के लिए की गई थी। समुदाय और गाँवों के सामाजिक-राजनीतिक प्रोफाइल का विस्तृत मूल्यांकन सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर अध्याय में दिया गया है।

सामूहिक विचार विमर्श हेतु निर्देशक प्रसंग :

स्थिति को गहराई से समझने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों, पंचायत सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि हितधारकों के साथ सामूहिक विचार विमर्श आयोजित किया गया। परियोजना स्थल के मानचित्र और अन्य संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इन दस्तावेजों का उपयोग भूमि के बारे में विवरण, उस भूमि को प्राप्त करने की आवश्यकता, परियोजना से गाँव को होने वाले लाभों और हितधारकों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। आयोजित चर्चाओं का विवरण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय में उल्लिखित है।

आंकड़े विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन :

प्रभावित आबादी पर प्रासंगिक आधारभूत जानकारी का सारांश प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नावली और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से एकत्र किए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया था। परियोजना प्रभाव की सभी श्रेणियां जिनमें लोगों और सामान्य पर्यावरण पर भौतिक और आर्थिक प्रकृति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है। जन सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक रिकॉर्ड अनुसंधान के माध्यम से एकत्र किए गए सभी आंकड़े को प्रतिवेदन के रूप में संकलित और विश्लेषित किया गया था।

2.6 टीम संयोजन :

इस सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन को एस आर एशिया संस्था गाजियाबाद के निम्नलिखित स्टाफ द्वारा पूर्ण किया गया।

क्र०सं०	नाम	पद	अनुभव
1	श्री बीरेंद्र रतूड़ी	विशेषज्ञ सलाहकार	25
2	श्री अजय कुमार सिंह	परियोजना प्रमुख और रिसर्च एसोसिएट	24
3	सुश्री तरनजीत कौर	संचार प्रबंधक	10
4	सुश्री रमीन अंजुम	रिसर्च एसोसिएट	4
5	सुश्री स्नेहा रतूड़ी	शोध सहायक	2
6	श्री आकाश रतूड़	शोध सहायक	2
7	श्री रवीन्द्र कुमार	शोध सहायक	3
8	सुश्री भावना	अनुसंधान सहायक	2
9	सुश्री निरूपमा	अनुसंधान अन्वेषक	2
10	सुश्री सुनिता देवी	अनुसंधान अन्वेषक	2
11	सुश्री निकीता ठाकुर	अनुसंधान अन्वेषक	2

क्र०सं०	नाम	पद	अनुभव
12	श्री निशांत	अनुसंधान अन्वेषक	2
13	श्री मोनिम इमाम	अनुसंधान अन्वेषक	2
14	श्री राज कुमार	अनुसंधान अन्वेषक	3
15	श्री करतार सिंह	अनुसंधान अन्वेषक	2
16	श्री कुनजंग लमहु	अनुसंधान अन्वेषक	2
17	सुश्री रविन्द्रा नेगी	अनुसंधान अन्वेषक	3

2.7 समय विवरण :

क्र०सं०	विवरण	सप्ताह					
		1	2	3	4	5	6
1	टीम का गठन						
2	डेस्क अनुसुधान						
3	कार्य योजना फील्ड						
4	टीम का प्रशिक्षण						
5	हितधारक के साथ बैठक						
6	स्थल भ्रमण						
7	प्रश्नावाली सर्वेक्षण						
8	आंकड़े विश्लेषण						
9	प्रतिवेदन लेखन						
10	आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करना						
11	सार्वजनिक सुनवाई						
12	अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना						

2.8 जन सुनवाई

RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 5 में परिकल्पना की गई है कि जब भी सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता होती है, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित क्षेत्रों में एक जन सुनवाई आयोजित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित परिवारों के विचार रिकॉर्ड किए गए हैं और सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। एसआर एशिया के आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और विज्ञापन देने के बाद जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

अध्याय-तीन

भूमि आंकलन

किसी भी प्रकार के निर्माण/विस्तार कार्य के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। विशेष रूप से हवाई अड्डा निर्माण/विस्तार हेतु प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जनपद कांगड़ा के कांगड़ा तहसील के दस ग्रामों और शाहपुर तहसील के चार ग्रामों में हवाई अड्डा के विस्तार के लिए रेखांकन किया गया है।

3.1 परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण :


परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि, ग्रामों की संख्या एवं जनपद में हवाई अड्डा विस्तार का विवरण तालिका 3.1 में दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद कांगड़ा के प्रभावित शाहपुर और कांगड़ा तहसील के 14 ग्रामों में हवाई अड्डा के विस्तार के अन्तर्गत कुल 147.7587 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से 25.1064 हे0 (16.99 प्रतिशत) भूमि सरकारी है शेष (83.02 प्रतिशत) 122.6623 हे0 भूमि निजी कृषकों की है। हमारे संस्था द्वारा 147.7587 हे0 भूमि का सामाजिक समाघात आंकलन किया गया है।

तालिका-3.1

तहसीलवार परियोजना के अन्तर्गत वांछित भूमि आदि का विवरण

क्र०सं०	विवरण	संख्या/क्षेत्रफल (हे०)		
		शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	संरक्षण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि	39.2880 (100.0)	108.4707 (100.0)	147.7587 (100.0)
2	सरकारी भूमि	3.8878 (9.90)	21.2186 (19.56)	25.1064 (16.99)
3	निजी भूमि	35.4102 (90.13)	87.2521 (80.44)	122.6623 (83.02)
4	सामाजिक समाघात आंकलन हेतु भूमि	39.2880 (100.0)	108.4707 (100.0)	147.7587 (100.0)
कुल ग्रामों की संख्या		4	10	14

स्रोत: कार्यालय तहसील



3.2 तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्राम है। इस प्रकार शाहपुर तहसील के 4 ग्रामों में 39.2880 हे० (26.59 प्रतिशत) और कांगड़ा तहसील के 10 ग्रामों में 108.4707 हे० (73.41 प्रतिशत) भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।


तालिका-3.2

परियोजना के अन्तर्गत तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र०सं०	तहसील का नाम	गाँव की सं०	क्षेत्रफल (हे०)
1	शाहपुर	04	39.2880 (26.59)
2	कांगड़ा	10	108.4707 (73.41)
3	कुल	14	147.7587 (100.0)

स्रोत: कार्यालय तहसील

तहसीलवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण



3.3 ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण :

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जनपद कांगड़ा में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित/सामाजिक समाघात हेतु प्रस्तावित कुल 14 ग्रामों की भूमि है। जिसमें 83.02 प्रतिशत भूमि निजी एवं 16.99 प्रतिशत भूमि सरकारी हैं। ग्रामवार सरकारी एवं निजी भूमि का क्षेत्रफल तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3


परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

(भूमि हे० में)

क्र० सं०	ग्राम का नाम	संरक्षण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि	सरकारी भूमि	निजी भूमि
1	रछियालू	29.4354 (100)	2.7228 (9.25)	26.7126 (90.75)
2	भड़ोत	0.2058 (100)	0.0836 (40.62)	0.1222 (59.38)
3	कियोड़ी	6.2895 (100)	0.2253 (3.58)	6.0642 (96.42)
4	जुगेहड़	3.3673 (100)	0.8461 (25.12)	2.5112 (74.58)
शाहपुर तहसील		39.2880 (100)	3.8778 (9.90)	35.4102 (90.12)
5	भेडी	3.5124 (100)	0.3191 (9.08)	3.1933 (90.92)
6	ढुगियारी खास	1.1998 (100)	0.0488 (4.07)	1.151 (95.93)
7	सनौर	12.0366 (100)	2.7301 (22.68)	9.3065 (77.32)

8	गगल खास	29.7536 (100)	9.9469 (33.43)	19.8067 (66.57)
9	झिकली इच्छी	17.744 (100)	3.1929 (17.99)	14.5511 (82.01)
10	सहौड़ा	3.5118 (100)	0.5179 (14.75)	2.9939 (85.25)
11	मुंगरेहाड़	2.8358 (100)	0.4031 (14.21)	2.4327 (85.79)
12	बाग	5.0211 (100)	0.4715 (9.39)	4.5496 (90.61)
13	बरसवालकड़	25.2331 (100)	3.1112 (12.33)	22.1219 (87.67)
14	बल्ला	7.6225 (100)	0.4771 (6.26)	7.1454 (93.74)
कांगड़ा तहसील		108.4707 (100)	21.2186 (19.56)	87.2521 (80.44)
योग		147.7587 (100)	25.1064 (16.99)	122.6623 (83.02)

स्रोत: कार्यालय तहसील




परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है। तालिक से ज्ञात होता है कि इन चौदह ग्राम में से सबसे ज्यादा 764 खसरा गगल खास एवं 13 खसरा भड़ोत ग्राम के हैं। क्षेत्रफलवार भी कुल क्षेत्रफल का 20.14 प्रतिशत गगल खास के एवं 0.14 प्रतिशत भूमि भड़ोत ग्राम का है। ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका-3.4

परियोजना के अन्तर्गत ग्रामवार अर्जन की जाने वाली खसरो की संख्या एवं भूमि का विवरण
(भूमि हे० में)

क्र० सं०	ग्राम का नाम	संरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि		सरकारी भूमि		निजी भूमि	
		भूमि	खसरा संख्या	भूमि	खसरा संख्या	भूमि	खसरा संख्या
1	रछियालू	29.4354 (19.92) (74.92)	644	2.7228 (70.03)	42	26.7126 (75.44)	602
2	भड़ोत	0.2058 (0.14) (0.52)	13	0.0836 (2.15)	3	0.1222 (0.35)	10
3	कियोड़ी	6.2895 (4.26) (16.01)	147	0.2253 (5.79)	7	6.0642 (17.13)	140
4	जुगेहड़	3.3673 (2.28) (8.57)	69	0.8561 (22.02)	6	2.5112 (7.09)	63
शाहपुर तहसील		39.2880 (100)	873	3.8878 (100)	58	35.4102 (100)	815
5	भेडी	3.5124 (2.38) (3.24)	55	0.3191 (1.50)	9	3.1933 (3.66)	46
6	ढुगियारी खास	1.1998 (0.81) (1.11)	44	0.0488 (0.23)	2	1.151 (1.32)	42
7	सनौर	12.0366 (8.15) (11.10)	273	2.7301 (12.87)	39	9.3065 (10.67)	234
8	गगल खास	29.7536 (20.14) (27.43)	764	9.9469 (46.88)	213	19.8067 (22.70)	551
9	झिकली इच्छी	17.744 (12.01) (16.35)	382	3.1929 (15.05)	53	14.5511 (16.68)	329
10	सहौड़ा	3.5118 (2.38) (3.24)	64	0.5179 (2.44)	17	2.9939 (3.43)	47
11	मुंगरेहाड़	2.8358 (1.92) (2.61)	55	0.4031 (1.90)	9	2.4327 (2.79)	46
12	बाग	5.0211 (3.40) (4.63)	93	0.4715 (2.22)	7	4.5496 (5.21)	86
13	बरसवालकड़	25.2331 (17.08) (23.26)	463	3.1112 (14.66)	83	22.1219 (25.34)	380
14	बल्ला	7.6225 (5.16) (7.03)	156	0.4771 (2.25)	24	7.1454 (8.19)	132
कांगड़ा तहसील		108.4707 (100)	2349	21.2186 (100)	456	87.2521 (100)	1893
योग		147.7587 (100.0)	3222	25.1064	514	122.6623	2708

स्रोत : कार्यालय तहसील ,



3.4 भूमि का प्रकार

इस परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि, गैर-कृषि और व्यावसायिक भूमि है। भूमि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की हैं।

3.5 भूमि का उपयोग :

पीएफ के साथ चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना स्थल कि अधिकतम भूमि पर कृषि का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त गैर-कृषि, अवासिये, वाणिज्यिक और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी हैं।

अध्याय—चार

प्रभावित ग्रामों की सामाजिक एवं आर्थिक रूपरेखा

जैसा कि पूर्व अध्यायों में वर्णित किया गया है, कि जनपद कांगड़ा के तहसील शाहपुर और कांगड़ा के चौदह ग्राम हवाई अड्डा विस्तार परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिनियम 2013 एवं 2015 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पूर्व प्रभावित ग्रामों तथा भूस्वामियों के सबन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रभावित ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं एवं रूपरेखा का विवरण अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

4.1 ग्रामों की अवस्थिति :

प्रभावित ग्रामों की अवस्थिति का विवरण तालिका 4.1 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्राम विकास खण्ड से 5 से 10 कि०मी० तक के दूरी तक हैं। तहसील से दस ग्राम 5 से 10 कि०मी० तथा चार ग्राम 10 से 15 कि०मी० कि दूरी पर स्थित है। अन्य विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से प्रभावित ग्रामों की दूरी 0 से 10 कि०मी० तक हैं जिसका विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका : 4.1

विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं से दूरी के अनुसार प्रभावित ग्रामों की संख्या

क्र० सं०	संस्था का नाम	दूरी (कि.मी.)				
		0 कि.मी.	5.0 कि. मी.तक	5.1 से 10.0 कि.मी.	10.01 से 15.00 कि. मी.	15.01 कि. मी.से अधिक
1	विकास खण्ड से दूरी (कि.मी.)	0	0	14 (100.0)	0	0
2	तहसील मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	0	0	10 (71.43)	4 (28.57)	0
3	जनपद मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	0	0	0	14 (100.0)	0

4	नजदीकी बस स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
5	नजदीकी रेलवे स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	0	0	14 (100.0)	0	0
6	राजमार्ग से दूरी (कि.मी.)	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
7	पुलिस स्टेशन से दूरी (कि.मी.)	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.2 जनांकिकी स्थिति एवं श्रेणी :

प्रभावित तहसील के प्रभावित ग्रामों की जनसंख्या का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है। स्पष्ट है कि सभी प्रभावित ग्रामों में कुल जनसंख्या में पुरुषों का 50.27 प्रतिशत एवं महिलाओं का 49.73 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.93 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 7.64 प्रतिशत एवं महिला 7.70 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं। अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.64 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 1.70 प्रतिशत एवं महिला 1.57 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं। इसी प्रकार मुख्य कर्मकर की संख्या कुल जनसंख्या का 43.33 प्रतिशत हैं। जबकि पुरुष 53.23 प्रतिशत एवं महिला 33.32 प्रतिशत कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या का हैं। तहसीलवार पुरुषों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है।


तालिका : 4.2

प्रभावित तहसील के प्रभावित ग्रामों के परिवारों की जनसंख्यिकीय स्थिति

क्र० सं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	कुल	1606 (100.0)	9933 (100.0)	11539 (100.0)
1.1	पुरुष	769 (47.88)	5032 (50.27)	5801 (50.27)
1.2	महिला	837 (52.11)	4901 (49.73)	5738 (49.73)
2	अनुसूचित जाति	258 (16.06)	657 (6.61)	915 (7.93)
2.1	पुरुष	121 (15.73)	322 (6.39)	443 (7.64)
2.2	महिला	137 (16.36)	305 (6.22)	442 (7.70)

3	अनुसूचित जन जाति	79 (4.92)	110 (1.11)	189 (1.64)
3.1	पुरुष	42 (5.46)	57 (1.13)	99 (1.70)
3.2	महिला	37 (4.42)	53 (1.08)	90 (1.57)
4	परिवारों की संख्या	384	2140	2524
5	साक्षरता दर	86 %	78 %	79%
6	मुख्य कर्मकर	588 (36.61)	4412 (44.41)	5000 (43.33)
6.1	पुरुष	395 (51.37)	2693 (53.52)	2693 (53.23)
6.2	महिला	193 (23.06)	1719 (35.07)	1719 (33.32)

स्रोत : जनगणना 2011



4.3 आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता :

वाणिज्यिक/ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी क्रय-विक्रय/ऋण समिति, दैनिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, सब्जी/गल्ला मंडी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, खाद-बीज गोदाम एवं कृषि यंत्र स्टोर की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रस्थिति को तालिका 4.3 में दर्शाया गया है। विचाराधीन सुविधाओं के सम्बन्ध में तालिका से ज्ञात होता है कि सब्जी/गल्ला मंडी, गोहूँ,

धान क्रय केन्द्र और कोल्ड स्टोरेज के अलावा सभी उपलब्धता सुविधाएँ 0 से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

तालिका : 4.3

आर्थिक संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी.)

क्र0 सं0	संस्था का नाम	गाँव में	5 कि.मी.	5-10 कि.मी.	10 कि.मी. से अधिक
1	वाणिज्यिक / ग्रामीण बैंक	2 (14.29)	12 (85.71)	0	0
2	सहकारी बैंक	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0
3	सहकारी क्रय विक्रय / ऋण समिति	1 (7.14)	13 (92.86)	0	0
4	दैनिक बाजार / साप्ताहिक बाजार	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
5	सब्जी / गल्ला मंडी	0	0	14 (100.0)	0
6	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	10 (71.43)	4(28.57)	0	0
7	खाद / बीज गोदाम	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
8	कृषि यंत्र स्टोर	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0
9	गेहूँ, धान क्रय केन्द्र	0	0	0	14 (100.0)
10	कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	14 (100.0)
	कुल ग्रामों की संख्या		14(100.00)		

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.4 सामाजिक / धार्मिक स्थल :

प्रभावित ग्रामों में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं / स्थलों की उपलब्धता अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में दूरी का विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्रामों में मंदिर स्थित हैं, जबकि 10 ग्राम में खेल का मैदान, 5 ग्राम में मेला स्थल, 2 ग्राम में पुरुषों एवं महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, ग्यारह ग्राम में शमशान / कब्रिस्तान स्थित हैं। शेष ग्राम एवं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं / स्थलों जैसे कि पुरुषों / महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय, मस्जिद, गुरुद्वारा, खेल का मैदान तथा मेला स्थल की दूरी ग्राम से 5 कि०मी० के अन्तर्गत हैं। गिरिजाघर एवं मस्जिद की दूरी प्रभावित ग्रामों से 5 से 10 कि०मी० तक है।

तालिका : 4.4

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं की उपलब्धता (दूरी कि.मी. में)

क्र० सं०	संस्था / स्थल	गाँव में	2 कि.मी. तक	2-5 कि.मी.	5-10 कि.मी.	10 कि.मी. से अधिक
1	मंदिर	14 (100.0)	0	0	0	0
2	मस्जिद	0	0	0	14 (100.0)	0
3	गिरिजाघर	0	0	0	14 (100.0)	0
4	गुरुद्वारा	0	5 (35.71)	5 (35.71)	4 (28.57)	0
5	खेल का मैदान	10 (71.43)	4 (28.57)	0	0	0
6	मेला स्थल	5 (35.71)	9 (64.29)	0	0	0
7	पुरुष-सार्वजनिक शौचालय	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
8	महिला-सार्वजनिक शौचालय	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
9	शमशान / कब्रिस्तान	11 (78.57)	3 (21.43)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.5 राजनैतिक, प्रशासनिक संस्थाएँ :

प्रभावित ग्रामों में राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता तथा उपलब्ध न होने की स्थिति में दूरी का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित सात ग्रामों में पंचायत भवन स्थित है, दो ग्राम में स्वैच्छिक संस्थाएँ, एक ग्राम में राजनैतिक दलों के कार्यालय, सात ग्राम में डाकघर एवं एक ग्राम में पुलिस स्टेशन स्थित हैं। शेष प्रभावित ग्रामों में से राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता की दूरी 2 से 4 कि०मी० तक स्थित हैं, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका : 4.5

राजनैतिक/प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता

दूरी (कि.मी.)

क्रम सं०	संस्था/स्थल	गाँव में	2 कि.मी.	2-4 कि.मी.	4-6 कि.मी.	6-10 कि.मी.	10 कि.मी. से अधिक
01	पंचायत घर	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0	0
02	स्वैच्छिक संस्थाएँ	2 (14.29)	5 (35.71)	7 (50.00)	0	0	0
03	राजनैतिक दलों के कार्यालय	1 (7.14)	10 (71.43)	3 (21.43)	0	0	0
04	डाकघर	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0	0
05	पुलिस स्टेशन	1 (7.14)	10 (71.43)	3 (21.43)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.00)					

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.6 शिक्षण संस्थाएँ :

प्रभावित ग्रामों में शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रभावित आठ ग्रामों में प्राइमरी स्कूल, सात ग्राम में उच्च प्राइमरी स्कूल, दो ग्राम में हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज, एक ग्राम में डिग्री कालेज एवं आई0 टी0 आई0 और पाँच ग्राम में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल उपलब्ध है। शेष ग्रामों में शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका : 4.6
शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी. में)

क्रम सं०	स्कूल/कालेज	गाँव में	2 कि.मी.	2-4 कि.मी.	4-6 कि.मी.	6 कि.मी. से अधिक
01	प्राइमरी स्कूल	8 (57.14)	6 (42.86)	0	0	0
02	उच्च प्राइमरी स्कूल	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
03	मदरसा	0	0	0	0	14 (100.0)
04	हाईस्कूल	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
05	इण्टर कालेज	2 (14.29)	10 (71.43)	2 (14.29)	0	0
06	डिग्री कालेज	1 (7.14)	6 (42.86)	7 (50.00)	0	0
07	आई० टी० आई०	1 (7.14)	5 (35.71)	6 (42.86)	2 (14.29)	0
08	अंग्रेजी माध्यम के स्कूल	5 (35.71)	7 (50.00)	2 (14.29)	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14(100.00)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.7 स्वास्थ्य सेवाएँ :

हवाई अड्डा के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है। प्रभावित सभी ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध है। जबकि सात ग्राम में ए०एन०एम० केन्द्र, तीन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ऐलोपैथीक चिकित्सा, होमियोपैथी चिकित्सा, दो ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा और बारह ग्रामों में झोलाछाप डाक्टर अवस्थित है। प्रभावित शेष ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध 6 कि.मी. तक है।

तालिका : 4.7
स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व दूरी (कि.मी. में)

क्रम सं०	सेवा	गाँव में	2 कि.मी.	2-4 कि.मी.	4-6 कि.मी.	6 कि.मी. से अधिक
01	आंगनबाड़ी केन्द्र	14 (100.0)	0	0	0	0
02	ए0एन0एम0 केन्द्र	7 (50.00)	7 (50.00)	0	0	0
03	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	3 (21.43)	5 (35.71)	6 (42.86)	0	0
04	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2 (14.29)	5 (35.71)	4 (28.57)	3 (21.43)	0
5.1	ऐलोपैथीक चिकित्सा	3 (21.43)	7 (50.00)	4 (28.57)	0	0
5.2	होमियोपैथी चिकित्सा	3 (21.43)	7 (50.00)	4 (28.57)	0	0
5.3	आयुर्वेदिक चिकित्सा	2 (14.29)	7 (50.00)	5 (35.71)	0	0
5.4	झोलाछाप डाक्टर	12 (85.71)	2 (14.29)	0	0	0
कुलग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.8 पशु चिकित्सा सेवाएँ :

प्रभावित तीन ग्राम में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता हैं। जबकि शेष ग्यारह ग्रामों से पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता एक कि.मी. से चार कि०मी० की दूरी तक है। जैसा कि तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका : 4.8

पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता व दूरी कि.मी.

क्रम सं०	सेवा में	ग्राम में	2-4 कि.मी.	4-6 कि.मी.	6-8 कि.मी.	8 कि.मी. से अधिक
01	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
02	पैरावेट	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
03	पशु चिकित्सालय	3 (21.43)	11 (78.57)	0	0	0
कुल ग्रामों की संख्या		14 (100.0)				

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.9 विद्युत कनेक्शन :

प्रभावित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन के प्रकार का विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है। प्रभावित सभी अबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं। शत प्रतिशत अबाद ग्रामों में घरेलू बत्ती/पंखा, विद्युत कनेक्शन तथा 9 ग्राम में औद्योगिक कार्य हेतु औद्योगिक कनेक्शन उपलब्धता है।

तालिका-4.9
विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता

क्रम सं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	घरेलू कनेक्शन	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
02	कृषि कनेक्शन	0 (100.00)	0(100.00)	0 (0.0)
03	औद्योगिक कनेक्शन	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
कुल ग्रामों की संख्या		4(100.00)	10(100.00)	14(100.00)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.10 पेयजल स्रोत :

प्रभावित ग्रामों के पेयजल के स्रोत का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है शत प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः पइप से जलापूर्ति, समरसेबिल/ बोरींग/ ट्यूबवेल तथा कुंआ पीने के पानी का मुख्य स्रोत है।

तालिका-4.10
पेयजल स्रोत की उपलब्धता

क्रमसं०	स्रोत	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	पाइप से जलपूर्ति	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
02	देशी हैंडपम्प	0)	0	0
03	बोरींग/ ट्यूबवेल/समरसेबिल	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
04	कुंआ	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
कुल ग्रामों की संख्या		04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.11 सिंचाई का साधन :

प्रभावित ग्रामों में सिंचाई के स्रोत का विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी ग्रामों में सिंचाई के साधन के रूप में कुहल (water channel) उपलब्धता हैं। जबकि कांगड़ा तहसील के एक ग्राम में सिंचाई के साधन के रूप में राजकीय नलकूप भी उपलब्ध हैं।

तालिका-4.11

सिंचाई के स्रोत की उपलब्धता

क्रम सं०	स्रोत	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	कुहल (water channel)	04 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)
02	राजकीय नलकूप (बोरींग / ट्यूबवेल)	0	1 (10.00)	1 (7.14)
03	निजीनलकूप / पम्पसेट	0	0	0
04	तालाब	0	0	0
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.12 आर्थिक गतिविधियां :

प्रभावित ग्रामों में गठित स्वयं सहायता समूहों का विवरण तालिका 4.12 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत ग्रामों में महिला स्वयं सहायता समूह गठित हैं। जबकि किसी भी ग्राम में पुरुष स्वयं सहायता समूह गठित नहीं हैं।

तालिका-4.12

स्वयं सहायता समूह

क्रमसं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	महिला	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)
02	पुरुष	0	0	0
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.00)	10(100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.13 कुटीर उद्योगों की स्थिति :

प्रभावित ग्रामों में विद्यमान कुटीर उद्योगों का विवरण तालिका 4.13 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रभावित सभी ग्रामों में किराना स्टोर, दूधिया, बकरी पालन इकाइयां उपलब्ध है। शेष अन्य कुटीर उद्योगों की उपलब्धता ग्राम संख्या तालिका में दिया गया है। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र है जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है।

तालिका-4.13

ग्राम में कुटीर उद्योगों की उपलब्धता

क्रमसं०	विवरण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
01	हथकरघा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
02	पावरलूम	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
03	मिनीराइसमिल/पालिशर	2 (50.00)	7 (60.00)	9 (64.29)
04	आटा चक्की	3 (75.00)	9 (90.00)	12 (85.71)
05	तेल घानी	1 (25.00)	3 (30.00)	4 (28.57)
06	किराना स्टोर	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
07	इंजन/आटो मरम्मत	1(25.00)	4 (40.00)	5 (35.71)
08	दूधिया	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
09	बकरी पालन इकाइयां	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
10	सुअर पालन इकाइयां	0 (0.00)	0	0
11	मुर्गी पालन इकाइयां	1 (25.00)	4 (40.00)	5 (35.71)
12	मत्स्य पालन हेतु तालाब	0	0	0
13	टेन्ट हाउस	1 (25.00)	6 (60.00)	7 (50.0)
14	मटन/चिकन/फिश शॉप	1(25.00)	10 (100.0)	11 (78.57)
15	वाइन शॉप (अंग्रेजी/ देशी)	1(25.00)	8 (80.00)	9 (64.29)
	कुल ग्रामों की संख्या	4 (100.0)	10(100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.14 कुरीतियां :

प्रभावित ग्रामों में व्याप्त कुरीतियों का विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है। प्रभावित सभी ग्रामों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासीयों द्वारा बताया गया कि उनके ग्रामों में दहेज प्रथा, विधवा विवाह पाबंदी, लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी, अंधविश्वास, तांत्रिक क्रिया एवं परिवार नियोजन पर पाबंदी बिल्कुल नहीं है। जबकि पंचायती फैसले आदि सामान्य रूप में प्रचलित है।

तालिका : 4.14

ग्राम में व्याप्त कुरीतियां

क्रम सं०	विवरण	अधिक	सामान्य	बिल्कुल नहीं
01	बाल विवाह	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
02	दहेज प्रथा	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
03	अंधविश्वास	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
04	विधवा विवाह पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
05	तांत्रिक क्रिया	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
06	लड़कियों की उच्च शिक्षा पर पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
07	परिवार नियोजन पर पाबंदी	0 (0.00)	0 (0.00)	14 (100.00)
08	पंचायती फैसला	0 (0.00)	14 (80.95)	0 (0.00)
	कुल ग्रामों की संख्या	14 (100.00)		

स्रोत : प्राथमिक आंकड़ें

4.15 पशुधन :

प्रभावित ग्रामों में उपलब्ध पशुधन का विवरण तालिका 4.15 में दिया गया है। स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत आबाद ग्रामों में गोवंशीय, महिषवंशीय एवं बकरियां उपलब्ध हैं।

तालिका-4.15

ग्रामों में पशुधन की उपलब्धता

क्र०सं०	विवरण	हाँ	नहीं
01	गोवंशीय	14 (100.00)	0
02	महिषवंशीय	14 (100.00)	0
03	बकरियाँ	14 (100.00)	0
04	खच्चर	10 (71.43)	4 (28.57)
	कुल ग्रामों की संख्या	14 (100.00)	

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.16 पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता :

प्रभावित सभी अबाद ग्रामों में पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता का विवरण तालिका 4.16 में दिया गया है। स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत प्रभावित ग्रामों में पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हैं।

तालिका-4.16

ग्रामवार पशुओं हेतु हरा चारे की उपलब्धता

क्रम सं०	तहसीलों का नाम	पर्याप्त	अपर्याप्त
01	शाहपुर	हाँ	नहीं
02	कांगड़ा	हाँ	नहीं

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.17 मुख्य फसलें :

प्रभावित ग्रामों में बोयी जाने वाली मुख्य-मुख्य फसलों का विवरण तालिका 4.17 में दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विवरण 14 ग्रामों के सम्बन्ध में है। स्पष्ट है कि रबी की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में गेहूँ एवं सरसों की खेती होती है। खरीफ की फसलों में शत प्रतिशत ग्रामों में धान एवं मक्का बोया जाता है। जबकि जायद की फसलों में कोई फसले नहीं बोयी जाती हैं। वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत अबाद ग्रामों में

सब्जिया (टमाटर, गोभी, बैंगन, भिण्डी, खिरा आदि) तथा आलू बोयी जाती हैं। प्रभावित ग्रामों के मुख्य फसलों में सब्जियाँ (टमाटर, गोभी, बैंगन, भिण्डी, खिरा आदि) हैं। इन ग्रामों में सब्जी कि खेती प्रचुर मात्रा में होती हैं। जो ग्राम के किसानों के आय का मुख्य स्रोत हैं।

तालिका : 4.17

मुख्य फसलें

क्र०सं०	विवरण	तहसीलवार ग्रामों की संख्या		योग
		शाहपुर	कांगड़ा	
अ		श्रबी		
1	गेंहूँ	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	जौ	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	सरसों / लाही	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
4	मसूर	0 (0.00)	0 (0.00)	0
5	चना	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ब		खरीफ		
1	धान	04 (100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	ज्वार	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	बाजरा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
4	उड़द	02 (50.0)	4 (40.00)	6 (42.86)
5	मूंग	0	0	0
6	मक्का	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
स		जायद		
1	उड़द	0	0	0
2	मूंग	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
3	मैथा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
द		वाणिज्यक फसलें		
1	आलू	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
2	सब्जियां	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)
3	मूंगफली	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	अधार	04(100.0)	10 (100.00)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.18 अधिग्रहीत सार्वजनिक परिसम्पत्तियां :

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम समाज/सरकारी भूमि पर स्थित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का विवरण तालिका 4.18 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि लगभग

93 प्रतिशत ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, सिंचाई नाली, मकान, 86 प्रतिशत ग्राम में मंदिर, पेड़-पौधे, 71 प्रतिशत ग्राम में जल निकासी नाली, 64 प्रतिशत ग्राम में दुकान, बोरींग / ट्यूबवेल (पिने के पानी हेतु) आदि प्रभावित हैं। ग्रामवार अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्तियां का विवरण तालिका में दि गई है। जबकि कांगड़ा तहसील का गगल ग्राम क्षेत्र के व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र हैं जो अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है।

तालिका-4.18

अधिग्रहीत भूमि में अवस्थित सार्वजनिक परिसम्पत्तियां

क्र०सं०	परिसम्पत्ति का विवरण	तहसीलवार ग्रामों की संख्या		
		शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	चकरोड / सम्पर्कमार्ग	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
2	बोरींग / ट्यूबवेल (पिने के पानी हेतु)	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
3	सिंचाई नली / गुहल	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
4	जल निकासी नाली	2 (50.00)	8 (80.00)	10 (71.43)
5	विधालय भवन	1 (25.00)	5 (50.00)	6 (42.86)
6	देव स्थान (मठ) / मन्दिर	3 (75.00)	9 (90.00)	12 (85.71)
7	मकान और अन्य ढाचा	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
10	पंचायत भवन	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
11	तालाब	1 (25.00)	0	1 (7.14)
12	चरागाह	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
13	आंगनवाड़ी	2 (50.00)	5 (50.00)	7 (50.00)
14	पेट्रोल टंकी	0	1 (10.00)	1 (7.14)
15	पशु अस्पताल	1 (25.00)	2 (20.00)	3 (21.43)
16	सरकारी भवन (पटवारी, सोसाइटी आदि)	2 (50.00)	4 (40.00)	6 (42.86)
17	दुकान	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
18	शमशान / कब्रिस्तान	0	3 (30.00)	3 (21.43)
19	पेड़-पौधे	2 (50.00)	10 (10.00)	12 (85.71)
20	मुर्गी फार्म	0	1 (10.00)	1 (7.14)
	योग	04 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.19 असहमति के कारण :

प्रभावित ग्रामों के प्रधानों/पंचायत सदस्यों के अनुसार भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से परियोजना के लिए भूमि न देने के कारणों का बहुउत्तरीय विवरण तालिका 4.19 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत ग्रामों में सर्किल रेट बाजार मूल्य से बहुत कम होना, भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना एवं भूमि का अत्यधिक मूल्यवान होना, कई अंशधारको का होना, भूस्वामि का मृत्क होना/वरासत न होने के कारण, 92.86 प्रतिशत ग्राम में अवास का नुकसान होना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का न होना, बेरोजगारी का भय, अवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना एवं ग्राम से पलायन की समस्या आदि कारण बताये गये।

तालिका-4. 19

परियोजना के लिए भूमि न देने के कारण

(बहुउत्तरीय)

क्र० सं०	कारण	शाहपुर	कांगड़ा	योग
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम है	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
2	अवास का नुकसान होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
3	व्यवसाय का नुकसान होना	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
4	भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
5	भूमि सड़क के पास होना	2 (50.00)	7 (70.00)	9 (64.29)
6	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का न होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
7	कई अंशधारको का होना	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
8	बेरोजगारी का भय	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
9	भूस्वामि का मृत्क होना/वरासत न होने के कारण	4 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)
10	अवास एवं व्यवसाय के लिए भूमि का न होना	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
11	ग्राम से पलायन की समस्या	3 (75.00)	10 (100.0)	13 (92.86)
	कुल ग्रामों की संख्या	04 (100.0)	10 (100.0)	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

4.20 परियोजना के प्रभाव :

प्रभावित ग्रामों के प्रधानों/सदस्यों के अनुसार परियोजना से होने वाले नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों का विवरण तालिका 4.20 में दिया गया है। परियोजना से नकारात्मक प्रभावों के सम्बन्ध

में शत प्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 92.86 प्रतिशत द्वारा मुख्य/सम्पर्क मार्गों का नुकसान, अवास का नुकसान, किसानों को खेतों को आन-जाने मे कठिनाईयां, बेरोजगारी का भय, 85.71 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी, सिचाई के साधनों में कमी, 78.57 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी, ग्राम से पलायन की समस्या एवं 64.28 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय का नुकसान होना आदि नकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

तालिका-4.20

परियोजना के प्रभाव

(बहुउत्तरीय)

क्र० सं०	प्रभाव	ग्रामों की संख्या
अ	नकारात्मक	
01	ग्राम के मुख्य/सम्पर्क मार्गों का नुकसान	13 (92.86)
02	कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी	14 (100.0)
03	प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जायेगी	11 (78.57)
04	अवास का नुकसान	13 (92.86)
05	किसानों को खेतों को आन-जाने मे कठिनाईयां	13 (92.86)
06	ग्राम से पलायन की समस्या	11 (78.57)
07	बेरोजगारी का भय	13 (92.86)
08	सब्जी उत्पादन में कमी	12 (85.71)
09	सिचाई के साधनों में कमी	12 (85.71)
10	व्यवसाय का नुकसान होना	9 (64.28)
ब	सकारात्मक	
01	क्षेत्र का तीव्र विकास होगा	14 (100.0)
02	परिवहन की सुविधा बढ़ जायेगी	14 (100.0)
03	व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी	14 (100.0)
04	यात्रा में समय की बचत होगी	14 (100.0)
05	क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा	11 (78.57)
06	क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा	10 (71.43)
07	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	10 (71.43)
08	शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा	9 (64.28)
09	अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि होगी	14 (100.0)
10	रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे	12 (85.71)
11	पर्यटन में वृद्धि होगी	14 (100.0)
	कुल ग्रामों की संख्या	14 (100.0)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

जबकि शत प्रतिशत द्वारा गाँव / क्षेत्र का विकास, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि, यात्रा में समय की बचत होगी, पर्यटन में वृद्धि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य दर में वृद्धि, जबकि 92.86 प्रतिशत द्वारा व्यापार करने की सुविधा बढ़ जायेगी, 85.71 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, 78.57 प्रतिशत द्वारा क्षेत्र से शहर में पलायन कम होगा, 71.43 प्रतिशत द्वारा क्षेत्रवासीयों के रहन सहन में सुधार होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा, 64.28 प्रतिशत द्वारा शिक्षा सम्बन्धी संसाधनो का विकास होगा आदि सकारात्मक बहुउत्तरीय प्रभाव बताये गये।

अध्याय— पाँच

सामाजिक—आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत जनपद कांगड़ा में हवाई अड्डा के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विभिन्न समुदायों एवं संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकृति की परियोजनाओं का प्रभाव तीन चरणों में होता है। (1) परियोजना प्रारम्भ से पूर्व भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर (2) निर्माण अवधि में निर्माण स्थलों पर बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति तथा भारी भरकम मशीनों के परिवहन एवं निर्माण स्थल पर विद्यमान होने पर तथा (3) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि में। परियोजना के विरोध के कारण केवल लगभग 34 प्रतिशत प्रभावित परिवार के सदस्यों ने साक्षात्कार दिये हैं, इसके आधार पर प्रस्तुत अध्याय में परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप सम्बंधित क्षेत्रों, ग्रामों एवं परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक—आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

5.1 प्रभावित परिवारों की विशेषताएँ:

जैसा कि अध्ययन पद्धति में यह उल्लेख है कि जिन भूस्वामियों का सूची में नाम बार—बार या दुसरे ग्राम में होने के कारण या एक ही परिवार के होने के कारण उनका साक्षात्कार केवल एक बार हुआ है। क्षेत्र के लोगों द्वारा हवाई अड्डा के विस्तार के पूर्ण रूप से विरोध के कारण लगभग 34 प्रतिशत परिवारों का साक्षात्कार हुआ है इसी के आधार पर प्रभावित परिवारों की सामाजिक विशेषताओं का विवरण अगले प्रस्तारों में किया जा रहा है।

5.1.1 लिंग :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का लिंग के अनुसार वर्गीकरण तालिका 5.1 में दिया गया है। स्पष्ट है कि कुल साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों में से 77.44 प्रतिशत पुरुष तथा 22.563 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामवार पुरुष एवं महिला का विवरण तालिका में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका: 5.1

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों का लिंगवार वर्गीकरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	रछियालू	61 (81.33)	14 (18.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	3 (60.00)	2 (40.00)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	32 (82.05)	7 (17.95)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	22 (78.57)	6 (21.43)	28(100.0)
5	भेडी	12 (80.00)	3 (20.00)	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	13 (76.47)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	42 (77.78)	12 (22.23)	54(100.0)
8	बल्ला	49 (80.32)	12 (19.67)	61(100.0)
9	सहौड़ा	7 (58.33)	5 (41.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	15 (53.57)	13 (46.43)	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	47 (82.46)	10 (17.54)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	309 (77.44)	90 (22.56)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों का लिंगवार वर्गीकरण



5.1.2 शैक्षिक योग्यता :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों का उच्चतम शैक्षिक योग्यता में 1.00 प्रतिशत हाई स्कूल से कम, 18.55 प्रतिशत हाई स्कूल तक, 17.29 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 38.60 प्रतिशत स्नातक तक तथा 24.56 प्रतिशत परास्नातक या उससे अधिक तक शिक्षा प्राप्त किये हैं। ग्रामवार शैक्षिक योग्यता का विवरण तालिका 5.2 में प्रदर्शित किया गया है।


तालिका : 5.2

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों का उच्चतम शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्गीकरण

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल	इंटरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक और अधिक	योग
1	रछियालू	0	17 (22.67)	18 (24.00)	25 (33.33)	15 (20.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	3 (60.00)	1 (20.00)	1 (20.00)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	2 (5.12)	8 (20.51)	7 (17.94)	16 (41.03)	6 (15.38)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	0	6 (21.43)	3 (10.71)	10 (35.71)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	1 (6.67)	5 (33.33)	2 (13.33)	4 (26.67)	3 (20.00)	15 (100.0)

6	दुगियारी खास	0	6 (35.29)	2 (11.76)	5 (29.41)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	1 (1.85)	13 (24.07)	5 (9.26)	20 (37.04)	15 (27.78)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	3 (4.92)	7 (11.48)	21 (34.43)	30 (49.48)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	1 (8.33)	2 (16.67)	7 (58.33)	2 (16.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	4 (14.29)	4 (14.29)	12 (42.86)	8 (28.57)	28 (100.0)
11	बाग	0	0	0	7 (87.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	0	11 (19.30)	16 (28.07)	26 (45.61)	4 (7.02)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0
	योग	4 (1.00)	74 (18.55)	69 (17.29)	154 (38.60)	98 (24.56)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.1.3 धर्म :

प्रभावित भूस्वामियों का धर्म के अनुसार विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है। साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में शत प्रतिशत हिन्दू है।

तालिका : 5.3
प्रभावित भूस्वामियों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	हिन्दू	मुस्लिम	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28(100.0)	0	28(100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54(100.0)	0	54(100.0)
8	बल्ला	61(100.0)	0	61(100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.1.4 जाति :


प्रभावित भूस्वामियों का जाति के आधार पर ग्रामवार वर्गीकरण तालिका 5.4 में किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 1.75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 5.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 34.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 57.90 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं।

तालिका: 5.4

प्रभावित साक्षात्कार भूस्वामियों का जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ावर्ग	सामान्य	योग
1	रछियालू	7 (9.33)	0	63 (84.00)	5 (6.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	10 (25.64)	2 (5.13)	2 (5.13)	25 (64.10)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	0	0	0	28 (100.0)	28 (100.0)
5	भेडी	0	0	5 (33.33)	10 (66.67)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	0	2 (11.76)	5 (29.41)	10 (58.82)	17 (100.0)
7	सनौर	1 (1.85)	0	43 (79.63)	10 (18.52)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	0	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	3 (25.00)	9 (75.00)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	0	25 (89.29)	3 (10.71)	28 (100.0)
11	बाग	5 (62.50)	0	3 (37.50)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	0	0	10 (17.54)	47 (82.46)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	23 (5.76)	7 (1.75)	231 (57.90)	138 (34.59)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.2 व्यवसाय :

परिवार के व्यवसाय के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 60.40 प्रतिशत का व्यवसाय स्वयं की भूमि पर कृषि जबकि 8.27 प्रतिशत का व्यवसाय कृषि एवं अन्य मजदूरी हैं। इसके अतिरिक्त 16.79 प्रतिशत का दुकान/व्यपार, 17.04 प्रतिशत सरकारी नौकरी, 22.30 प्रतिशत प्राइवेट नौकरी तथा 29.32 प्रतिशत का अन्य व्यवसाय है।

तालिका : 5.5


प्रभावित परिवारों का व्यवसाय

(बहुत्तरीय)

क्र० सं०	ग्रामों के नाम	कृषि स्वयं भूमि	कृषि एवं अन्य मजदूरी	दुकान/व्यपार	सरकारी नौकरी	प्राइवेट नौकरी	अन्य	योग
1	रछियालू	57 (76.00)	18 (24.00)	3 (4.00)	9 (12.00)	16 (21.30)	15 (20.0)	75 (100.0)
2	भड़ोत	1 (20.00)	2 (40.00)	0	0	0	4 (80.0)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	24 (61.54)	4 (10.26)	1 (2.56)	5 (12.82)	15 (38.50)	11 (28.21)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	21 (75.0)	0	0	5 (17.86)	13 (46.40)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	14 (93.33)	1 (6.67)	0	3 (20.0)	3 (20.0)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	13 (76.47)	0	4 (23.53)	2 (11.76)	3 (17.60)	7 (41.18)	17 (100.0)
7	सनौर	12 (22.22)	1 (1.85)	6 (11.11)	16 (29.63)	14 (25.90)	13 (24.07)	54 (100.0)
8	बल्ला	48 (78.69)	7 (11.48)	3 (4.92)	4 (6.56)	11 (18.00)	19 (31.15)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	11 (91.67)	0	0	1 (8.33)	0	7 (58.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	16 (57.14)	0	8 (28.57)	5 (17.86)	4 (14.30)	13 (46.43)	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.0)	0	3 (37.50)	3 (37.50)	1 (12.50)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	18 (31.58)	0	39 (68.42)	15 (26.32)	9 (15.80)	12 (21.05)	57 (100.0)
13	बरसवालक ड	0	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0	0
	योग	241 (60.40)	33 (8.27)	67 (16.79)	68 (17.04)	89 (22.30)	117 (29.32)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

(बहुत्तरीय)



5.3 आय :


परिवार के आय के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 33.08 प्रतिशत का आय एक से 2.5 लाख तक, 32.08 प्रतिशत का 2.5 लाख से 5 लाख तक, 14.79 प्रतिशत का पाँच लाख से 10 लाख तक, 13.53 प्रतिशत का एक लाख से कम तथा 6.52 प्रतिशत का 10 लाख से अधिक का आय है।

तालिका : 5.6

आय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	1 लाख से कम	1. लाख से 2.5 लाख तक	2.5 लाख से 5 लाख तक	5 लाख से 10 लाख तक	10 लाख अधिक	योग
1	रछियालू	15 (20.00)	40 (53.33)	15 (20.00)	5 (6.67)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	2 (40.00)	3 (60.00)	0	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	4 (10.26)	19 (48.72)	13 (33.33)	3 (7.69)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	11 (39.29)	4 (14.29)	9 (32.14)	3 (10.71)	1 (3.57)	28 (100.00)
5	भेडी	2 (13.33)	2 (13.33)	10 (66.67)	1 (6.67)	0	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	0	9 (52.94)	3 (17.65)	2 (11.76)	3 (17.65)	17 (100.0)
7	सनौर	10 (18.51)	16 (29.63)	15 (27.78)	13 (24.07)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	7 (11.47)	22 (36.07)	28 (45.90)	4 (6.56)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	1 (8.33)	4 (33.33)	7 (58.33)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	2 (7.14)	10 (35.71)	10 (35.71)	6 (21.43)	0	28 (100.0)
11	बाग	0	2 (25.00)	4 (50.00)	2 (25.00)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	3 (5.26)	5 (8.77)	14 (24.56)	13 (22.81)	22 (38.60)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0	0
	योग	54 (13.53)	132 (33.08)	128 (32.08)	59 (14.79)	26 (6.52)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.4 परिवार के प्रकार :

परिवार के प्रकार के अनुसार साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का ग्रामवार विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 31.08 प्रतिशत एकल परिवार, 34.59 प्रतिशत मध्य परिवार तथा 33.09 प्रतिशत का संयुक्त परिवार के है।


तालिका : 5.7

परिवार के प्रकार के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्र०सं०	प्रभावित ग्रामों के नाम	स्वयं	एकल परिवार	मध्यम परिवार	संयुक्त परिवार	योग
1	रछियालू	0	18 (24.00)	22 (29.33)	35 (46.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	1 (20.00)	3 (60.00)	1 (20.00)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	0	15 (38.46)	16 (41.03)	8 (20.51)	39(100.0)
4	जुगेहड़	1 (3.57)	14 (50.00)	10 (35.71)	3 (10.71)	28 (100.0)
5	भेडी	0	4 (26.67)	5 (33.33)	6 (40.00)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	0	3 (17.65)	2 (11.77)	12 (70.59)	17 (100.0)
7	सनौर	2 (3.71)	13 (24.07)	28 (51.85)	11 (20.37)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	19 (31.15)	22 (36.07)	20 (32.79)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	0	5 (41.67)	3 (25.00)	4 (33.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	1 (3.57)	14 (50.00)	7 (25.00)	6 (21.42)	28 (100.0)
11	बाग	0	2 (25.00)	2 (25.00)	4 (50.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	1 (1.75)	16 (28.07)	18 (31.58)	22 (38.60)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	5 (1.25)	124 (31.08)	138 (34.59)	132 (33.09)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

परिवार के प्रकार के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण



5.5 पशुधन :


प्रभावित भूस्वामियों के पास पशुधन की उपलब्धता का ग्राम विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि साक्षात्कारकृत भूस्वामियों में से 40.10 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता है जबकि 59.90 प्रतिशत के पास पशुधन की उपलब्धता नहीं है।

तालिका : 5.9
भूस्वामियों के पास पशुधन की उपलब्धता

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	32 (42.67)	43 (57.33)	75 (100.0)
2	भड़ोत	3 (60.00)	2 (40.00)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	16 (41.03)	23 (58.97)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	3 (10.71)	25 (89.29)	28 (100.0)
5	भेडी	10 (66.67)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	0	17 (100.0)	17 (100.0)
7	सनौर	15 (27.78)	39 (72.22)	54 (100.0)
8	बल्ला	47 (77.05)	14 (22.95)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	7 (58.33)	5 (41.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	8 (28.57)	20 (71.43)	28 (100.0)
11	बाग	4 (50.00)	4 (50.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	15 (26.32)	42 (73.68)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	160 (40.10)	239 (59.90)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

भूस्वामियों के पास पशुधन की उपलब्धता



5.6 सामाजिक स्थिति :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों की सामाजिक स्थिति का विवरण निम्न प्रस्तारों में प्रस्तुत है।

5.6.1 मकान का प्रकार :


साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों का मकान के प्रकार का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है। स्पष्ट है कि 43.86 प्रतिशत का एक तल पक्का मकान, 38.35 प्रतिशत का बहुमंजिल पक्का मकान, 12.53 प्रतिशत का मिश्रित मकान तथा 5.26 प्रतिशत का कच्चा मकान है। ग्रामवार मकान का विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका : 5.10

मकान के प्रकार के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	बहुमंजिल पक्का मकान	पक्का	कच्चा	मिश्रित	योग
1	रछियालू	20 (26.67)	34 (45.33)	6(8.00)	15 (20.00)	75(100.0)
2	भड़ोत	0	5 (100.0)	0		5 (100.0)
3	कियोड़ी	27 (69.23)	9 (23.08)	1 (2.56)	2 (5.13)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	9 (32.14)	13 (46.43)	0	6 (21.43)	28 (100.0)
5	भेडी	1 (6.67)	9 (60.00)	2 (13.33)	3 (20.00)	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	10 (58.82)	6 (35.29)	0	1 (5.88)	17 (100.0)
7	सनौर	20 (37.04)	28 (51.85)	3 (5.56)	3 (5.56)	54 (100.0)
8	बल्ला	15 (24.59)	32 (52.46)	6 (9.84)	8 (13.11)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	3 (25.00)	3 (25.00)	1 (8.33)	5 (41.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	11 (39.28)	11 (39.28)	1 (3.57)	5 (17.86)	28 (100.0)
11	बाग	5 (62.50)	3 (37.50)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	32 (56.14)	22 (38.59)	1 (1.75)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	153 (38.35)	175 (43.86)	21 (5.26)	50 (12.53)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.6.2 विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता :

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में विद्युत कनेक्शन का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है। साक्षात्कार किये गये सभी भूस्वामियों के पास विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।

तालिका : 5.11
विद्युत की उपलब्धता

क्रम सं०	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	दुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.6.3 पेयजल स्रोत :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल के स्रोत का विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शतप्रतिशत प्रभावित भूस्वामियों का पेयजल स्रोत पाइप लाइन द्वारा है।

तालिका : 5. 12

पेयजल के स्रोतों के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्र० सं०	प्रभावित ग्रामों के नाम	पाइप लाइन	इण्डिया मार्क हैण्डपम्प	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	दुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.6.4 शौचालय की उपलब्धता :

साक्षात्कार कृत भूस्वामियों के घरों में शौचालय की उपलब्धता का ग्रामवार विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शत प्रतिशत भूस्वामियों के यहां शौचालय निर्मित हैं।

तालिका : 5.13

कृषक के परिवार हेतु शौचालय की व्यवस्था

क्रम सं०	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75(100.0)	0	75(100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15(100.0)	0	15(100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.6.5 रसोई की उपलब्धता :


प्रभावित भूस्वामियों के घरों में अलग से रसोई की उपलब्धता का ग्रामवार विवरण तालिका 5.14 में दिया गया है। स्पष्ट है कि कुल साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से केवल 87.97 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई उपलब्ध हैं शेष 12.03 प्रतिशत के घरों में अलग से रसोई उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका : 5.14

भूस्वामियों के वर्गीकरण रसोई की उपलब्धता के अनुसार

क्रम सं०	ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	64 (85.33)	11 (14.6700)	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	33 (84.62)	6 (15.38)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	24 (85.71)	4 (14.29)	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	15 (88.24)	2 (11.76)	17 (100.0)
7	सनौर	48 (88.89)	6 (11.11)	54 (100.0)
8	बल्ला	54 (88.52)	7 (11.48)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	23 (82.14)	5 (17.86)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	52 (91.23)	5 (8.77)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	351 (87.97)	48 (12.03)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.7 आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता :

तालिका 5.16 में आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता को प्रदर्शित किया गया है। आँकड़ें बताते हैं कि उपरोक्त सुविधाओं की नियमितता शतप्रतिशत है।

तालिका : 5.16

आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं की नियमितता

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.8 चिकित्सकीय सुविधा :

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की चिकित्सा हेतु तय की जाने वाली दूरी का विवरण तालिका 5.17 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि चिकित्सा हेतु शतप्रतिशत भूस्वामियों को 0 से 5 कि.मी. तक दूरी तय करनी पड़ती है।

तालिका-5.17

भूस्वामियों के परिवार के सदस्यों द्वारा चिकित्सा हेतु तय की जाने वाली दूरी

क्र० सं०	प्रभावित ग्रामों के नाम	5 किमी की दूरीतक	5 किमी से अधिक की दूरी	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आकड़े

5.9 विभिन्न उत्सवों में भागीदारी :


साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों के परिवारों के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्सवों/आयोजनों में भाग लेने का विवरण तालिका 5.18 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि कुल भूस्वामियों में से 30.83 से 47.37 प्रतिशत द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय पर्वो/आयोजनों, धार्मिक मेलों, धार्मिक आयोजनों एवं राजनैतिक आयोजनों में अधिक सहभागिता तथा 45.36 से 65.41 प्रतिशत द्वारा सामान्य सहभागिता का स्तर रहता है। जबकि 3.76 से 14.29 प्रतिशत द्वारा बहुत अधिक सहभागिता का स्तर रहता है।

तालिका : 5.18

ग्राम में मनाये जाने वाले उत्सवों/मेलों में सहभागिता का स्तर

क्रम सं०	विवरण	सहभागिता का स्तर			
		बहुत अधिक	अधिक	सामान्य	संख्या
1	धार्मिक आयोजन	15 (3.76)	123 (30.83)	261 (65.41)	399(100)
2	धार्मिक मेले	23 (5.76)	135 (33.84)	241 (60.40)	399(100)
3	सामाजिकउत्सव	57 (14.29)	156 (39.10)	186 (46.62)	399(100)
4	आर्थिक आयोजन	45 (11.28)	131 (32.83)	223 (55.89)	399(100)
5	राजनैतिक आयोजन	26 (6.52)	156 (39.10)	217 (54.39)	399(100)
6	राष्ट्रीय पर्व	29 (7.27)	189 (47.37)	181 (45.36)	399(100)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.10 गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डा के विस्तार के संबंध में जानकारी :

तालिका 5.19 में गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डा के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी को दर्शाया गया है। प्रभावित सभी भूस्वामियों को इस सम्बन्ध में जानकारी शत-प्रतिशत पायी गयी।

तालिका : 5.19

गाँव के पास/मध्य में हवाई अड्डा के विस्तार के संबंध में जानकारी

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	योग
1	रछियालू	75 (100.0)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	39 (100.0)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	28 (100.0)	0	28 (100.0)
5	भेडी	15 (100.0)	0	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	17 (100.0)	0	17 (100.0)
7	सनौर	54 (100.0)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	61 (100.0)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	12 (100.0)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	28 (100.0)	0	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	8 (100.0)
12	गगल खास	57 (100.0)	0	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0
	योग	399 (100.0)	0	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

5.11 अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल :


प्रभावित भूस्वामियों की हवाई अड्डा विस्तार हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का विवरण तालिका 5.20 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 82.21 प्रतिशत भूस्वामियों की 0.20 हे० तक, 14.79 प्रतिशत की 0.21 से 0.40 हे० तक तथा 3.01 प्रतिशत की 0.40 हे० से अधिक की भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका : 5.20

परियोजना के अन्तर्गत भूस्वामी की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	0.20 हे० तक	0.21से 0.40 हे०	0.40 हे० से अधिक	कुल कृषक
1	रछियालू	56 (74.67)	14 (18.67)	5 (6.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	33 (84.62)	6 (15.38)	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	25 (89.29)	3 (10.71)	0	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	2 (13.33)	0	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	14 (82.35)	3 (17.65)	0	17 (100.0)
7	सनौर	46 (85.19)	6 (11.11)	2 (3.70)	54 (100.0)
8	बल्ला	52 (85.25)	7 (11.48)	2 (3.28)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	21 (75.00)	6 (21.43)	1 (3.57)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	45 (78.95)	10 (17.54)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	328 (82.21)	59 (14.79)	12 (3.01)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.12 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें :

अधिग्रहीत की जा रही भूमि में वर्तमान में बोई जाने वाली फसलों का बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.21 में दिया गया है। स्पष्ट है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर 63.91 प्रतिशत द्वारा धान्य फसलें, 24.56 प्रतिशत द्वारा तिलहनी फसलें तथा 68.17 प्रतिशत द्वारा वाणिज्यिक फसलें बोयी जा रही हैं।

तालिका : 5.21


अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर बोयी जाने वाली फसलें

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	धान्य फसलें	तिलहन	वाणिज्यिक फसलें	कृषकों की संख्या
1	रछियालू	57 (76.00)	14 (18.67)	59 (78.67)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	2 (40.00)	2 (40.00)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	25 (64.10)	11 (28.21)	21 (53.84)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	12 (42.85)	5 (17.85)	10 (35.71)	28 (100.0)
5	भेडी	6 (40.00)	4 (26.67)	9 (60.00)	15 (100.0)

6	दुंगियारी खास	9 (52.94)	5 (29.41)	7 (41.18)	17 (100.0)
7	सनौर	34 (62.96)	16 (29.63)	44 (81.48)	54 (100.0)
8	बल्ला	57 (93.44)	23 (37.70)	52 (85.25)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	8 (66.67)	3 (25.00)	7 (58.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	24 (85.71)	9 (32.14)	16 (57.14)	28 (100.0)
11	बाग	4 (50.00)	2 (25.00)	8 (100.0)	8 (100.0)
12	गगल खास	15 (26.32)	4 (7.02)	37 (64.91)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	255 (63.91)	98 (24.56)	272 (68.17)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.13 अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी :

अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रकार का विवरण तालिका 5.22 में दिया गया है। स्पष्ट है कि 69.67 प्रतिशत की भूमि उपजाऊ, 32.58 प्रतिशत की भूमि बहुत उपजाऊ तथा 29.32 प्रतिशत की भूमि सामान्य श्रेणी की है। ग्रामवार विवरण तालिका में दिया है।


तालिका : 5.22

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की श्रेणी

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	बहुत उपजाऊ	उपजाऊ	सामान्य	योग
1	रछियालू	21 (28.00)	63 (84.00)	25 (33.33)	75 (100.0)
2	भड़ोत	1 (20.00)	3 (60.00)	3 (60.00)	5 (100.0)
3	कियोडी	12 (30.77)	21 (53.85)	16 (41.03)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	8 (28.57)	21 (75.00)	9 (32.14)	28 (100.0)
5	भेडी	2 (13.33)	13 (86.67)	5 (33.33)	15 (100.0)
6	ढुगियारी खास	5 (29.41)	11 (64.71)	4 (23.53)	17 (100.0)
7	सनौर	14 (25.92)	38 (70.37)	19 (35.19)	54 (100.0)
8	बल्ला	29 (47.54)	35 (57.38)	11 (18.03)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	5 (41.67)	6 (50.00)	3 (25.00)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	9 (32.14)	15 (53.57)	7 (25.00)	28 (100.0)
11	बाग	3 (37.50)	6 (75.00)	2 (25.00)	8 (100.0)
12	गगल खास	21 (36.84)	46 (80.70)	13 (22.81)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	130 (32.58)	278 (69.67)	117 (29.32)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.14 अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय :


अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में फसलोत्पादन से होने वाली वार्षिक आय का विवरण तालिका 5.23 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 73.43 प्रतिशत का आय पचास हजार से कम, 20.30 प्रतिशत का एक लाख से 1.5 लाख तक, 5.76 प्रतिशत का 1.5 लाख से 3 लाख तक तथा 0.50 प्रतिशत का 3 लाख से अधिक का आय है।

तालिका : 5.23

अधिग्रहीत होने वाली भूमि से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	पचास हजार से कम	एक लाख से 1.5 लाख तक कम	1.5 लाख से तीन लाख तक	तीन लाख से अधिक	योग
1	रछियालू	51 (68.00)	18 (24.00)	6 (8.00)	0	75 (100.0)
2	भड़ोत	5 (100.0)	0	0	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	35 (89.74)	4 (10.26)	0	0	39 (100.0)
4	जुगेहड़	22 (78.57)	6 (21.43)	0	0	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	2 (13.33)	0	0	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	12 (70.59)	3 (17.65)	2 (11.77)	0	17 (100.0)
7	सनौर	42 (77.78)	8 (14.82)	4 (7.41)	0	54 (100.0)
8	बल्ला	49 (80.33)	9 (14.75)	3 (4.92)	0	61 (100.0)
9	सहौड़ा	10 (83.33)	2 (16.67)	0	0	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	19 (67.86)	7 (25.00)	2 (7.14)	0	28 (100.0)
11	बाग	6 (75.00)	2 (25.00)	0	0	8 (100.0)
12	गगल खास	29 (50.88)	20 (35.09)	6 (10.53)	2 (3.51)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0	0
	योग	293 (73.43)	81 (20.30)	23 (5.76)	2 (0.50)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में राय :

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में भूस्वामियों की राय का विवरण तालिका 5.24 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 26.82 प्रतिशत भूस्वामियों ने अच्छा, 39.35 प्रतिशत भूस्वामियों ने खराब तथा 33.83 प्रतिशत भूस्वामियों ने कह नहीं सकते हवाई अड्डा के विस्तार के बारे में अपनी राय बताई।


तालिका : 5.24

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में राय

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	अच्छा	खराब	वह नहीं सकते	योग
1	रछियालू	20 (26.67)	34 (45.33)	21 (28.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	1 (20.00)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	4 (10.26)	17 (43.59)	18 (46.15)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	10 (35.71)	12 (42.86)	6 (21.43)	28 (100.0)
5	भेडी	9 (60.00)	2 (13.33)	4 (26.67)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	6 (35.29)	3 (17.65)	8 (47.06)	17 (100.0)
7	सनौर	10 (18.52)	34 (62.96)	10 (18.52)	54 (100.0)
8	बल्ला	6 (9.84)	22 (36.07)	33 (54.10)	61 (100.0)

9	सहौड़ा	0	11 (91.67)	1 (8.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	6 (21.43)	5 (17.86)	17 (60.72)	28 (100.0)
11	बाग	0	7 (87.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	32 (56.14)	9 (15.79)	16 (28.08)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	107 (26.82)	157 (39.35)	135 (33.83)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.16 भूमि अधिग्रहित करने की सहमति :


अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित करने की सहमति का विवरण तालिका 5.25 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 52.63 प्रतिशत भूस्वामियों ने हवाई अड्डा के विस्तार के लिए भूमि देने में सहमति जताई जबकि 32.33 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने में असहमति जताई तथा 15.04 प्रतिशत भूस्वामियों ने भूमि देने के लिए कह नहीं सकते का जबाब दिया।

तालिका : 5.25

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करने की सहमति है

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	हाँ	नहीं	कहनही सकते	योग
1	रछियालू	31 (41.33)	32 (42.67)	12 (16.00)	75 (100.0)
2	भड़ोत	4 (80.00)	1 (20.00)	0	5 (100.0)
3	कियोड़ी	16 (41.03)	16 (41.03)	7 (17.95)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	16 (57.14)	10 (35.71)	2 (7.14)	28 (100.0)
5	भेडी	11 (73.33)	1 6.67	3 (20.00)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	9 (52.94)	0	8 (47.06)	17 (100.0)
7	सनौर	23 (42.59)	25 (46.30)	6 (11.11)	54 (100.0)
8	बल्ला	29 (47.54)	22 (36.07)	10 (16.39)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	2 (16.67)	9 (75.00)	1 (8.33)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	16 (57.14)	5 (17.86)	7 (25.00)	28 (100.0)
11	बाग	2 (25.00)	5 (62.50)	1 (12.50)	8 (100.0)
12	गगल खास	51 (89.47)	3 (5.26)	3 (5.26)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	210 (52.63)	129 (32.33)	60 (15.04)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े



5.17 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति :

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण तालिका 5.26 में दिया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों में से 45.36 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर अवास, 16.04 प्रतिशत भूस्वामियों के भूमि पर व्यवसाय के साथ शत प्रतिशत भूस्वामियों के कृषि भूमि भी अधिग्रहण प्रभावित हैं।

तालिका : 5.26

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति


(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	अवास	व्यवसाय	कृषि भूमि	योग
1	रछियालू	34 (45.33)	8 (10.67)	75 (100.0)	75 (100.0)
2	भड़ोत	0	0	5 (100.0)	5 (100.0)
3	कियोड़ी	18 (46.15)	0	39 (100.0)	39 (100.0)
4	जुगेहड़	17 (60.71)	1 (3.57)	28 (100.0)	28 (100.0)
5	भेडी	13 (86.67)	0	15 (100.0)	15 (100.0)
6	दुगियारी खास	5 (29.41)	4 (23.53)	17 (100.0)	17 (100.0)

7	सनौर	35 (64.81)	3 (5.56)	54 (100.0)	54 (100.0)
8	बल्ला	0	0	61 (100.0)	61 (100.0)
9	सहौड़ा	3 (25.00)	0	12 (100.0)	12 (100.0)
10	मुंगरेहाड	0	1 (3.57)	28 (100.0)	28 (100.0)
11	बाग	8 (100.0)	5 (62.50)	8 (100.0)	8 (100.0)
12	गगल खास	48 (84.21)	42 (73.68)	57 (100.0)	57 (100.0)
13	बरसवालकड	0	0	0	0
14	झिकली इच्छी	0	0	0	0
	योग	181 (45.36)	64 (16.04)	399 (100.0)	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़े

(बहुत्तरीय)



5.18 असहमति के कारण :

साक्षात्कार किये गये प्रभावित भूस्वामियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विस्तार के लिए भूमि देने के असहमति के कारणों का बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.27 में दिया गया है। स्पष्ट है कि शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम होना, 61.40 प्रतिशत

द्वारा भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना, 82.96 प्रतिशत द्वारा जिवकोपार्जन / व्यवसाय का नुकसान, 76.69 प्रतिशत द्वारा भूमि अत्यधिक मूल्यवान होना, 86.47 प्रतिशत द्वारा बेरोजगारी का भय, 60.40 प्रतिशत द्वारा ग्राम से पलायन, 35.34 प्रतिशत द्वारा भूमि से अवास के लिए अन्य भूमि का न होना, 94.74 प्रतिशत द्वारा भूमि के कई अंशधारक का होना तथा 34.09 प्रतिशत द्वारा पुर्वजों का भूमि होना आदि का कारण बताये गये।


तालिका : 5.27

भूस्वामियों द्वारा परियोजना के लिए भूमि न देने के कारण

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	कुल संख्या
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य से कम हैं	399 (100.0)
2	भूमि का अत्यधिक उपजाऊ होना	245 (61.40)
3	भूमि अत्यधिक मूल्यवान हैं	306 (76.69)
4	बेरोजगारी का भय	345 (86.47)
5	कई अंशधारको का होना	378 (94.74)
6	ग्राम से पलायन की समस्या	241 (60.40)
7	अवास के लिए अन्य भूमि का न होना	141 (35.34)
8	जिवकोपार्जन / व्यवसाय का नुकसान	331 (82.96)
9	भूमिहीन होने का भय	101 (25.31)
10	पुर्वजों का भूमि होने के कारण	136 (34.09)
	अघार	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.19 भूस्वामियों द्वारा बतायीं गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत हैं :

प्रभावित भूस्वामियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी थी कि उनके द्वारा किन शर्तों पर भूमि देने हेतु सहमत होंगे। जिसका बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.28 में प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में शतप्रतिशत द्वारा सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर, 80.70 प्रतिशत द्वारा भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय, 49.62 प्रतिशत द्वारा सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग में नौकरी, 30.83 प्रतिशत द्वारा वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक / वित्तीय सहायता दी जाय, 43.86 प्रतिशत द्वारा विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद, 77.94 प्रतिशत द्वारा क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर तथा 30.83 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत के बाद आदि शर्तें बतायी गयीं।

तालिका-5.28


भूस्वामियों द्वारा बतायी गई शर्तें जिन पर वे भूमि देने हेतु सहमत हैं

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	विवरण	कुल संख्या
1	सर्किल रेट बाजार मूल्य के बराबर होने पर	399 (100.0)
2	भूमि अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय	322 (80.70)
3	सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी दी जाय	198 (49.62)
4	वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय	123 (30.83)
5	विस्थापन के समस्या के निवारण के बाद	175 (43.86)
6	व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन एवं वित्तीय सहयोग के उपरांत	123 (30.83)
7	क्षतिपूर्ति समय से मिलने पर	311 (77.94)
अघार		399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें

(बहुत्तरीय)



5.20 परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव :

साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डा के विस्तार से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के विषय पर चर्चा की गयी जिसका बहुत्तरीय विवरण तालिका 5.29 में दिया गया है। इस सम्बन्ध में शतप्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी, 86.47 प्रतिशत द्वारा सब्जी उत्पादन में कमी एवं किसानों को अपने खेत में जाने में समस्या, 89.22 प्रतिशत द्वारा प्रदूषण में वृद्धि, 64.41 प्रतिशत ग्राम से पलायन की समस्या, 38.60 प्रतिशत द्वारा व्यवसाय समाप्त होने की संभावना तथा 35.34 प्रतिशत कृषकों द्वारा कोई विशेष कुप्रभाव न होने की बात कही है।


तालिका : 5.29

हवाई अड्डा के विस्तार से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या
1	कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी	399 (100.0)
2	सब्जी उत्पादन में कमी	345 (86.47)
3	सिंचाई के साधनों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना	244 (61.15)
4	किसानों को खेतों को आन-जाने में कठिनाईयां	345 (86.47)
5	ग्राम से पलायन की समस्या	257 (64.41)
6	व्यवसाय समाप्त होने की संभावना	154 (38.60)
7	प्रदूषण में वृद्धि	356 (89.22)
8	अवास की समस्या	121 (30.33)
9	कोई विशेष प्रभाव नहीं	141 (35.34)
	अघार	399 (100.0)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ें



5.17 हवाई अड्डा से लाभ :

साक्षात्कार किये गये भूस्वामियों के अनुसार हवाई अड्डो के विस्तार से होने वाले लाभ का विवरण तालिका 5.30 में दिया गया है इस सम्बन्ध में शत प्रतिशत द्वारा क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, पर्यटन में वृद्धि होगी एवं अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी, 94.49 प्रतिशत द्वारा आवागमन सुविधा में वृद्धि होना, 89.22 प्रतिशत द्वारा रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंना, 96.99 प्रतिशत द्वारा यात्रा में समय की बचत, 97.99 प्रतिशत भूस्वामियों द्वारा स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि, 38.60 प्रतिशत द्वारा गाँव से शहर में पलायन कम होगा, 73.93 प्रतिशत द्वारा रहन सहन में सुधार होगा तथा 36.84 प्रतिशत द्वारा सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होना आदि लाभ बताये है।

तालिका- 5.30


हवाई अड्डा के विस्तार से होने वाले लाभ

(बहुत्तरीय)

क्रम सं०	प्रभावित ग्राम का नाम	संख्या
1	क्षेत्र का तीव्र विकास होगा	399 (100.0)
2	अन्य जमीनों की मूल्य में वृद्धि होगी	399 (100.0)
3	आवागमन सुविधाजनक	377 (94.49)
4	स्वरोजगार के साधनों में वृद्धि	391 (97.99)
5	यात्रा में समय की बचत	387 (96.99)
6	गाँव से शहर में पलायन कम होगा	154 (38.60)
7	पर्यटन में वृद्धि होगी	399 (100.0)
8	स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनों का विकास होगा	154 (38.60)
9	शिक्षा सम्बन्धी संसाधनों का विकास होगा	142 (35.59)
10	रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे	356 (89.22)
11	ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार होगा	295 (73.93)
12	सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं	147 (36.84)
अघार		399

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

(बहुउत्तरीय)



अध्याय—छ

सामूहिक विचार विमर्श

यह अध्याय जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के कांगड़ा और शाहपुर तहसील के प्रभावित सभी 14 ग्राम (गगल खास, सन्नौर, दुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा, बल्ला, जुगेहड़, कियोड़ी, भड़ोत और रछियालू) के लोगो से एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय के सदस्यों के साथ सामूहिक विचार विमर्श के दौरान प्रतिभागियों और उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी और आकड़ा पर चर्चा प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित होने की संभावना है।

6.1 सामूहिक विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता :

आधारभूत संरचना और विकास परियोजनायें जो प्रभावित परिवारों की आजीविका, पशुधन, रोजगार, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए जल स्रोत, सामुदायिक जलाशय, चरागाह, बाग, सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अन्न भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूल (विद्यालय) सुविधाओं, आंगनबाड़ी, पार्क, पूजा-स्थलों और दाह संस्कार स्थल को प्रभावित करती हैं। यह नीति निर्माताओं को पुनर्वास और पुनर्वासन (आर एंड आर) अधिनियम के अनुसार निष्पादन पर पर्याप्त और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। सामूहिक विचार विमर्श परियोजना के लिए समावेशी और स्थानीय समुदाय और सामाजिक पारिस्थितिकी के प्रति उत्तरदायी होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह परस्पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों, नीति-निर्माण निकायों और कई एजेंसियों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से प्रभावित समुदायों को शामिल करने का एक माध्यम है, जो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित मुद्दों और गतिविधियों के बारे में अपनी राय, चिंताओं और आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें

निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल कुछ भावात्मक प्रभाव और प्रभावी योजना की पहचानने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह सूचनाओं के संचार, उनके भय को कम करने और समुदायों के साथ तालमेल के विकास में भी सहायता प्रदान करता है, जो कि इस तरह के सुचारु परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोपरि है। परियोजना से प्रभावित लोगों की भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य खुले संवाद के माध्यम से कथित पर्यावरणीय परिणामों को कम करके सार्वजनिक जागरूकता और विकास गतिविधि या परियोजना की स्वीकृति को बढ़ाना है।

6.2 सामूहिक विचार विमर्श – अनुसंधान और आकड़ा संग्रह की प्रक्रिया :

एसआईए टीम ने सभी परियोजना प्रभावित गांवों में परियोजना के संभावित प्रभाव के गुणात्मक विश्लेषण के लिए आकड़ा संग्रह और समाज के कल्याण के लिए पुनर्वास और परियोजना के निष्पादन के बारे में भू-स्वामियों की राय/दृष्टिकोण जानने के लिए पीएपी के साथ सामूहिक विचार विमर्श और गहन साक्षात्कार आयोजित करने का प्रयास किया। जिससे उनके भूमि अधिग्रहण, आजीविका, रोजगार, सामाजिक संरचना, जीवन स्तर, मनोवैज्ञानिक कल्याण आदि से संबंधित कई प्रासंगिक मुद्दों के बारे में सशक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रत्येक ग्राम में प्रभावित समुदाय के सदस्यों के साथ दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के दौरान सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन किया गया। प्रतिक्रिया देने वालों में अधिकांश परियोजना प्रभावित क्षेत्र के किसान, व्यवसायी आदि थे। सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। इसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुषों का सामूहिक विचार विमर्श अलग-अलग करने का प्रयास किया गया। सामूहिक विचार विमर्श की शुरुआत में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन और अध्ययन करने वाली एजेंसी के लक्ष्यों और विधियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था। सामूहिक विचार विमर्श के दौरान, SIA टीम के सदस्यों की भूमिका मध्यस्था के रूप में थी।

सामूहिक विचार विमर्श (एफजीडी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना था, वे किस क्षेत्र में रहते हैं, उनके भूमि उपयोग की

व्यवस्था, व्यवसाय एवं रोजगार आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना था। परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ एफजीडी का आयोजन उनके समुदाय की विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र के कमजोर लोगों के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए एवं समुदाय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया करने के लिए प्रभावित सभी ग्रामों में खसरावार प्रभावित परिवारों द्वारा 27 फरवरी से 10 मार्च 2023 के बीच एफजीडी करने का प्रयत्न किया गया। परंतु गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के लोगो ने पूरी तरह से इस प्रयोजना का विरोध किये इस कारण इस पंचायत में एवं इनके पास के ग्राम में विचार विमर्श पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। SDM और ADC द्वारा इन ग्राम पंचायतों में SIA के बारे में जानकारी देने के लिए दो से तीन बार बैठके कि गई फिर भी लोग SIA टिम को साक्षात्कार एवं विचार विमर्श के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि, अधिकांश पीएएफ ने प्रस्तावित कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के बारे में अपनी असहमति व्यक्त की क्योंकि इस परियोजना के विस्तार से उनके आवास एवं व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोग इस परियोजना के विरोध में हैं। इसलिए एसआईए टीम को साक्षात्कार नहीं दिये। उनका कहना है कि जब हमलोग इस परियोजना के विरोध में हैं तो फिर इस परियोजना के लाभ एवं हानि के बारे में क्यों बात करे। इसलिए लोगों ने एसआईए टीम को साक्षात्कार एवं विचार विमर्श करने के लिए ग्राम के अन्दर जाने से मना / विरोध किया।

6.3 परियोजना प्रभावित तहसील शाहपुर के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श :-(जुगेहड़, कियोड़ी, भड़ोत और रछियालू) :

परियोजना के विरोध के कारण एसआईए टीम गहन विचार विमर्श करने में असमर्थ थी। परंतु कुछ बिन्दुओं पर सामूहिक विचार विमर्श प्रभावित परिवार से किया गया है तहसील शाहपुर के प्रभावित चारों ग्राम के परिवार पिछले लगभग 15 वर्षों से हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना के बारे में सुनकर परेशान हैं। विचार विमर्श के दौरान, उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और भूस्वामियों को अधिग्रहण के बारे में सूचित कर दिया गया है। चूंकि अधिकांश उत्तरदाताओं को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के

बारे में पता था, इसलिए सामाजिक प्रभाव आकलन टीम ने उत्तरदाताओं को प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि और सरकार की पहल के बारे में जानकारी देने में कोई समस्या नहीं हुई।

SIA टीम के सदस्यों के पास अर्ध-संरचित एवं खुले हए प्रश्न थे जिसके माध्यम से वरिष्ठ निवासियों/किसानों/परिवारों के प्रमुखों और समूह प्रतिभागियों के साथ विस्तृत चर्चा कि गई। प्रतिभागियों ने हवाईअड्डा विस्तार परियोजना के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में अपनी राय और विचार साझा किए। उन्होंने एक दूसरे के उत्तरों पर अपने विचार और टिप्पणियाँ भी साझा कीं। सामूहिक विचार विमर्श में सभी आयु वर्गों के ग्रामीणों ने भाग लिया। विशेष रूप से महिलाओं ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

विचार विमर्श से ज्ञात हुआ कि ग्राम के लोग अपनी अवासीय भूमि के अलावा अन्य भूमि देने को तैयार हैं। ग्राम के अधिकांश प्रभावित लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। विचार विमर्श से ज्ञात हुआ कि लोग हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना का जल्द समाधान चाहते हैं। जिन परिवारों का अवास हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित हो रहा और उनके पास भूमि अवास बनाने के लिए नहीं हैं उन परिवारों को लगभग 20 कि०मी० के दायरे में जमिन का अवाटन या अवास उपलब्ध कराई जाए तो लोग अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे के विस्तार से रोजगार प्रभावित होगा, इसलिए सरकार को विस्थापित /प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना बनाना चाहिए, जिससे किसी को सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि, देखी गई प्रमुख चिंता उनके कृषि भूमि, निवास स्थान और आजीविका के नुकसान और पारिस्थितिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए व्यापक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए उचित प्रतिकर के बारे में थी। परियोजना क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी समस्या परियोजना के विस्तार में देरी से था। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से परियोजना विस्तार कि चर्चा सुनकर मानसिक परेशानी हो गई है। इससे हमारे बच्चों को शादि होने में दिक्कतो का सम्मना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि परियोजना से

प्रभावित परिवारों के लिए कोई सरकार के तरफ से विस्तृत योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रभावित परिवार अपने अवास, व्यपार एवं रोजगार के लेकर काफी चिंतित थे।

6.4 परियोजना प्रभावित तहसील कांगड़ा के गांवों का सामूहिक विचार विमर्श :—(गगल खास, सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, बाग, बरसवालकड, झिकली इच्छी, मुंगरेहड, सौहाड़ा और बल्ला):

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि गगल एवं झिकली इच्छी पंचायत के प्रभावित ग्राम के लगभग 90 प्रतिशत लोग परियोजना के विरोध कर रहे हैं। परियोजना के विरोध के कारण एसआईए टीम गहण विचार विमर्श करने में असमर्थ थी। परंतु कुछ बिन्दुओं पर सामूहिक विचार विमर्श प्रभावित ग्रामों में प्रभावित परिवार के लोगों के साथ किया गया है प्रभावित क्षेत्र के परिवार पिछले लगभग 15 वर्षों से हवाई अड्डे के विस्तार के बाते सुनकर परेशान हैं। विचार विमर्श के दौरान, उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे कांगड़ा हवाईअड्डा परियोजना के विस्तार के बारे में जानते हैं परंतु भूस्वामियों को अधिग्रहण के बारे में पूर्ण जनकारी नहीं है क्योंकि कई बार इस तरह का सर्वे हो चुका है, इसलिए लोगो का विश्वास नहीं है। चूंकि अधिकांश उत्तरदाताओं को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के खिलाफ थे, इसलिए सामाजिक प्रभाव आकलन टीम को उत्तरदाताओं को प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि और सरकार की पहल के बारे में जानकारी देने में समस्या हुई। क्योंकि लोगों का कहना था कि जब हम जमिन नहीं देना चाहते तो फिर बात क्यों करे। प्रभावित परिवार के अनुसार उनका अवास एवं व्यपार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है और सरकार कोई उचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना नहीं बनाया है इसलिए परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना से उनका भविष्य अधंकारमय हो जायेगा। परंतु तहसील कांगड़ा के प्रभावित ग्राम सन्नौर, ढुगियारी खास, भेड़ी, मुंगरेहड, सौहाड़ा और बल्ला के कुछ लोगो ने एसआईए टीम के साथ संक्षिप्त विचार विमर्श में भाग लिए और अपनी समस्याओं को टीम को अवगत कराये।

व्यक्तिगत भूस्वामियों पर प्रत्याशित परियोजना प्रभाव : प्रस्तावित परियोजना स्थल अधिकांश निजी भूमि और सरकारी भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। सरकारी भूमि विभिन्न गतिविधियों के लिए ग्राम सभा को दी गई है।

प्रस्तावित परियोजना स्थल के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि बाद में उस क्षेत्र के सामान्य संपत्ति संसाधनों को प्रभावित करेगी। हालांकि, परियोजना के लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच और आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धता बेहतर होगी।

क. अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि उनका घर परियोजना स्थल के अंतर्गत आता है, उत्तरदाताओं का मानना था उनका अवास तब तक नहीं खंडित किया जाए जब तक उनके पास रहने के लिए कोई पक्का घर न हो जाए या जब तक कि आवास सुविधा के साथ किसी अन्य आवंटित भूमि क्षेत्र से प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। हालांकि, भूमि विनिमय नहीं होने की स्थिति में ऐसे पीएपी पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ख. कुछ प्रभावित परिवार कई वर्ष पहले अन्य परियोजना से प्रावित होकर यहा पर अपना अवास बनाये थे। उन परिवारों को फिर विस्थापन का दर्द सता रहा है। इसलिए जिन लोगों का अवास प्रभावित हो रहा है, वे चाहते हैं कि उनके अवास के लिए भूमि का आवंटन किया जाय।

ग. अधिकांश प्रभावित (खासकर गगल खास, बरसवालकड और झिकली इच्छी ग्राम पंचायत) परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका व्यवसाय परियोजना स्थल के अंतर्गत आता है, जो पीएफ के अजीविका को प्रभावित करेगा, परियोजना के विस्तार से उनका व्यवसाय समाप्त होगा या पुनः चालू करने मे समय लगेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थित खराब होने कि संभावना है। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं का मानना था उनका व्यवसाय तब तक नहीं खंडित किया जाये जब तक कि व्यवसाय संचालित करने के लिए किसी अन्य आवंटित भूमि क्षेत्र से प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। प्रभावित परिवार अपना पुनः व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग चाहते हैं, उनका कहना था कि जब तक व्यापार पूर्व के स्थिति में न आ जाय तब तक उनके आय के अनुसार प्रतिमाह प्रतिकर मिलना चाहिए।

घ. प्रस्तावित परियोजना से पीएफ/परिवारों के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना है, अधिकांश पीएफ अधिग्रहण के संरेखन के अन्तर्गत रहते हैं एवं रोजगार करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि के संबंध में भी आशंका व्यक्त

की क्योंकि एक बड़ा हिस्सा (कुछ परिवारों के लिए, उनकी सम्पूर्ण भूमि) प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसे नष्ट होने और उसके लिए उचित प्रतिकर की आवश्यकता है।

ड. हालाँकि, उन्हें कृषि की भूमि और उससे प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व को खोने की आशंका थी। इसलिए उनकी मांग थी कि नियमित राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए अपने तहसील क्षेत्र में समान आकार (क्षेत्रफल) और गुणवत्ता वाली भूमि आवंटित की जानी चाहिए।

6.5 भूमि अधिग्रहण से पीएपी में रोजगार क्षमता, आय क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण और पारिस्थितिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा

अधिकांश ग्रामीणों ने कांगड़ा में हवाई अड्डे के विस्तार से कृषि क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को नुकसान बताया, जिसके कारण ग्रामीण बेरोजगार होंगे क्योंकि अधिकांश ग्रामीण कृषि कार्य में लगे हुए हैं और इसमें सबसे अधिक प्रभावित आबादी महिलाओं की है। चर्चा से यह भी ज्ञात हुआ हवाई अड्डे के विस्तार से सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा और यह उनकी कमाई क्षमता, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक लोकाचार, पारिवारिक संरचना, मानसिक कल्याण, पारिस्थितिक कल्याण को प्रभावित करेगी। ग्राम के लोग साल भर में लगभग तीन फसलें उगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में हरा सब्जी उत्पादन का नुकसान होगा, जिससे सामान्य तौर पर प्राकृतिक संसाधन का नुकसान होगा और जिससे कारण सब्जी के मुल्यों में वृद्धि होगी।

1 भूमि अधिग्रहण का हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह हमारे जीवन को काफी बदल देगा। हवाई अड्डे और कॉर्पोरेट क्षेत्र की स्थापना से सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी और गाँव की पहचान मिट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारा सामाजिक जीवन के वीरान होने की सम्भवना है।

2 भूमि अधिग्रहण से ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जिसका हमारे सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पारंपरिक रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पंचायती राज संस्कृति की कार्यप्रणाली कमजोर होगी।'

3 किसी भी प्रकार का विकास क्षेत्र की स्थलाकृति को प्रभावित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ों को हटाने और भूमि की खुदाई के कारण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे।

4 सरकार को जमीन देने का मतलब है कि परिवार छिन्न-भिन्न हो जाएंगे क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के ग्राम में लौटने का कोई औचित्य नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण के बाद आने वाली पीढ़ियां काम की तलाश में दूसरे शहरों में चली जाएंगी। इस प्रकार, परिवार के विघटन का प्रमुख कारण अधिग्रहण होगा।'

5. इसके परिणामस्वरूप, मनोवैज्ञानिक संकट बढ़ेगा, भविष्य की चिंताएँ उभरने लगेंगी, और पारिवारिक विवाद मौद्रिक क्षतिपूर्ति के साथ बढ़ेंगे। आने वाली पीढ़ियों के पास अधिक पैसा होगा, जिससे पारिवारिक मूल्यों के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा और परियोजना प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा।

6. ग्रामवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार से कई ग्राम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

6.6 प्रभावित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि, व्यापार के अवसर, जमीन की कीमत, सार्वजनिक सुविधा, औपचारिक रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर में वृद्धि के संबंध में उनकी राय /धारणाओं पर चर्चा की गई :

1 परियोजना प्रभावित लोगों को यदि प्रस्तावित परियोजना में रोजगार मिलता है तो उनकी वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहेगी यदि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

2 यह परियोजना सरकार के पर्यटन आय को बढ़ावा देगी, इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3 प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं में सुधार करेगी, लेकिन तभी जब सरकार योजना में ग्रामीण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी अन्यथा औद्योगिक अवसरों में वृद्धि से ग्रामीण लोगों अर्थात् पीएपी को लाभ नहीं होगा।

6.7 प्रभावित क्षेत्र में खाद्य (सब्जी) सुरक्षा में वृद्धि, महिला रोजगार उत्पादकता और जीवन स्तर के संबंध में उनकी राय/धारणाओं पर चर्चा की गई और राय मांगी गई :

कृषि भूमि के अधिग्रहण से क्षेत्र में सब्जी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहां की अधिकांश महिलाएं कृषि (सब्जी उत्पादन) कार्य में लगी हुई हैं, इसलिए प्रस्तावित परियोजना से महिलाओं की रोजगार उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि उनके पास किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल की कमी है, और उनके भविष्य की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, प्रस्तावित परियोजना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण से उनके जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कृषि और पशुपालन इन गांवों में महिलाओं के आय का मुख्य स्रोत हैं।

6.8 परियोजना क्षेत्र में जल स्रोत, जल संचय, भूमिगत जल स्तर और वन संरक्षित जैसे मुद्दों पर चर्चा :

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, भूजल स्तर भी नीचे जाएगा, प्राकृतिक जल स्रोत और पर्यावरण को क्षेत्र में नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और इनका क्षेत्र के जल स्रोतों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

6.9 परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा :

उनमें से अधिकांश की राय थी कि परियोजना स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और समुदाय और आस-पास के गांवों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कर सकती है।

6.10 इस परियोजना का क्षेत्र में शैक्षिक सुविधा/स्कूलों/कॉलेजों और परिवहन और सड़क सुविधा में वृद्धि पर प्रभाव :

यह परियोजना क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसके अलावा प्रस्तावित परियोजना स्थानीय यातायात और सड़क सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी प्रदान करेगी।

6.11 क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार और निजी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा :

अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि प्रस्तावित परियोजना के कारण इस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हो सकता है और निजी संपत्ति क्षेत्र का मूल्य बढ़ सकता है।

6.12 परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं पर चर्चा :

प्रभावित परिवारों में से अधिकांश की राय थी कि परियोजना पर्यटन के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, परियोजना के विस्तार से क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र, समुदाय और आस-पास के गांवों के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

6.13 सामान्य तौर पर, एफजीडी के दौरान परियोजना के बारे में कोई अन्य राय/टिप्पणी भी उठाई गई और चर्चा की गई :

चर्चा में विधिवत अवगत कराया गया कि परियोजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी परियोजना से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेंगे। संबंधित अधिकारी को सभी लोगों की भूमि को सही तरह से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। मुआवजे की दरें आसपास के क्षेत्र के हिसाब से तय की जाए। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के भूमिहीन, आश्रित एवं गरीब लोगों के लिए भी अधिनियम के अनुसार समुचित सुविधाओं का प्रावधान उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, एफजीडी के दौरान पीएपी द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे :

1. इस परियोजना का समुदाय की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसके भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। वर्तमान में क्षेत्र में अपराध कम है, लेकिन उन्हें आशंका है कि परियोजना के पूरा होने के बाद प्रवासी मजदूरों और अन्य अपरिचित लोगों के घुसपैठ के कारण अपराध बढ़ सकता है।

2. उत्तरदाताओं को यह भी आशंका थी कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी कौशल की कमी है और उनकी शैक्षिक योग्यता कम है, जो हवाईअड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नौकरियों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है।

3. गौशालाओं के नुकसान, जलाऊ लकड़ी संसाधनों के नुकसान, घरेलू पशुओं की चरागाह भूमि आदि से संबंधित चिंता पर भी विधिवत चर्चा की गई।

4. परियोजना से जिन लोगों का अवास प्रभावित हो रहा है और उनके पास अवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है उन लोगों को अवास के लिए भूमि से संबंधित चिंता पर भी विधिवत चर्चा की गई।

5. परियोजना से जिन लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और उनको व्यवसाय संचालित करने के लिए भूमि के साथ तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रतिमाह दिया जाय जब तक उनका व्यवसाय पुरानी स्थिति में न आ जाये पर भी विधिवत चर्चा की गई।

6.14 शमन उपाय :

1. भूमि के उचित मुआवजे के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र और अन्य पुनर्वास उपायों में उठाए गए ढांचे के लिए अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करें।

2. स्थानीय और राहगीरों से अवैध वसूली पर नजर रखी जाए और उसे प्रतिबंधित किया जाए।

3. निर्माण चरण के दौरान सामुदायिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आत्मबल विकसित की जाए, विशेष रूप से जहां परिवारों को रहने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाएगा

6.15 सामुदायिक कल्याण और जीवन शैली संभावित प्रभाव :

पीएपी सामुदायिक कल्याण और रहने की क्षमता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंतित थे जिससे उनके जीवन प्रभावित होगा। यह भी जवाब दिया गया है कि इस भूमि अधिग्रहण से कुछ पीएएफ अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे दूसरों की तुलना में बड़े क्षेत्र में भूमि, अवास एवं व्यवसाय खो देंगे। परियोजना लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी क्योंकि परियोजना के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल सकती है। वे अपनी मूल पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति और संयुक्त परिवार संरचना के नुकसान के बारे में बहुत आशंकित हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो परिवार के सदस्यों के बीच आय का समान अवसर प्रदान करती है, लेकिन भूमि के नुकसान के बाद, हमें उनके अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो संयुक्त परिवार की संरचना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा परियोजना पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है, ग्रामवासीयों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण से क्षेत्र की स्थलाकृति बदल जाएगी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के कारण ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होगी।

6.16 सामूहिक विचार विमर्श के दौरान ग्रामीणों की मांगें :

प्रस्तावित क्षेत्र के कुछ ग्राम के अधिकांश किसान/भूस्वामि अपना भूमि परियोजना के लिये नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय एवं अवास का नुकसान हो रहा है और वह चाहते हैं कि सरकार पहले प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना प्रस्तुत करें। परंतु प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के संरेखन से प्रभावित अन्य ग्राम के किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं परंतु इसके बदले अपनी भूमि का मूल्य बजार मूल्य के बराबर चाहते हैं या फिर सर्किल रेट का दस गुणा दर चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां, जमीन के बदले जमीन और प्रभावित परिवार के युवा पीढ़ी के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार सृजित करना आदि शर्तें बताए गये। जिनका घर अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा है उनको तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

2013 के नियमानुसार किया जाना चाहिए। जिनका व्यवसाय अधिग्रहण से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारु रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार धनराशी प्रतिमाह मिलनी चाहिये।

6.17. परियोजना के लिए वैकल्पित स्थान पर चर्चा:

एफजीडी के दौराण ग्रामीणों से इस परियोजना के विस्तार के लिए वैकल्पित स्थान पर चर्चा किया गया एवं उनका सुझाव लिया जो निम्नवत हैं:

1. ग्रामीणों ने पहला सुझाव इस परियोजना के विस्तार के लिए हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर कि तरफ सराह कि ओर दिये, उनके अनुसार इस क्षेत्र में अबादि कम हैं और खाली भूमि अधिक हैं।

2. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के विस्तार के अलावा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कांगड़ा तहसील के बोड़क्वालू में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव दिये है, जो तहसील से लगभग 15 किमी दूरी एवं गगल हवाई अड्डे से लगभग 12 कि०मी० कि दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध एवं मसरूर मंदिर लगभग 15 कि०मी० पर हैं। जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज्यादातर भूमि बंजर और कम उपजाऊ है और प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

ग. ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों के अनुसार परियोजना के लिए तीसरा वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव कांगड़ा तहसील के रैत विकास खण्ड के लंज क्षेत्र में दिये है, जो गगल हवाई अड्डे से लगभग 23 कि०मी० कि दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से पोंग बांध लगभग 5 कि०मी० एवं मसरूर मंदिर लगभग 3 कि०मी० पर हैं। जिला हमीरपुर से लगभग 70 कि०मी० एवं ऊना से लगभग 100 कि०मी० कि दूरी पर स्थित हैं, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और वर्तमान प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अधिग्रहण से कम लोगों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सम्भावना है।

उपयुक्त स्थिति के अनुसार SIA टीम यह सुझाव देगी कि स्थल चयन के लिए तकनीकी टीम के सुझाव के उपरांत ही परियोजना के लिए उपयुक्त वैकल्पित स्थान का चयन किया जाए।

अध्याय—सात

लागत और लाभ विश्लेषण

कांगड़ा जिला के कांगड़ा तहसील में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, एसआईए टीम ने लागत की तुलना इसके लाभों से की। इस अध्याय में लाभ और संबंधित लागतों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना की लागत उपलब्ध नहीं हो पाया है इसलिए उचित लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन :

कांगड़ा जिला के कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तार से आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन विकास और हवाई संपर्क भी बेहतर होगा। परियोजना लंबी अवधि में पीएफ और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही, यह परियोजना आने वाले भविष्य में एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करने से एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यदि परियोजना पूर्ण हो जाती है, तो इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासी दोनों प्रभावित होंगे। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च की गई पूरी जनशक्ति और संसाधनों की बर्बादी भी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन

यह मानते हुए किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

7.2 संरचना और परिमाण या आकार पर प्रभाव :

पीएफ अपना भूमि, आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे निर्माण संरचनाओं को खो देंगे जिसको वे अपनी आजीविका और आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। शुरू से ही, यह परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए उनकी आजीविका और आवासीय उद्देश्य दोनों के लिए काफी प्रभाव और नुकसान प्रतीत होता है। इस परियोजना के विस्तार से विशेष रूप से गगल खास, बरसवालकड़, झिकली इच्छी के परिवारों के व्यवसाय एवं अवास पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के विस्तार से क्षेत्र के व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रभावित/ समाप्त होने कि संभावना हैं।

7.3 मुआवजे के निर्धारण :

RFCTLARR –2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड का उपयोग करते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट बाजार मूल्य या जहां भूमि स्थित है, बेचने के लिए समझौते, निकटतम गांव या निकटतम पड़ोस में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य के अनुसार प्रतिकर की राशि निर्धारण करते हैं।

पीएफ और पीएपी के साथ बातचीत के दौरान, उनमें से अधिकतर प्रति हे0 35 से 40 करोड़ रुपये के औसत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस तरह की दरों का भुगतान उसी क्षेत्र के अन्य बिल्डरों/खरीदारों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। मुआवजा का निर्धारण हिमाचल प्रदेश सरकार के RFCTLARR –2015 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए।

7.4 पात्रता अधात्री (मैट्रिक्स) :

पीएएफ निम्नलिखित छह प्रकार के मुआवजे और सहायता पैकेजों के हकदार होना चाहिए :

- भूमि, फसलो/पेड़ों के नुकसान के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा।
- संरचनाओं (आवासीय/वाणिज्यिक) यदि कोई हो और अन्य अचल संपत्तियों के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा।
- व्यापार/मजदूरी आय के नुकसान के अनुसार सहायता और आय सृजन करने में सहायता।
- भौतिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए जिनके पास कोई घर नहीं हैं उनके लिए वैकल्पिक आवास या घर के बदले नकद मुआवजा।
- स्थान परिवर्तन और पुनर्वास स्थल (यदि आवश्यक हो) के लिए सहायता का प्रावधान होना चाहिए।
- सामुदायिक संसाधनों/सुविधाओं का पुनर्निर्माण होना चाहिए।

RFCTLARR –2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड का उपयोग करते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट बाजार मूल्य या जहां भूमि स्थित है, बेचने के लिए समझौते के औसत बिक्री मूल्य के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारण करते हैं।

- निकटतम गांव या निकटतम पड़ोस में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य के अनुसार।

- निजी कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत सहमति के अनुसार मुआवजे की राशि का निर्धारण।
- RFCTLARR –2013 के अनुसार आर एंड आर पैकेज का निर्धारण।

नीचे दी गई तालिका में प्रभाव की श्रेणी और RFCTLARR अधिनियम 2013 के R&R की पात्रता के अनुसार पात्रता मैट्रिक्स दर्शाती है। मुआवजा निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1

पात्रता अधात्री (मैट्रिक्स) और मुआवजा निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत

प्रभाव का प्रकार	पात्रता कि योगता	प्रासंगिक RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार	
भूमि का नुकसान	प्रभावित भूस्वामि	भूमि का बजार मूल्य जिला कलेक्टर द्वारा RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाना चाहिए। भूमि एवं संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की राशि मौजूदा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अनुसार होना चाहिए	प्रभावित अधिकांस परिवार मुआवजे की राशि एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार चाहते हैं।
	प्रभावित भूस्वामि/परिवार	भूमि के बदले भूमि	RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार

<p>अन्य संपत्तियों का नुकसान</p>	<p>प्रभावित भूस्वामि</p>	<p>आवास एवं संपत्तियों का मुआवजा / प्रतिकर</p>	<p>प्रभावित परिवारों को RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए (प्रथम अनुसूची क्रमांक 2 के तहत प्रावधान (उक्त अधिनियम की धारा 29 के अनुसार)। मुआवजा कि राशि भूमि या संरचना के नुकसान के अनुसार कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा।</p>
<p>विलम्ब शुल्क</p>	<p>प्रभावित भूस्वामि / किरायादार</p>	<p>भू-अधिग्रहण के समय भूमि पर लगे फसलों का मुआवजा RTFCTLARR अधिनियम 2013 के धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान होना चाहिए।</p>	
<p>भूमि एवं अन्य संपत्तियों का नुकसान</p>	<p>प्रभावित भूस्वामि</p>	<p>भूमि एवं अन्य संपत्तियों के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त 12 प्रतिशत राशि मिलना चाहिए</p>	<p>भूमि का मूल्य, भूमि के संबंध में धारा 4 की धारा (2) के तहत एसआईए की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कब्जा लेने की तिथि तक भूमि के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त 12 प्रतिशत प्रति वर्ष का भुगतान किया जाना चाहिए।</p>

मुआवजा / प्रतिकर	प्रभावित भूस्वामि	कुल मुआवजा राशि मुआवजे के अतिरिक्त और मुआवजे की राशि के 100 प्रतिशत के बराबर होगी (u/s 30 RFCTLARR Act, 2013)
अतिरिक्त घटक	प्रभावित भूस्वामि	RFCTLARR Act, 2013 के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में SIA की अधिसूचना तिथि से लेकर धारा 4 के तिथि तक बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तय की गई राशि का भुगतान करेगा

7.5 परियोजना की लागत और लाभ :

जिला कांगड़ा में हवाई अड्डे के विस्तार आर्थिक विकास और अन्य लाभों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। इसके निर्माण से कुछ संभावित लाभ निम्नलिखित हैं :

- हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में भूमि की कीमत में वृद्धि होगी जिसका सीधा लाभ परियोजना क्षेत्र के भूस्वामी को होगा।
- हवाई अड्डे की सुगमता के कारण परिवहन में सुधार से कांगड़ा जिले में पर्यटन का विकास होगा। इससे परिवहन, होटल और आतिथ्य उद्योग और स्थानीय उत्पाद के बाजारों में विकास होगा।
- पैराग्लाइडिंग, क्षेत्र में उभरता हुआ पर्यटन खेल है, जो संभावित रूप से भारत में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह अधिकतम निरंतर उड़ान घंटे और सुरक्षित और बड़ा लैंडिंग स्थान प्रदान करता है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना परियोजना की व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- यह विमानपत्तन राज्य के सर्वोच्च हितों की पूर्ति करेगा तथा वायु सेना की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधार के रूप में सेवा प्रदान भी करेगा।

- प्रस्तावित विमानपत्तन पर बड़े विमानों की लैंडिंग से पर्यटकों का समय बचेगा और इन गंतव्यों के लिए हवाई किराए में गिरावट देखने को मिलेगी। जिससे पर्यटकों के संख्या में वृद्धि होगी।

1) लागत

जिला कांगड़ा के कांगड़ा तहसील में हवाई अड्डे के विस्तार में आर्थिक, परिचालन और पर्यावरणीय लागत शामिल है।

(क) आर्थिक और बुनियादी ढांचे की लागत में शामिल हैं : (अ) परियोजना की योजना बनाने में शामिल लागत, (आ) इसके लिए आवश्यक भूमि की लागत, (इ) भवन की लागत, (ई) विद्युतीकरण की लागत और (ए) सुरक्षा उपकरणों की लागत। इनमें भारी खर्च होता है और ये आर्थिक लागत का गठन करते हैं।

(ख) परिचालन लागत में शामिल हैं : (अ) ऊर्जा और बिजली की लागत, (आ) श्रम लागत, (इ) सामग्री की लागत और (ई) वार्षिक रखरखाव लागत। परिचालन लागत भी आर्थिक लागत है लेकिन बाद में उत्पन्न होता है।

(ग) परियोजना की बाहरी, पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों में शामिल हैं : (अ) वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की लागतें, (आ) ग्लोबल वार्मिंग में योगदान के लिए जिम्मेदार लागतें।

2) लाभ

हवाईअड्डा परियोजना के पूरा होने और संचालित होने पर निम्नलिखित लाभ होंगे :

(क) आर्थिक लाभ : (अ) राजस्व में वृद्धि, (आ) भूमि मूल्य में वृद्धि, (इ) व्यापार के अवसर, (ई) आजीविका विकल्प, (ए) रोजगार और (ऐ) विकसित बाजार आदि।

(ख) बाहरी या सामाजिक लाभ : (अ) लोगों एवं सामानों की आवाजाही में आसानी, (आ) समय के बचत, (इ) सड़क परिवहन और उपयोग में कमी के कारण प्रदूषण में कमी

(ग) वायुमार्ग में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी : (अ) भीड़भाड़ और देरी से बचने के लिए परिवहन में विश्वसनीयता में सुधार और (आ) सुरक्षा सुधार जो यातायात दुर्घटनाओं और जीवन रक्षा में कमी में मदद करता है।

हवाई अड्डा परियोजना में निवेश करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय है। हालांकि, सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं को न केवल वित्तीय लागत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि समाज पर प्रभाव से होने वाले संभावित सकारात्मक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। लागत और लाभ विश्लेषण दर्शाता है कि इस परियोजना में एक सकारात्मक शुद्ध लाभ है जो पूरी तरह से दर्शाता है कि परियोजना लागू करने योग्य है। टिकट राजस्व, यात्रा समय की बचत और सुरक्षा सुधार संबंधी विचारों के कारण, परियोजना लागत प्रभावी और मूल्यवान होगी। लागत और लाभ के परिणामों का विश्लेषण तालिका-7.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका-7.2 लागत और लाभ के परिणामों का विश्लेषण

लागत		लाभ	
आर्थिक आधारभूत संरचना	और योजना भूमि इमारत विद्युतीकरण सुरक्षा उपकरण	आर्थिक लाभ	पर्यटकों के संख्या में वृद्धि यात्री किराया से आय, भूमि मूल्य में वृद्धि, व्यवसाय के सुनहरे अवसर, आजीविका के विकल्प, रोजगार से आमदनी, विकसित बाजार आदि
संचालन लागत	ऊर्जा श्रम सामग्री वार्षिक रखरखाव	सामाजिक लाभ	विकसित परिवहन, नए स्थानों तक पहुंच, यात्रा के समय में बचत, परिवहन की विश्वसनीयता,

			सुरक्षा में सुधार सड़क में बचत आधारभूत संरचना
अन्य और पर्यावरणीय लागत	दुर्घटना, वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण और सांस्कृतिक आक्रमण	सांस्कृतिक लाभ	व्यावसायिक संस्कृति का प्रचार, आराम और असान यात्रा
कुल लागत का वर्तमान मूल्य		कुल लाभ का वर्तमान मूल्य	

7.6.1 लागत –लाभ विश्लेषण लागू करने में समस्याएँ :

किसी परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में लागत–लाभ विश्लेषण एक उपयोगी उपकरण है। लेकिन लागत –लाभ विश्लेषण की शुद्धता और विश्वसनीयता लागत और लाभ के अनुमान की सटीकता से निर्धारित होती है। लागत –लाभ विश्लेषण में, लागत और लाभ दोनों में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तत्व होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों के संदर्भ में होते हैं। सामाजिक लाभ भावी पीढ़ी और गैर-मानवीय हितधारकों से भी संबंधित हैं। इसलिए किसी परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है। कई मामलों में मूल्यों को आरोपित करना पड़ता है और अनुमान लगाना पड़ता है। इसलिए लागत –लाभ विश्लेषण एक अत्यधिक जटिल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभ्यास है और मूल्यांकन के गलत होने की अधिक संभावना है।

इस दृष्टि से कांगड़ा हवाईअड्डा के विस्तार की लागत एवं लाभों का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन सहज तर्क से यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना से लाभ इसकी लागत से कहीं अधिक होगा और इसलिए परियोजना समय, धन और कार्य के लायक है जो हवाईअड्डा और अर्थव्यवस्था के विकास में एक सार्थक योगदान देगी।

अध्याय—आठ

सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना

परियोजना से प्रभावित कांगड़ा तहसील के दस ग्रामों और शाहपुर तहसील के चार ग्रामों के पीएएफ के लिए प्रतिकर RFCTLAR (HP) नियम, 2015 के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहित भूमि, संरचना, चल/अचल संपत्ति आदि से संबंधित नुकसान के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुआवजा देने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि पीएफ को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनकी सभी संबंधित चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। एसआईए टीम ने सर्वेक्षण और समुह चर्चा के दौरान पीएएफ द्वारा उठाई गई चिंताओं को अधिनियम के प्रावधानों के साथ मिलान करने का प्रयास किया। लोग परियोजना का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका व्यवसाय एवं अवास प्रभावित हो रहा है। हवाई अड्डे के निर्माण/ विस्तार के लिए सुझाई गई वैकल्पिक भूमि और स्थान जिससे कम से कम सामाजिक और आर्थिकछति का अवलोकन को जनकल्याण एवं मांग के संदर्भ में लिया जाए। यदि हवाई अड्डा का विस्तार किया जा रहा है तो परियोजना से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए प्रस्तावित उपाय RFCTLAR (HP) नियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित हैं:—

1. परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना उपलब्ध नहीं हैं इसलिए प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना सिर्फ एक सुझाव/संदर्भ के रूप में प्रस्तुत है जिसका बिना पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कोई औचित्य नहीं है।
2. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

3. भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना उपलब्ध होना चाहिए।
4. अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले अधिक मौद्रिक लाभ और विस्थापित परिवार की सूची, भूमि का स्वामित्व और बुनियादी ढांचा, वाणिज्यिक संरचना, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीएएपी की सूची है, प्रभावित क्षेत्र में विकलांग सूची, प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सूची, प्रभावित क्षेत्र में चल/अचल संपत्ति की सूची तैयार किया जाना चाहिए और तदनुसार, प्रतिकर प्रदान किया जाय।
5. परियोजना का परिचालन सभी लागू विधानों, नीतियों, क्षति को कम से कम करने हेतु किये गये उपायों जैसे उचित प्रतिकर अथवा आजीविका के स्रोतों तथा संसाधनों का विकास राष्ट्रीय एवं राज्य के विधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।
6. जहाँ तक सम्भव हो परियोजना के परिचालन में सामाजिक कुप्रभाव नहीं होने देने के लिए उचित स्रोतों के सृजन का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो तो सामाजिक प्रभाव /प्रतिघात की अवधि, सघनता एवं प्रभाव के प्रसार को कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे प्रभाव जिनको पूर्ण रूप से कम नहीं किया जा सकता है उनको पूर्व की स्थिति में लाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए कृषि भूमि, आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवनशैली की गुणवत्ता आदि)।
7. परियोजना की प्राथमिकता उपयुक्त निर्माण पद्धति अनुसूची एवं अन्य क्षति को कम से कम करने के उपायों का उपयुक्त निर्धारण करते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के कल्याण एवं जीविकोपार्जन के अनुरूप होनी चाहिए।
8. हवाई अड्डा का विस्तार एवं परिचालन प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक प्रभाव से सम्बंधित हो सकता है अथवा प्राकृतिक पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में परियोजना के कार्यकलापों के सम्पादन आदि के रूप में समाघात सम्भव है। इस प्रकार के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात का सही

एवं पारदर्शी रूप से आंकलन करते हुए उन्हें कम करने हेतु शमन के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

9. परियोजना में दुर्बल/कमजोर व्यक्तियों एवं परिवारों, जैसे ऐसे भूमिहीन एवं बटाई कृषक जो अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति एवं परिवार नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने, परामर्श करने एवं विचार-विमर्श में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही, आजीविका के नये साधनों एवं परियोजना के अन्तर्गत काम के अवसरों के सम्बंध में भी अनभिज्ञ रहते हैं। प्रभावित उन लोगो को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिनके पास उचित भूमि स्वामित्व या भूमि पंजीकरण नहीं है, हालांकि वे कई वर्षों से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं।

10. परियोजना में उन सभी व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों के विधि सम्मत अधिकारों एवं रूचि का ध्यान रखा जाना चाहिए जो परियोजना से प्रभावित हैं। इस प्रकार इसमें उन सभी को सम्मिलित किया जाना है जिनकी भूमि, फसल एवं अन्य परिसंपत्तियों हवाई अड्डा के विस्तार के रेखांकन में अवस्थित हैं तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके सुख-साधन, जीवन-स्तर एवं अन्य सुरक्षा कवच आदि प्रभावित हुए हैं।

11. परियोजना में व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को परियोजना के हितधारकों के रूप में अपनी तर्कसंगत, रूचियों एवं परियोजना से सम्बन्धित विषयों में अपने विचार रखने का अधिकार होगा। प्रभावित लोगों के असहमति का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए।

12. अधिग्रहण से प्रभावित लोगो के लिए आजीविका योजना, लिंग योजना, शिक्षा योजना आदि सहित आर एंड आर पैकेज अनिवार्य और समयबद्ध होना चाहिए।

13. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से पहले भुगतान का समयरेखा का निर्धारण या भुगतान किया जाना चाहिए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना से पहले किसी को विस्थापन नहीं किया जाना चाहिए।

14. सभी विस्थापित पीएफ को कम से कम तीन बार पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, और उनके पशुधन की अत्यधिक देखभाल के साथ उनकी पसंद के नए क्षेत्र में सुचारु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए 9-12 महीने का उचित समय दिया जाना चाहिए।
15. विस्थापन/पुनर्वास के कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, मानसिक समावेशन को पूर्ण करने वाले सामाजिक प्रभावों के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
- 16.. अधिग्रहण और उसके बाद पुनर्वास प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता और भागीदारी दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए
17. भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए।
18. भूमिहीन लोगों के लिए पट्टे का विकल्प होना चाहिए।
19. संस्थागत तंत्र-विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय/राज्य निगरानी प्राधिकरण/आयुक्त आर एंड आर/प्रशासक का गठन किया जाना चाहिए।

भूमि एवं परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं परियोजना के संचालन के फलस्वरूप होने वाले प्रभावों एवं उनके शमन के उपाय को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है।

क्र०.सं०	प्रभाव/समाघात	प्रभाव की श्रेणी एवं प्रकार	निवारण हेतु उपाय
1.	उपजाऊ भूमि की क्षति	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि का अधिग्रहण तकनीकी व्यावहारिकता प्रतिवेदन' के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण अन्तिम विकल्प है और प्रस्तावित भूमि तकनीकी रूप से सर्वोत्तम है। 2. भूमि के मुआवजे के लिए अधिकृत एवं पात्र व्यक्तियों को (प्रतिकर हेतु पात्रता, प्रतिकर की धनराशि, प्रतिकर उपलब्ध कराने की समयावधि, प्रतिकर से सम्बंध में आपत्ति करने का तरीका

			<p>आदि) स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए प्रभावित भूस्वामियों को अवगत कराया जाना चाहिए।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. प्रतिकर के लिए एकढांचा विकसित किया जाना चाहिए जिसमें केवल प्रभावित सम्पत्ति का प्रतिकर न होकर मूल्य आधारित हों। 4. निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पुनर्वास के सभी उपाय पूर्ण किये जाने चाहिए। चूँकि भूमि अधिग्रहण योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है। अतः प्रभावित भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान समय से किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिकर के भुगतान में किसी बिचौलिये की भूमिका न हो। 6. प्रतिकर की राशि के निर्धारण से पूर्व अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि में अवस्थित सभी सम्पत्तियों यथा नलकूप/बोरिंग/ पम्पसेट, दुकानें, भवन, पेड़ पौधों आदि के मूल्य का निर्धारण सम्बंधित विभागों द्वारा किये जाने एवं उसके यथेष्ट प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परसम्पत्ति की पूरी सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि उपरोक्त सम्पत्तियों, उदाहरण स्वरूप पेड़-पौधों की प्रतिकर की धनराशि कम प्रतीत हो रही है तो प्रभावित कृषक को इसे खुले बाजार में बेचने की छूट दी जानी चाहिए। इस स्थिति में सम्बंधित विभाग (यथा वन विभाग) से अनुमति दिलाने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 7. प्रभावित ग्राम की शत प्रतिशत कृषि भूमि के अधिग्रहण के बावजूद प्रतिकर के निर्धारण में उस छोटी भूमि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो हवाई अड्डों के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है, तथापि निर्माण कार्य के कारण अनुपयोग्य हो गयी है। उदाहरण स्वरूप किसी कृषक की भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो कुछ मीटर ही लम्बा अथवा चौड़ा हो सकता है। उसे अधिग्रहीत न किये जाने के बावजूद वह उस कृषक के किसी उपयोग का नहीं रह जायेगा। सामाजिक समाघात अध्ययन में सामने आया है कि इस प्रकार के मुद्दों के प्रति
--	--	--	---

			<p>कृषकों में भ्रान्तियां फैली हैं। अतएव इस सम्बंध में जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का भौतिक सत्यापन करा के प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूमि की वास्तविक जानकारी हो सके।</p> <p>8. मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त प्रभावित कृषकों को ग्राम समाज की भूमि में से कुछ भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे उसका वैकल्पिक रोजगार अथवा पशुओं का बाड़ा बनाने आदि में उपयोग किया जा सके।</p>
2.	जीविकोपार्जन की क्षति एवं पलायन की सम्भावना	उच्च गम्भीर एवं अल्पकालीन	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाये जिनकी भूमि परियोजना द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हो चुकी है। 2. स्थानीय निवासियों को हवाई अड्डों के विस्तार में रोजगार को प्राथमिकता दी जाए। 3. प्रभावित परिवारों के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। 4. यदि सम्भव हो तो नयी क्रय की गई भूमि में निःशुल्क बोरिंग एवं बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता एवं छूट दी जाए। 5. जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है उन लोगों को व्यवसाय शुरू करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सहयोग देना चाहिए। 6. जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है उन लोगों को व्यवसाय शुरू करने हेतु स्थल का अवांटन एवं ऋण में छूट देना चाहिए।
3.	निर्माण अवधि में कर्मकारों एवं दीर्घकालीन परिचालन अवधि में अस्थानीय एवं बाहरी व्यक्तियों के कारण सामुदायिक मूल्यों एवं जीवन शैली में प्रभाव। परियोजना	कम तीव्रता एवं दीर्घकालीन	<ol style="list-style-type: none"> 1. निर्माण अवधि में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में स्थानीय निवासियों के लिए शिकायती रजिस्टर/पंजिका अथवा हेल्प लाइन एवं फोन नम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

	<p>के निर्माण अवधि में परियोजना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति एवं उनके कृत्य सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है इससे स्थानीय समुदाय भी प्रभावित हो सकता है। समुदायों के व्यक्तियों में प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप में उपलब्ध सीमित सुविधाओं का परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग से भी स्थानीय व्यक्तियों की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना।</p>		<p>3. बहुत बड़े आकार के संघर्ष/विवाद की स्थिति में ग्रामस्तर पर बैठक करनी चाहिए ग्रामों में बड़ी संख्या में बाहरी कार्यकर्ताओं के आने के फलस्वरूप लैंगिक आपराधिक घटनाएँ एवं शिकायतें आ सकती हैं।</p> <p>4. ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके आचरण के सम्बंध में आचार संहिता (कोड ऑफ कन्डक्ट) अथवा स्पष्ट नियमावली बनानी चाहिए। इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए की कर्मचारी-गण स्थानीय निवासियों से किस-किस विषय में तथा किस सीमा तक बात/चीत कर सकते हैं।</p>
--	---	--	--

8.1 प्रभाव से बचने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय :

प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे विस्तार के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम संभव तकनीकी डिजाइन प्रस्तावित किया जाना चाहिए और न्यूनतम संभव भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे अधिग्रहण में न्यूनतम व्यवधान हो। साथ ही, निर्माण चरण

के दौरान भी उचित उपायों की योजना बनाई जाना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो। भूमि और उससे जुड़े प्रभाव की भरपाई के लिए, RFCTLARR अधिनियम, 2013 और RFCTLARR (HP) नियम 2015 के आधार पर व्यापक R&R योजना बनाई जाना चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव :

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को RFCTLARR (HP) नियम 2015 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने का सुझाव दिया जाता है :

- **शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता :** भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर से संबंधित शिकायतों के समय पर समाधान के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए। यह शुरुआत से परियोजना के अंत तक मौजूद रहना चाहिए।
- पुनर्वास कार्य योजना की गुणवत्ता की निगरानी एक वरिष्ठ नामित अधिकारी की निगरानी में नियमित आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए और प्रत्येक तीन महीने में एक बार बेहतर गुणवत्ता की निगरानी नियमित आधार पर बाहरी एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।
- आर एंड आर का मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुझाव का उपयोग आगे की कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए। आर एंड पी (पुनर्वास कार्य योजना) का मूल्यांकन योजना के मध्य में और एक अंतिम अवधि पर होना चाहिए।

8.2 प्रभाव और प्रबंधन योजना

इस खंड में उन विभिन्न प्रभावों के बारे में बताया गया है जो प्रस्तावित परियोजना का पीएपी के जीवन पर प्रभाव डालता है, और उन प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है :

- भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना RFCTLAR (HP) नियम, 2015 और RFCTLAR act 2013 के अनुसार होना चाहिए

- परियोजना प्रभावित परिवारों पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव उनकी कृषि भूमि का स्थायी अधिग्रहण है। इस प्रभाव के लिए प्रबंधन योजना उन्हें RFCTLAR (HP) नियम, 2015 और RFCTLAR act 2013 के अनुसार प्रतिकर प्रदान करना चाहिए है।
- प्रभावित जिन परिवार का व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ऐसे परिवारो को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग या जब तक उनका व्यवसाय पहले के स्थित में ना आ जाए तब उन परिवार को प्रतिमाह उनके वर्तमान आय के अनुसार प्रतिकर मिलना चाहिए।
- कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि भूमि पर निर्भर हैं और भूमि के अधिग्रहण के साथ, वे आजीविका का अवसर खो देंगे। चूँकि सभी गाँवों की अधिकांश भूमि कृषि योग्य है, खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर कृषि उपज का पूर्ण नुकसान होगा। ऐसे परिवारों के लिए नई तकनिक के रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।

8.3. महिलाओं के लिए प्रबंधन योजना :

प्रस्तावित परियोजना का महिलाओं पर संभावित प्रभाव भूमि के रूप में अचल संपत्तियों से जुड़ी दीर्घकालिक सुरक्षा का नुकसान हो सकता है। प्रबंधन योजना को परियोजना प्रभावित महिलाओं को वित्तीय स्थिरता से मजबुत करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी वर्तमान स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि, जहां परियोजना के माध्यम से महिलाओं को नियोजित किया जाएगा वहां सुरक्षा और सुरक्षा की कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। महिलाओं को भी प्रबंधन योजना की समान लाभार्थी बनने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थित उपाय किए जाना चाहिए :

1. कार्यन्वयन एजेंसी को सक्रिय पहल करनी चाहिए ताकि संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए समूह-आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं से उचित परामर्श लिया जा सके और उन्हें कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सके।

2. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और बढ़ावा देने की जरूरत है।
3. पीएएफ की महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित और संरचित योजना को संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है।

8.4 विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी :

परियोजना की तैयारी से लेकर निर्माण चरण तक और एक हद तक संचालन चरण तक परियोजना में महिलाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा :

- परियोजना तैयार करने के चरण में, सर्वेक्षण और परामर्श के दौरान महिलाओं की भागीदारी संभव हुई।
 - निष्पादन एजेंसी सक्रिय पहल करेगी ताकि संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए महिलाओं से उचित परामर्श किया जा सके और उन्हें समूह आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
- महिलाओं के कौशल को ध्यान में रखते हुए निर्माण चरण के दौरान और संचालन चरण के दौरान भी महिलाओं को काम में लगाया जाना चाहिए।
- निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उनकी समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में मदद करेंगे और उन्हें सुरक्षा की स्थिति प्रदान करेंगे।
 - महिलाओं के लाभ से संबंधित परियोजना कार्य की निगरानी उनकी भागीदारी को आमंत्रित करेगी जो प्रक्रिया को उनके लिए अधिक पारदर्शी बनाएगी। महिलाओं को उनके दृष्टिकोण से परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और महिलाओं की

भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतर और अनुकूल स्थिति बनाने के लिए परियोजना में आगे संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनके उपयोगी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

8.5 निर्माण शिविरों में महिलाओं का प्रावधान

- **अस्थायी आवास** – श्रमिकों/श्रमिकों के परिवारों को निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक शिविर स्थल पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिये। कमरे का आकार मानक (4मी0,2/व्यक्ति) के अनुसार होना चाहिए। मानक उपलब्ध न होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया जाना चाहिये। डिजाइन को निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिये। ऐसे परिवारों के लिए स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कमरों का निर्माण किया जाना चाहिये।

- **स्वास्थ्य केंद्र** – निर्माण शिविर के लिए अस्थायी रूप से स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं या मामूली दुर्घटना के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक विजिटिंग डॉक्टर होना चाहिए, बड़ी बीमारियों और गंभीर मामलों के रोगियों को रेफर करने के लिए निकटतम अस्पताल के साथ संबंध होना चाहिए। शिविर में माताओं और बच्चों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में एमसीडब्ल्यू (मातृ एवं बाल कल्याण) इकाइयां होनी चाहिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य केंद्र बच्चों के लिए आवश्यक नियमित टीकाकरण प्रदान करेगा।

- **शिशु गृह सुविधाएं** – यह उम्मीद की जाती है कि महिला श्रमिकों में निर्माण स्थल पर शिशुओं और छोटे बच्चों वाली माताएं होंगी। शिशु गृह का प्रावधान ऐसी महिलाओं की समस्याओं को हल कर सकता है जो अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़कर दिन के लिए निर्माण गतिविधियों में काम कर सकती हैं।

- **निर्माण कार्यों का समय निर्धारण** – तेजी से निर्माण कार्य की मांग के कारण यह उम्मीद की जाती है कि 24 घंटे का कार्य शेड्यूल चालू रहेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट से छूट दी जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए निर्माण स्थल पर कड़ी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

- **शिक्षा सुविधाएं** – निर्माण श्रमिक मुख्य रूप से चलते-फिरते समूह हैं। वे अपने परिवारों को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसलिए उनके बच्चों को उनके काम के स्थान पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शैक्षिक सुविधाओं के साथ डे क्रेच सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

8.6 प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में पीएपी के आर्थिक निर्वाह के लिए रणनीति बनानी होगी। उन्हें नए कौशल प्रदान करने या प्रशिक्षण के माध्यम से अपने मौजूदा कौशल को उन्नत करने के लिए अपने उत्पादन स्तर को सुधारने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। चूंकि पीएफ ज्यादातर अपनी प्राथमिक आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए प्रशिक्षण उनकी आय बहाली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। पीएफ के लिए जो अपनी आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाने का इच्छा रखते हैं, उन्हें उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार आय सृजन में संलग्न करने के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी। कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, सामान्य उद्यमिता विकास का भी आकलन करने की आवश्यकता है और ऐसे विकास कार्यक्रम भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए जिसका उद्देश्य पीएपी की प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार करना हो। इसके अलावा, कुछ कौशल जैसे सिलाई और बुनाई, छोटी अच्छी दुकानें, विपणन-खरीद और बिक्री स्थानीय उत्पाद आदि के प्रति महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्षमता बढ़ाने वाली सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जो महिलाओं के लिए आय के पूरक स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है। परियोजना से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से महिला समुदाय के विकास और कल्याण

के लिए बनाई गई मौजूदा सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना से पूरक निधियों को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे कई सरकारी योजनाएँ और एनजीओ हैं जिनसे इस उद्देश्य के लिए संपर्क किया जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि :

क. स्वयं सहायता समूह,

ख. महिला और बाल विकास के लिए समर्थन,

ग. विभिन्न गांवों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि।

8.7 कौशल विकास के माध्यम से आजीविका संचालन और आय सृजन की रणनीति :

इस परियोजना से कौशल विकास प्रशिक्षण और तहसील स्तर पर चल रही सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। निष्पादन एजेंसी पीएपी के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को गतिशील बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। निष्पादन एजेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ देने के लिए पीएफ और तहसील के समबंधित विभाग के साथ काम करेगी।

आय सृजन गतिविधियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू में उन पीएफ का कौशल मानचित्रण शामिल है जिनकी आजीविका भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे प्रभावित होती है। क्षेत्र के संसाधन आधार से जुड़े कौशल विकास विकल्प और बाजार की उपलब्धता पर पीएफ के साथ चर्चा की जाएगी ताकि कुछ कौशल विकास प्रशिक्षण का चयन करने में उनकी प्राथमिकताओं का पता लगाया जा सके। पीएफ को अल्पकालिक व्यवस्था के बजाय व्यवहार्य दीर्घकालिक आय-सृजन योजनाओं के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए व्यवहार्य स्थायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों, जिला प्रशासन और संस्थागत वित्तपोषण और विपणन संघों में अन्य हितधारकों के परामर्श से ऐसी योजनाओं की पहचान कार्यकारी एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कार्य की आवश्यकता के साथ मौजूदा कौशल का उपयोग करने का भी प्रयास करना चाहिए। पीएफ को काम पाने की सख्त जरूरत के लिए आवश्यक कौशल के न होने की स्थिति में, परियोजना को ठेकेदार के परामर्श से नौकरी प्रशिक्षण की सुविधा भी देनी चाहिए।

इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, परियोजना प्रभावित परिवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। पीएफ संबद्ध कृषि गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, पशु पालन आदि में भी शामिल हो सकते हैं, जो पीएफ के मौजूदा पशुधन की देखभाल भी करेंगे। परियोजना को विभिन्न संगठनों की मदद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने में पीएफ की मदद करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को इसके द्वारा सृजित नौकरियों के लिए पीएफ के क्षेत्र में आवश्यक कौशल के प्रकार का पता लगाने के लिए एक आजीविका मानचित्रण अभ्यास सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन लोगों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो आजीविका और कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं और इस प्रकार उपयुक्त और पाठ्यक्रम और कक्षाओं को खोजने के लिए अपनी रुचि के क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं। एजेंसी पीएफ को विस्तारित समर्थन के रूप में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के आसपास उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थानों, कक्षाओं और संगठनों की पहचान भी कर सकती है।

8.8. हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार अपेक्षित निकाय द्वारा उपाय :

यह एसआईए रिपोर्ट आवश्यक निकाय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

क. भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों 2015, के अनुसार भूमिहीन और आवासहीन हो रहे पीएफ के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक पूर्ण आर एंड आर नीति और योजना विकसित की जनी चाहिए और साथ ही पीएफ के बार-बार विस्थापन न होना परे इस पर विचार किया जाना चाहिए।

ख. प्रभावित परिवार जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, उन परिवारों को जब तक व्यवसाय पूर्व के स्थिति में न आ जाय तब तक आर्थिक सहयोग भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों 2015 के नियमानुसार किया जाना चाहिए।

8.9 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था :

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि 100 एकड़ या उससे अधिक है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं या योजना का कार्यान्वयन कि प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए। उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का एक प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति की आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भू-अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र की पंचायत/पंचायतों के अध्यक्ष या उनके नामिती।
6. संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य या उनके नामांकित व्यक्ति। (जीपी प्रधान)

7. अपेक्षित निकाय का एक प्रतिनिधि।
8. संयोजक के रूप में आर एंड आर के लिए प्रशासक।

8.10 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) :

प्रभावित परिवार को उनके शंकाओं और शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए एक कुशल निवारण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। पीएफ की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। उन अधिकारियों द्वारा शिकायतों के समाधान न हाने के स्थित में शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाना चाहिए। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना आर एंड आर समिति के समान हो सकता है। यह समिति का बैठक मासिक आधार पर या आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।

जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

- भूमि/संपत्ति अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर पीएफ को सहायता प्रदान करना।
- पीएफ की शिकायतों को रिकॉर्ड करना, शिकायतों को वर्गीकृत करना और प्राथमिकता के अनुसार उनका समाधान करना;
- पीएफ को उनकी शिकायतों और जीआरसी के निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर रिपोर्ट करना।

न्यायालय के तहत स्वामित्व अधिकारों से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभ, मुआवजा, स्थानांतरण, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों का समीक्षा करना। जब कोई शिकायत फील्ड स्तर के पदाधिकारियों के पास लाई जाती है, तो शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर समाधान किया जाना चाहिए। जीआरसी की बैठक प्रति माह होनी चाहिए (यदि शिकायतों को समिति में लाया जाता है), प्रत्येक शिकायत का योग्यता का निर्धारण करना और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का

समाधान करना, इससे समाधान न होने पर शिकायतों का निवारण के लिए उपयुक्त न्यायालय संदर्भित किया जाना चाहिए।

अध्याय- नौ

संस्तुतियां

वर्तमान एसआईए अध्ययन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आयोजित किया गया था जिसमें प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। क्षेत्र के लोगों का परियोजना से व्यवसाय, आवास एवं भूमि पूर्ण रूप से प्रभावित होने के कारण परियोजना का विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना उपलब्ध न होने के कारण लोगो में बहुत गुस्सा, असंतोष और आवेश हैं इसीकारण से प्रभावित परिवारो ने एसआईए टीम को साक्षात्कार देने से मना किये, प्रभावित परिवारों के समुह को ADM एवं SDM द्वारा एसआईए के बारे में बार-बार समझाने के उपरांत भी परिवारो ने एसआईए टीम को किसी भी प्रकार आकड़ा एवं सुचना देने से इनकार किया। इसी क्रम में एसआईए टीम को प्रभावित ग्राम झिकली इच्छी एवं गगल खास पंचायत के लोगो ने साक्षात्कार देने से माना किया। पंचायत एवं ग्राम के लोगो ने एस.आई.ए.टीम को गांव के अन्दर जाने एवं साक्षात्कार करने से रोका एवं एसआईए टीम के सदस्यों को धमकियाँ भी दी, उनका कहना था कि जब हम लोगो को हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि देनी ही नहीं हैं तो हम लोग साक्षात्कार क्यों दे। एस.आई. ए.टीम ने घर-घर जाकर लगभग 35 प्रतिशत लोगो से प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार/ आकड़ा एकत्र किया एवं अन्य प्रभावित परिवारों कि समस्याओं का विरोध के दौरान एकत्र भिड़ से साझा किये गये तर्कों को संग्रह किया, DC कांगड़ा द्वारा प्रभावित परिवारों द्वारा साझा किये गये विरोध पत्र का भी आकलन किया गया है, साथ ही साथ एसआईए टीम द्वारा शोध के माध्यम से विगत कई वर्षों से जनता एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा हवाई अड्डा के विस्तारिकरण से सम्बंधित प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया गया है। अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रभावित परिवार किसी भी हालत में उपयुक्त परियोजना के लिए भूमि देने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित हैं। इस अध्ययन में प्रभावित हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओ, मुद्दों और सुझावो को शामिल किया गया है। सभी चिंताओ, मुद्दों और सुझावो पर पिछले अध्यायों में विस्तृत जानकारी/ चर्चा की गई है। परियोजना की शमन योजना

से संबंधित मुद्दों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना व्यवस्था के उपरांत ही उपयुक्त तरीका से प्रशासन को प्रस्तुत किया जा सकता है। एसआईए टीम ने पीएएफ एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत, विचार विमर्श, अवलोकन और अन्य तकनीकी तरीकों के माध्यम से क्षेत्रीय आंकड़ों को एकत्रित करके विश्लेषण किया है और तदोपरान्त निम्नवत सिफारिशें प्रस्तावित हैं :

1. भू-अर्जन से पहले कानून के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना की व्यवस्था तथा हितधारकों का सहयोग वांछनीय है।

2. हवाई अड्डा का वर्तमान विस्तार वृहत आबादी क्षेत्र एवं स्थापित व्यवसाय को प्रभावित करेगी, जो वर्षों से स्थापित एवं सामान्य स्वसंचालित हैं को पूर्ण तरह से प्रभावित करेगा। व्यापक विचार विमर्श से जानकारी मिली है कि यदि प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण होता है तो परियोजना की लागत मूल्य लगभग कई हजार करोड़ आकी गई है साथ ही साथ हजारों की संख्या में परिवार अपना परिवारिक व्यवसाय, आमदनी के श्रोत और समाजिक ताना बना खो देंगे, विचार विमर्श के दौरान यह भी पता चला है कि हजारों लोग छोटी बड़ी दुकानों में कार्यरत हैं वे भी अपनी जीवन यापन इस कारण खो देंगे। जैसेकि सरकारी नौकरियों का पहले ही अभाव है, और सरकार हजारों लोगों को नियोजित नहीं कर पायेगी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित परिवारों ने परियोजना के लिए वैकल्पित भूमि एवं भू-अर्जन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं

i. परियोजना का विस्तार, वर्तमान कांगड़ा हवाई अड्डे के पश्चिम से उत्तर की तरफ धर्मशाला की ओर किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम परिवार विस्थापित होंगे और सरकारी आय की अत्यधिक बचत होगी और स्थानिये लोग भी खुश रहेंगे।

ii. नई जगह (बोड़क्वालू या लंज) कांगड़ा तहसील में खुली एवं सरकारी भूमि उपलब्ध है, इसमें भी समाजिक एवं आर्थिक छति निम्नवत् आकि गई है।

3. ग्रामवार समस्याओं के समाधान हेतु दिये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट-एक में अंकित है। जिसका निवारण समयवद्ध होना चाहिए ताकी लोगों में समाजिक सद्भावना बनी रहे।

4. परियोजना के विस्तार से ग्राम या क्षेत्र में जलभराव/बाढ़ कि समस्या उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसे आपदा प्रबंधन के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।
5. पूर्व में जो परिवार,वर्तमान हवाई अड्डे की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं ऐसे परिवार यदि पुनः अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं तो विशेष प्रतिकर राशी दि जाए।
6. जो परिवार भूमिहीन और बेघर हो रहे हैं, उनका उपयुक्त रूप से और पूरी तरह से पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।
7. प्रभावित अधिग्रहण भूमि में उपलब्ध परिसम्पत्तियों जैसे भवन, दुकान, नलकूप/बोरिंग, पेड़-पौधे, फसल, जलस्रोत, होटल, पेट्रोल पम्प, समुदायिक भवन, सरकारी भवन साजसामान,आदि का सक्षम संस्था से उचित मूल्यांकन कराते हुए, प्रभावित परिवारों एवं संस्थान के स्वामियों से बातचित के माध्यम से प्रतिकर दिया जाना चाहिए और उपयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।
8. प्रभावित परिवार आंशिक/पूर्ण रूप से कृषि भूमि खो देंगे, जिससे फसल उत्पादन एवं आजीविका का नुकसान होंगा।
9. जिन लोगो ने साक्षात्कार दिये उनमें से लगभग 53 प्रतिशत परिवार जमीन देने के लिए तैयार हैं, यदि उनकी समस्याओं का निवारण उनकी मांगों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।
10. जिनका व्यवसाय भू-अधिग्रहण से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। उनको भूमि अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए और जब तक उनका व्यवसाय सुचारु रूप से न चल सके तब तक उनको जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान आय के अनुसार प्रतिमाह धनराशी मिलनी चाहिये।

11. प्रभावित भूस्वामियों को इस अध्ययन में वर्णित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) और RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

12. जिन परिवारों की पूर्ण भूमि एवं मकान अधिग्रहण से प्रभावित समाप्त होगा। ऐसे परिवारों को लगभग 15 कि.मी. के परिधी में नियमानुसार या वर्तमान यथास्थिति के अनुसार, अधिग्रहण से पूर्व पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना चाहिए।

13. सामुदायिक, समाजिक और सरकारी सम्पतियाँ जो कि अधिग्रहण से प्रभावित होंगी एवं ग्रामवासियों को आंशिक व पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। ऐसी सम्पतियों का आंकलन करके परियोजना कार्य आरम्भ होने से पूर्व ही नियमानुसार पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

14. अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों की आजीविका और समाजिक-आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

15. RFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य / सर्कल रेट (लागू होने पर) का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का दो गुना होना चाहिए।

16. परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त सुझाव और प्रतिक्रिया होने की स्थिति में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी प्राप्त की जा सकती है और अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना से प्रभावित अधिकांश परिवारों द्वारा अपनी जमीन नहीं देने के लिए कई मुद्दे और चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। हवाई अड्डे के विस्तार / निर्माण के लिए सुझाई गई वैकल्पिक भूमि और स्थान, लोगों द्वारा सबसे अधिक अपेक्षित हैं क्योंकि इससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम से कम होगा, इसके लिए वैकल्पिक भूमि की तकनीकी जांच की आवश्यकता हो सकती है और तदनुसार, सरकार भूमि अधिग्रहण के विषय पर निर्णय ले सकती है। RFCTLARR 2013 के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और हितधारकों के

साथ सारे एवं अन्य भी सकारात्मकत एवं नकारात्मकत प्रभावो की चर्चा होगी और एसआईए एजेंसी द्वारा स्थानीय स्तर पर भी सभी मुद्दों/विषयों का मूल्यांकन करने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण की सिफारिश उसके बाद ही की जा सकती है।

परिशिष्ट- एक

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

तहसील:-कानड़ा

1.ग्राम का नाम :- भेड़ी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 3.1933 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	मकान और अन्य ढाचा : 11 और 8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।

3	मुर्गी फार्म :1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मुर्गी फार्म का नुकसान। ➤ आय के स्रोत का ह्रास। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मुर्गी फार्म का उचित प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए। ➤ पुनः व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थित सहयोग करना चाहिए।
4	पौधे के नर्सरी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ रोजगार का अभाव। ➤ पौष्टिक फलों एवं सब्जी के नर्सरी का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर नर्सरी का व्यवसाय करने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ पौधे के नर्सरी के व्यवसाय शुरू करने हेतु उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए।
5	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
7	बोरींग / ट्यूबवेल (पिने के पानी हेतु): 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पीने हेतू साफ जल की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पुनः उचित स्थान पर बोरींग / ट्यूबवेल की व्यवस्था की जानी चाहिए,जिससे पिने की पानी की समस्या न हों।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

2.ग्राम का नाम :- दुगियारी खास

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 1.1510 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ महंगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ महंगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संकामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	हाईस्कूल और इन्टर कालेज : 1 प्राइवेट और सरकारी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 13 और 9	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन की समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंपत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यापार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंपत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर

			लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवंटित किया जाना चाहिए।
8	पेड़ पौधे :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	नदी : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बाढ़ का सम्स्या ➤ फसल का नुकसान ➤ सिंचाई में व्यवधान 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नदी के पानी निकलने हेतु वैकल्पिक ब्यवस्था किया जाना चाहिए। ➤ सिंचाई हेतु वैकल्पिक ब्यवस्था कि जानी चाहिए।
10	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
11	बोरिंग/बोरवेल (पीने के पानी के वास्ते) 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

3.ग्राम का नाम :- सनौरा

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 9.3065 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संकामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	स्कूल : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 75 और 43	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन की समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंपत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	मंदिर : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
8	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से

		➤ पौष्टिक फलों का नुकसान।	होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए। ➤
10	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

4.ग्राम का नाम :- गगल खास

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 19.8067हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	➤ आवागमन बाधित।	➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<p>किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।</p>
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	स्कूल : 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 154 और 55	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act,

			2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 198	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर :2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
9	पैट्रोल पम्प : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं पैट्रोल पम्प सुचारु रूप से चलाया जा सके। ➤ पैट्रोल पम्प चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्युत्पास्य पुनः शुरु किया जा सके। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 10	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
11	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढेगा ➤ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
12	चरागाह	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह का नुकसान ➤ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
13	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
14	आंगनवाड़ी केन्द्र	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

			➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
--	--	--	---

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

5. ग्राम का नाम :- बाग

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 04.5496हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ महंगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ महंगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।

3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग / बोरवेल (पीने के पानी के वास्ते) 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल कराई जानी चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 21 और 15	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन की समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यापार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया / चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए।

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/ इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

6.ग्राम का नाम :- बरसवालकड

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 22.1219 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ महंगा चारा लेना पड़ेगा। 	<p>बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 20 बौरिया: 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।

6	मकान और अन्य ढाचा : 139 और 115	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 24	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
9	स्कूल : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके।

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11	सोसाइटी भवन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भवन का नुकसान। ➤ किसानों को खाद एवं बीज लेने के दूर जाना परेगा। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सोसाइटी भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➤ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारु रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें। ➤ जबतक नई सोसाइटी भवन का निर्माण न हो जाय तब तक खाद एवं बीज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए।
12	अस्पताल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इलाज में समस्या ➤ इलाज के लिए दूर जाना पड़ेगा ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➤ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ नई तकनीकि से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारु

			रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
13	शमशान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शवदाह की समस्या ➤ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➤ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर शमशान प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
14	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

7.ग्राम का नाम :- झिकली इच्छी

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 14.5511 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग / बोरवेल (पीने के पानी के वास्ते) 16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल काराई जानी चाहिए। ➤
6	मकान और अन्य ढाचा : 43 और 25	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन की समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 56	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act,

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यापार का नुकसान। 	<p>2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवंटित किया जाना चाहिए।
8	मंदिर : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर सीनान्तरित किया जाना चाहिए।
9	स्कूल : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	शमशान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शवदाह की समस्या ➤ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➤ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर शमशान हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
11	कब्रस्तान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शवदाफनाने में समस्या ➤ शवदाफनान के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर कब्रस्तान हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी 	
12	पंचायत भवन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भवन का नुकसान। ➤ सभा स्थल एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पंचायत भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारु रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।
13	सरकारी पशु अस्पताल :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पशुओं के इलाज में समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ पशु स्वास्थ्य सेवा का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➤ पशुओं इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारु रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
14	अस्पताल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इलाज में समस्या ➤ इलाज के लिए दूर जाना पड़ेगा ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➤ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारु रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें

15	किसान भवन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भवन का नुकसान। ➤ सभा स्थल एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि ➤ किसानों को रूकने में समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ किसान भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➤ नई तकनीक से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारु रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।
16	आंगनवाड़ी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
17	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेंसिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
18	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित हैं।

8.ग्राम का नाम :- मुगरेहड़

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 2.4327हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/मार्ग : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

4	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संकामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
5	बोरिंग/बोरवेल (पीने के पानी के वास्ते) 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
6	मकान और अन्य ढाचा : 5 ओर 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
7	दुकान : 7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर

			व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
8	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
9	चरागाह	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह का नुकसान ➤ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
10	आंगनवाड़ी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढेगा ➤ ईंधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
12	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

9.ग्राम का नाम :- सौहड़ा

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 2.9939 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग : 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

4	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते) 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
5	मंदिर :1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। ➤
6	जल निकास नाली:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। ➤ जलभराव की समस्या। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
7	मकान और अन्य ढाचा : 7 और 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
8	दुकान : 10	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए।

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
9	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकड़ी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढ़ेगा ➤ ईंधन/ इमारती लकड़ी का नुकसान। ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए। ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधें तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

10.ग्राम का नाम :- बल्ला

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 07.1454 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ महंगा चारा लेना पड़ेगा। 	<p>बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली / मार्ग : 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	सिंचाई के लिए बोरवेल:1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई का स्रोत का नुकसान ➤ महंगा पानी लेना पड़ेगा ➤ समय से पानी नहीं मिलेगा ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निःशुल्क बोरिंग कराई जानी चाहिए। ➤ सुचारु रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूखी गई फसल का भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।
5	जल निकास नाली : 7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाले का नुकसान। ➤ ग्राम के गंदा पानी को निकलने में समस्या आयेगी। ➤ संक्रामक रोगों का फैलाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ परियोजना के साथ नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ जलभराव की समस्या। 	
6	चारागाह :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह का नुकसान ➤ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
7	मकान : 6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन की समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
8	दुकान : 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया/चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
9	पेड़ पौधे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आय का स्रोत ➤ लकडी का अभाव। ➤ रोजगार का अभाव। ➤ हरियाली का नुकसान ➤ छाया का नुकसान ➤ प्रदूषण बढेगा ➤ ईधन/इमारती लकडी का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर पौधे लगाने हेतु कटीले तार की फेन्सिंग कराई जानी चाहिए। ➤ पौधों का उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। ➤ निशुल्क पौधे दिये जाने चाहिए।

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ पौष्टिक फलों का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधों तैयार होते हैं इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	शमशान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शवदाह की समस्या ➤ शव जलाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा ➤ अन्तिम यात्रा की लागत में वृद्धि हो जायेगी 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अन्य स्थान पर शमशान प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
11	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित हैं।

तहसील:- शाहपुर

1.ग्राम का नाम :- जुगेहड़

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 2.5112 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

2	सिंचाई नाली / मार्ग : 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति । ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी । ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी । ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन ➤ के लागत में वृद्धि होगी । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए ।
3	मकान : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए । ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए । ➤ परिसंपत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए ।
4	दुकान : 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान । ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि । ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान । ➤ व्यपार का नुकसान । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंपत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया / चलाया जा सके । ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए । ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए । ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए ।
5	मंदिर :2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान । ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
6	तलाब :1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जल स्रोत का हास ➤ पशुओं का पानी पीना एवं नहाने की समस्या ➤ जल स्तर की समस्या। ➤ मंदिर के पास होने के कारण जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। 	➤ अन्य भूमि पर तालाब प्रस्तावित किया जाए।
7	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
8	पशु अस्पताल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पशुओं के इलाज में समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ पशु स्वास्थ्य सेवा का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अस्पताल को अन्य स्थान पर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) निर्माण कराया जाना चाहिए। ➤ पशुओं इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सुचारु रूप से स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न हों सकें
9	पटवारी कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भवन का नुकसान। ➤ ग्रामवासीयों को भूमि संम्बन्धी कार्या हेतु दूर जाना पड़ेगा। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पटवारी कार्यालय हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि

			ग्रामवासीयों को भूमि सम्बन्धी कर्तव्य हेतु दूर न जाना पड़े।
10	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित हैं।

2.ग्राम का नाम :- कयोड़ी.

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 6.0642 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।

3	सिंचाई नाली / मार्ग :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति । ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी । ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी । ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन ➤ के लागत में वृद्धि होगी । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए ।
4	मकान और अन्य ढाचा : 34 और 17	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए । ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए । ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमाअनुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए ।
5	मंदिर :1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान । ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात । ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए । ➤
6	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए ।
7	बोरिंग / बोरवेल (पीने के पानी के वास्ते)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास । ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव । ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव । 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए । ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग / बोरवेल काराई जानी चाहिए । ➤

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

3.ग्राम का नाम :- भड़ोत

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 0.1222 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।
3	सिंचाई नाली/ मार्ग :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

4	मंदिर :1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
5	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित हैं।

4.ग्राम का नाम :- रछियालू

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्याएँ/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	कृषि योग्य भूमि : 26.7126 हे0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अजीविका के स्रोतका अभाव। ➤ कृषि मजदूरी का अभाव। ➤ सब्जी/ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➤ नकदी फसल का नुकसान होगा ➤ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➤ पलायन में वृद्धि। ➤ मंहगा चारा लेना पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित किसानों को सर्किल रेट का नियमानुसार संसोधन कर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए,जिससे वह कृषि योग्य भूमि खरीद सके। ➤ किसानों को वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ➤ ऊसर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए। ➤ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
2	सम्पर्क मार्ग : 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आवागमन बाधित। ➤ हवाई अड्डा के दूसरी ओर आने-जाने में समय अधिक लगेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्राम/क्षेत्रवासीयों के लिए बैकल्पित सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो।



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य के समय में आने-जाने में समस्या ➤ सामान लाने में भाड़ा अधिक लगेगा। 	
3	सिंचाई नाली / मार्ग :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नाली की क्षति। ➤ दूसरे स्रोत से महंगी सिंचाई होगी। ➤ फसल सूखने की समस्या ➤ पैदावार में कमी। ➤ सब्जी / खाद्यान्न उत्पादन ➤ के लागत में वृद्धि होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली के निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ हवाई अड्डा के निर्माण के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए।
4	मकान और अन्य ढाचा : 152 और 48	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निवास स्थान की समस्या ➤ आवास की समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ विस्थापन कि समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नया अवास का निर्माण कराई जाए। ➤ यदि विस्थापन कि समस्या है तो विस्थापित परिवारों को नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) किया जाना चाहिए। ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013 & HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
5	दुकान : 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारीयों का आजीविका का नुकसान। ➤ व्यपार का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसंम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार(RFCTLARR Act, 2013) दिया जाना चाहिए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य एवं व्यापार सुचारु रूप से कराया / चलाया जा सके। ➤ व्यवसाय चलाने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। ➤ दुकान तब तक न तोड़ी जाए जब तक नया व्यवसाय प्रारम्भ न कर लें अथवा किसी अन्य स्थान पर

			व्यवसाय करने हेतु स्थल आवटित किया जाना चाहिए।
6	मंदिर :3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूजा – पाठ में व्यवधान। ➤ जनता की आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर आघात। ➤ देव स्थान को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से जनता में रोष। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गाँव के सम्मानित लोगों एवं धर्माचार्यों की देखरेख में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
7	बोरिंग/बोरवेल (पिने के पानी के वास्ते)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पेयजल स्रोत का हास। ➤ पीने व नहाने के पानी का अभाव। ➤ पशुओं के पीने नहाने व चारा में मिलाने हेतु पानी का अभाव। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क बोरिंग/बोरवेल काराई जानी चाहिए।
8	पंचायत भवन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भवन का नुकसान। ➤ सभा स्थल एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का नुकसान। ➤ निर्माण कार्य लागत में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पंचायत भवन हेतु अन्य स्थान पर भूमि प्रस्तावित की जाए। ➤ नई तकनीकी से भूकम्प अवरोधी भवन का निर्माण कराया जाए ताकि सुचारु रूप से सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न हों सकें।
9	आंगनवाड़ी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ शिक्षण कार्य नुकसान। ➤ निर्माण कार्य के लागत में वृद्धि। ➤ कार्यरत कर्मचारियों का आजीविका का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि अन्य स्थान पर निर्माण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके। ➤ शिक्षण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ➤ कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
10	पशु स्वास्थ्य केन्द्र	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इलाज में समस्या ➤ दुबारा निर्माण कराने पर लागत में वृद्धि ➤ निर्माण कार्य नुकसान। ➤ स्वास्थ्य सेवा का नुकसान। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अस्पताल को अन्य स्थान पर निर्माण कराया जाना चाहिए। जाए। ➤ इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिसम्पत्तियों का प्रतिकर नियमानुसार (RFCTLARR Act, 2013& HP RFCTLARR Ruls, 2015) दिया जाना चाहिए।
11	बिजली का खम्भा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली बाधित ➤ ग्रामवासी का दिनचर्या प्रभावित 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना कार्य के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिशिष्ट-दो
साहित्यिक समीक्षा एवं तसवीर



Abhishek Koundal

Government...please listen to people's distress .This is going to be more intense....no more extension of Gaggal airport...stop playing with people's life on name of development. I might be away from my home but my full support against airport extension.

This is one of the nightmare for the local people, to loose out their OWN land ,homes and property. And that too without their own consent.

For ages who have been living and praying every morning and nights for the well being of their safety and their places, has just turned out to be making false promises to themselves, to their heavenly forefathers and to the generations to come. Our own elected ministers are hell bent at getting us out of our own homes for someone elses benefits.

Its not a hidden mine that's been explored today

And needs to be made here itself. Or a raging river which will make its way right in here. It's an airport , where local residents have never travelled nor dreamt of, has just snatched our homes way above flying from skies.

Its mere a benefit to hoteliers and travel agencies at the cost of thousands of petty people.

Airport can be made anywhere but homes can never be changed. It has past and future both linked to it.

Its just a political agenda which will cost thousands of people getting homeless, jobless and eventually a fear which will creep in that even our own homes are nomore a safer place to be.

Its a humble request to atleast get NOC from people before they get kicked out of their properties.

At last its not a government occupied space you are dealing with, its a private property. Without our consent nobody can take it away from us.

Say NO to extension.

Send in your support and comments,but remember it should be like your own home is under this sky of fire as is ours .

Thanks..



DHARAMSHALA: Markets remained closed adjacent to Kangra airp ..

काजल का चैलेंज, हवाई अड्डे का विस्तार मंजूर नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट पर कायम है स्टैंड

By: पंकज ओबराय- कांगड़ा Sep 27th, 2020 4:10 pm

पंकज ओबराय। कांगड़ा

रविवार को मटौर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दौरान काजल ने दो टूक कहा कि जब तक मैं कांगड़ा का विधायक हू तब तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध करता रहूंगा। काजल ने कहा लगभग एक हजार परिवारों को उजाड़कर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करना बेमानी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग एक दर्जन पंचायतों के लोगों को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। काजल ने कहा मेडिकल कॉलेज टांडा को कोविड केयर सेंटर बनाकर प्रदेश सरकार ने निचले हिमाचल कि जनता साथ धोखा किया है।



कॉविड सेंटर दूसरी जगह भी बन सकता है। टांडा में ओपीडी सेवाएं चरमरा गई है। कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को उपचार ना मिलने कारण निजी अस्पतालों में मंहगा उपचार करवाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा बनाए आयुष्मान और अन्य हैल्थ कार्ड सफेद हाथी बने हुए है। काजल ने कहा भाजपा सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूर्णता विफल रहा है। उन्होंने कहाँ कि जाति प्रमाण पत्र की समय अबधि एक वर्ष से बढ़ा जो तीन वर्ष की करने का सवाल बिधानसभा में रखा था उसे भले ही सरकार ने न मानो हो लेकिन वे इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहेगे।

उन्होंने कहाँ कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के पहियों को जंग लग गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी ए केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण पर भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी है। काजल ने कहा कांगड़ा में दशहरे से पहले 35 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल बिछाकर ग्रामीण सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। काजल ने कहा कांगड़ा में भाजपा सरकार एक भी नई योजना शुरू करने में विफल रही है। जो सड़कों और पुलों के कार्य चल रहे है वो उनकी विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत चल रहे है।

काजल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने और पंचायत चुनावों की तयारी में जुटने का आह्वान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

सुरेश वालिया ने संगठन कि गतिविधियों का ब्योरा रखते हुए कहा कि हर पोलिंग बूथ पर छे कार्यकर्ताओं की टीम तयार की गई है। इसी बीच रविवर को पत्रकारों से बातचीत में काजल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में ओबीसी सर्टिफिकेट की अवधि तीन साल करने संबंधी सवाल उठाया था। उसे सरकार ने भले ही अभी नकारा हो, लेकिन सीएम ने उस पर आश्वासन दिया है।



ओबीसी सर्टिफिकेट की अवधि तीन साल करवाकर रहूंगा। बैठक में नगर परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम नारायण के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रेम वर्सोलाए रोशन लाल सिन्होत्राए विजू चौधरीए कांता सरोचए सरदार गुरदयाल सिंहए सरदार पुरषोत्तम सिंहए हेमराजए प्रकाश भाटियाए सरूप सिंह, चुन्नी लालए मोहित सैनीए विवेक डोगराए रंजीतए सनेहलताए जिला पार्षद अनुराधा सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

Kangra Airport Expansion: कांगड़ा एयरपोर्ट होगा और भी ज्यादा आलीशान, 339 भवनों 270 दुकानों को हटाकर किया जाएगा विस्तार

Himachal News: अब कांगड़ा एयरपोर्ट को और भी आलीशान बनाया जाएगा. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. 41 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है. इसके दायरे में आने वाले भवनों और दुकानों को हटाया जाएगा.

By: अंकुश डोभाल, शिमला | Updated at : 08 Jan 2023 06:47 AM (IST)



कांगड़ा एयरपोर्ट का होगा विस्तार

Share:

Kangra Airport Expansion News: हिमाचल प्रदेश में बेहतर हवाई यात्रा के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार की ओर से कांगड़ा एयरपोर्ट (Kangra Airport) के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने इसके लिए 41 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया है. कांगड़ा, शाहपुर और धर्मशाला उप मंडल के लोक निर्माण विभाग ने कुल तीन स्थानों को चिन्हित कर लिया है. इसमें सबसे ज्यादा जमीन कांगड़ा सब डिवीजन से चिन्हित की गई है. कांगड़ा सब डिवीजन से 35 हेक्टेयर भूमि और 177 भवन एयरपोर्ट के दायरे में आएंगे. प्रभावितों को 223 करोड़ का मिलेगा मुआवजा

जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया है कि कांगड़ा सब डिवीजन में 23 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट है. इसी तरह शाहपुर में 6.39 में से 2.44 हेक्टेयर भूमि प्राइवेट है. वर्तमान सर्किल रेट के मुताबिक इस भूमि का मुआवजा 223 करोड़ रुपए बनता है. धर्मशाला उपमंडल में 155 जबकि शाहपुर से सात भवन एयरपोर्ट के दायरे में आएंगे. एयरपोर्ट विस्तार की जद में 270 दुकानें भी आनी हैं. साथ ही 143 गौशाला, 11 मंदिर, 4 स्कूल, दो पेट्रोल पंप और दो सरकारी भवन के साथ दो सरकारी स्कूल भी इस भूमि में आएंगे.

मांझी घाट पर पुल बनने की आएगी रिपोर्ट

एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए पुणे से वैज्ञानिकों की टीम ने गग्गल बाजार के पास मांझी घाट पर बने पुल का सर्वे किया है. इस टीम को डीसी कांगड़ा की ओर से बुलाया गया था. यह टीम

आने वाले तीन महीने में कांगड़ा के उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. अगर रिपोर्ट में मांझी घाट पर पुल बनाने की मंजूरी मिलती है, तो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो जाएगा.

काम विजिबिलिटी में उड़ सकेंगी फ्लाइट

मौजूदा वक्त में कांगड़ा एयरपोर्ट 1 हजार 259 एकड़ में फैला हुआ है. यह एयरपोर्ट समुद्र तल से 2 हजार 492 फीट की ऊंचाई पर है. कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे 1 हजार 372 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है. इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम दो चरणों में पूरा होना है. पहले चरण में 1 हजार 900 मीटर और दूसरे चरण में 3 हजार 100 मीटर का विस्तारीकरण होगा. विस्तारीकरण का काम पूरा होने के बाद कम विजिबिलिटी में भी इस एयरपोर्ट से उड़ाने भरी जा सकेंगी.

Land acquisition procedure for Kangra airport expansion begins

January 9, 2023 in [News](#) • [add comment](#)



As per reports, a proposal has been sent by the district administration to the State Government for the acquisition of 105 acre including 65 acre private and 40 acre Government land for the Kangra-Gaggal airport expansion project. The CM of Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu had ordered a social impact analysis for the expansion of the Gaggal airport. The social impact analysis is carried out before the land acquisition of the project is started. In the analysis, consent

of the people, who would be displaced due the acquisition of land for the airport expansion, would be taken by the authorities. The airport expansion was a major demand of the tourism industry which would be carried out in two phases. An amount of Rs 400 crore was sanctioned by the Central finance commission for expansion during the tenure of the earlier BJP Government.

- Home
- Himachal
- Villagers object to Govt's green signal to Gaggal Airport expansion

- Himachal
- Kangra

Villagers object to Govt's green signal to Gaggal Airport expansion

2 months ago admin



IKangra, Jan 19 – People's representatives of Gram Panchayat Gaggal, Ichhi, Sahoda and adjoining panchayats met MLA Pawan Kajal expressed their grievance that about three thousand people will be displaced due to the expansion of the Gaggal airport.

MLA Pawan Kajal said that even during the previous BJP government, for the benefit of the villagers, he opposed the expansion of the airport and immediately asked Chief Minister Jairam Thakur to ban its expansion.

Kajal said that the Himachal government should start a flying school in the existing format of Gaggal airport. To make a bigger airport, choose that Kawalu of the assembly constituency or any other place in the district where there is less displacement of people. Kajal said that hundreds of shopkeepers of the main business center Gaggal will be displaced by the expansion of Gaggal airport.

Here, the fertile land from which vegetables are grown and sold in most parts of Kangra district, the farmers will become homeless. Kajal assured the villagers that the fight for their rights and justice would continue as usual from the assembly to the road. Kajal said that in order to benefit the wealthy people, the poor people of the rural level will not be allowed to be destroyed at any level.

Village Pradan Roshan Lal, Hari Singh Chottani, Kishori Lal, Fakir Chand, Ram Singh, Surinder Kumar, Amar Singh Naveen, Harish Dhanotia, Milap Singh, Sarup Singh, Narotam, Veer Singh, Sanjay Kumar, Arvind Kumar, Suresh Kumar, Kishori Lal , Pritam Chand, Deep Kumar, Vijay Saroch, Ravindra Kumar, Ranjit Singh, Roshan Lal, Ashwani Kumar said that they will not give even an inch of their fertile land for the expansion of the airport. For this even if they may have to do any sacrifice.

कांगड़ा: हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध करेगी संघर्ष समिति

शिमला न्यूज Updated Sun, 19 Feb 2023 05:42 PM IST



ग्रामीणों ने इच्छी में बैठक कर गठित की एयरपोर्ट संघर्ष समिति

रजनीश सैनी को चुना अध्यक्ष, करो या मरो की दी चेतावनी संवाद न्यूज एजेंसीगगल (कांगड़ा)। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत में गगल एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होने देंगे। भले ही इसके लिए क्रमिक अनशन से लेकर आमरण अनशन तक का रास्ता क्यों न अपनाना

पड़े। यह निर्णय रविवार को इच्छी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक में लिया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपनी रणनीति तैयार करते हुए एयरपोर्ट संघर्ष समिति का गठन किया। इसमें सर्वसम्मति से रजनीश सैनी मोना को अध्यक्ष, वेद चटानी और ध्यानचंद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय कुमार को हरीश कुमार और इकबाल सिंह को उपाध्यक्ष तथा हंसराज को महासचिव चुना गया। वहीं, वेद चौधरी और हरि सिंह को प्रेस प्रवक्ता और गुरबचन सिंह को सहायक सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा कैप्टन रोशन लाल, गगल पंचायत के पूर्व प्रधान रविंद्र बाबा, जसवीर चौधरी और सुरेंद्र चौधरी को विशेष कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। नवगठित कमेटी के निर्णय के लिए एक दो दिन में कमेटी के पदाधिकारी जिलाधीश, कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र चौधरी से मिलकर मांग करेंगे कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार की जगह नया बड़ा एयरपोर्ट नगरी, बडोह, वोहड़क्वालु आदि में उस जगह बनाया जाए जहां लोगों को विस्थापन का मुंह न देखना पड़े। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया तो वे करो या मरो के आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे।

कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण : 14 गांवों का आज से सामाजिक सर्वे

शिमला ब्यूरो Updated Sat, 04 Mar 2023 10:42 AM IST



धर्मशाला। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर बसे 1200 परिवारों का शनिवार से सामाजिक असर का सर्वे शुरू करेगी। सामाजिक असर का सर्वे शुरू करने से पहले प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सरकारी और निजी जमीन की खसरा नंबर समेत अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 14 गांवों से 1200 परिवारों की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की है। अधिसूचना में सरकार ने

1200 परिवारों की जमीन का ब्योरा भी दे दिया है, जिससे लोग जान सकें कि उनकी कितनी भूमि अधिग्रहण में जा सकती है। अधिग्रहण के लिए सरकार ने 14 गांवों की सरकारी और निजी करीब 147 हेक्टेयर (करीब 3847 कनाल) जमीन चयनित की है। इसमें 123 हेक्टेयर निजी और सरकारी 24 हेक्टेयर सरकारी भूमि चयनित है।

हिमाचल सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण का गांवों में सामाजिक प्रभाव का क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन करने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) शिमला को सौंपा है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इंपैक्ट असेसमेंट) की अनुमति दे दी है। टीम इस कार्य को छह महीने में पूरा करेगी। पहले विस्तारीकरण दो चरणों में होना था लेकिन अब सरकार इसको एक ही चरण में पूरा करना चाहती है।

इनसेट

नेशनल हाइवे की अलाइनमेंट में बदलाव होगाशुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के चलते नेशनल हाइवे की अलाइनमेंट में बदलाव किया जाएगा। नए प्रस्तावित अलाइनमेंट के लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के साथ स्पॉट विजिट कर नए रूट का मुआयना किया। बैठक में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एयरोड्रोम) के संयुक्त महाप्रबंधक श्रीनेगी, हवाई अड्डा कांगड़ा के निदेशक धीरेंद्र सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान, एसडीएम शाहपुर डॉ. मुरारी शर्मा, एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 6 माह बाद आने वाली रिपोर्ट तय करेगी विस्तारीकरण होगा या नहीं डीसी ने कहा कि कांगड़ा और शाहपुर तहसील के 14 गांवों में शनिवार से सामाजिक असर को लेकर सर्वे शुरू होगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए अभी सिर्फ लोगों की जमीन चिह्नित की गई है। 6 माह तक टीम सर्वे करेगी कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का 14 गांवों के 1200 परिवारों पर क्या सामाजिक असर पड़ेगा। इसके बाद टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार के आदेश पर विशेषज्ञ चर्चा कर देखेंगे कि विस्तारीकरण कितना हितकारी है। इसी के बाद सरकार की ओर से विस्तारीकरण को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

विस्तारीकरण जद मे आएंगे ये गांव एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत व कियोड़ी गांव जद में आएंगे।

3110मीटर होगी हवाई पट्टी मौजूदा समय में गगल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। 2015 में हुए सर्वे के अनुसार 1700 मीटर होना था। इसके बाद सरकार ने दोबारा सर्वे करवाकर हवाई पट्टी को 1370 मीटर से बढ़ाकर 2050 मीटर करने की योजना बनाई। इसके बाद 2400 मीटर व अब रनवे को 3110 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे हो चुका है। ऐसे होगा सर्वसामाजिक प्रभाव का अध्ययन करते समय टीम प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों के साथ सड़कों, परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्रोत, पशुओं के लिए जल स्रोत, सार्वजनिक जलाशयों का आकलन करेगी। इसके अलावा उनके सर्वे में चरागाह, बागान, डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, अनाज गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ी, बच्चों के पार्कों, मंदिरों, परंपरागत जातीय संस्थाओं के लिए भूमि तथा श्मशानघाट व कब्रिस्तान स्थलों पर होने वाले प्रभाव भी शामिल होंगे।

Himachal starts land acquisition for Kangra airport expansion

ANAND BODH / TNN / Updated: Mar 3, 2023, 12:04 IST



Representative Image

SHIMLA: To acquire land at Shahpur and Kangra tehsils for the expansion of Gaggal airport, the state government has started the process to carry out Social Impact Assessment by empowering the assessment units. Over 147 hectares of land spreading across over a dozen villages would be acquired for the project. Dharamshala is a popular tourist destination and has air connectivity through Gaggal airport. But due to limited runway length, the airport is suitable only for small aircrafts, that too with load penalty.

The Airport Authority of India, which is going to expand Gaggal (Kangra) Airport, is a Government of India Public Sector Undertaking and the land acquisition is proposed to be done under the provisions of section 2(1)(b) of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Hence, the provisions relating to consent as required under sub-section (2) of section 2 of Act ibid are not applicable in the instant acquisition.

Principal secretary (tourism and civil aviation) Devesh Kumar, in a notification issued on Wednesday, said that at present high demand and very limited seats makes the airfare to Gaggal airport astronomically high, which is adversely affecting tourism in the state.

Accordingly, the Airport Authority of India conducted the Obstacle Limitation Surface survey and as per the report of the AAI, land has been identified for the purpose.

According to sources, land at Rachhiyalu, Jugehar, Keori and Bhadot under Shahpur tehsil and Bhedi, Dhugiari Khas, Sanour, Gaggal Khas, Jhikli Ichhi, Sahoura, Mungrehad, Bagh, Barsbalkar and Balla of Kangra tehsil is going to be acquired for the airport expansion project.

Tribune News Service
Lalit Mohan

Dharamsala, March 3

The state government has asked an NGO to conduct a social impact survey of the project for the expansion of the Gaggal airport.

NGO members, who have been assigned the task of conducting the survey, yesterday faced resistance from people of Gaggal, whose land will be acquired for airport expansion.

Powered By

A social impact survey is a pre-condition before the process of land acquisition is started. In the survey, an independent agency hired by the government would solicit the views of the affected people.

Sources said that Gaggal residents opposed the survey on the plea that the airport expansion would lead to their displacement. They urged the government to announce adequate compensation or a rehabilitation package before the land acquisition process is started.

The sources said that Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu had directed officials concerned to speed up the work on the project.

A team of revenue officials today visited the area where land is to be acquired for airport expansion. Kangra Deputy Commissioner Nipun Jindal, who was part of the team, said that the Chief Minister wanted that the Gaggal airport expansion work should be fast-tracked, as it would give a major boost to tourism in the state, especially Kangra.

The Deputy Commissioner said that the Finance Commission had sanctioned Rs 400 crore for the expansion of the Gaggal airport during the stint of the previous BJP government. The airport expansion was a major demand of the tourism industry. The hotel associations of Kangra had also been demanding the expansion of the airport.

The Gaggal airport is proposed to be expanded in two phases. The Airports Authority of India (AAI) has decided to expand the airport from the current length of 1,372 metres to 1,900 metres in the first phase. In the second phase, its length was proposed to be increased from 1,900 metres to 3,110 metres.

Residents fear displacement

- Gaggal residents opposed the survey on the plea that the airport expansion would lead to their displacement
- The case for acquisition of 105 acres has been sent to the state government
- The airport expansion is a major demand of the tourism industry
- The Finance Commission had sanctioned Rs 400 crore for the project during the stint of BJP government

Kangra airport expansion: Pune institute gives nod to runway bridge over Manjhi

By **Naresh K Thakur**, Dharamshala

Feb 23, 2023 01:43 AM IST

Administration had engaged services of Central Water and Power Research Station to conduct a study to explore feasibility of building a bridge to increase runway length of Kangra airport and realignment of Pathankot-Mandi Highway, channelisation of the Manjhi rivulet and restoration of water supply schemes

The expansion project for Kangra Airport at the Gaggal has moved a step further as the Central Water and Power Research Station (CWPRS), Pune, has given a go ahead for runway bridge over Manjhi rivulet, a tributary of Beas.

Tribune News Service

Dharamsala, March 5

The residents of Ichhi village near Gaggal today opposed the proposal for acquisition of their land for expansion of Gaggal airport. The villagers opposed the proposal in the presence of the team sent by government for conducting social impact survey for airport expansion.

The villagers are alleging that the acquisition of land would uproot them. The government should allot them alternative land and give adequate compensation before the acquisition process is started.

Powered By

Meanwhile, Congress MLA from Dharamsala, Sudhir Sharma, in a press statement issued today, said that expansion of airport was vital for promotion of tourism in Kangra district. He said that Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu had declared that the Congress government would make Kangra a key tourist destination. Expansion of Gaggal airport was vital for making the district a tourism hub, he said.



The expansion project for Kangra Airport at the Gaggal has moved a step further as the Central Water and Power Research Station (CWPRS), Pune, has given a go ahead for runway bridge over Manjhi rivulet, a tributary of Beas. (HT File Photo)

The district administration had engaged the services of the CWPRS to conduct a study to explore feasibility of building a bridge to increase runway length of the airport and realignment of Pathankot-Mandi Highway, channelisation of the Manjhi rivulet and restoration of water supply schemes built on this rivulet among others.

The CWPRS team in its preliminary report has given a go ahead for building a runway bridge over the Manjhi rivulet, said Kangra deputy commissioner Nipun Jindal.

He said that the district administration has also submitted all the records sought by the state government related to airport expansion project.

“Now, we are awaiting a notification for social impact assessment (SIA), to be issued by the state government,” he said.

The expansion project envisages increasing runway length of Kangra airport from existing 1,372 meters to 3,010 meters.

Expansion of Kangra airport will create job avenues, boost tourism: Himachal CM

By **HT Correspondent**, Dharamshala

Mar 10, 2023 06:30 AM IST

While interacting with the media at Palampur late on Wednesday, Himachal Pradesh chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the expansion of Kangra airport would also boost the tourism in the area

Even as protests have erupted in Gaggal area against the expansion of Kangra airport, chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the project would benefit people of the region as it would create numerous employment opportunities.



Even as protests have erupted in Gaggal area against the expansion of Kangra airport, chief minister Sukhvinder Singh Sukhu said the project would

benefit people of the region as it would create numerous employment opportunities. (HT file photo)

While interacting with the media at Palampur late on Wednesday, Sukhu said the expansion of airport would also boost the tourism in the area. "The previous government did not make sincere efforts to promote tourism in Kangra, but the present state government has been laying a special focus on promoting tourism in the district," he added.

Sukhu said his government was planning to make Kangra district the 'Tourism Capital' of Himachal for which a blueprint was being prepared. Earlier, Sukhu laid the foundation stone to upgrade 9.3km Kulaani-Chandpur-Bharmat-Simblu road at Bharma.

Sukhu announces block development office in Palampur

Sukhu has announced to open a block development office at Palampur in Kangra district. Efforts were underway to develop Palampur as an IT hub, he added.



एसआईए प्रतिवेदन : भू-अर्जन कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारिकरण



परिशिष्ट-तीन
प्रभावित भूस्वामियों की सामान्य विशेषताएं

क्र.सं०	भूस्वामि का नाम	उम्र	पिता का नाम	मो०न०	तहसिल का नाम	प्रभावित ग्राम	जाति	परिवार का प्रकार	परिवार में उच्चतम शिक्षा	व्यवसाय	आय	पशुधन	मकान का प्रकार	ट्रेक्टर	मोटर सईकिल	मोटर गाड़ी	खसरा न०	भूअधिग्रहण का प्रकार	फसल का प्रकार	हवाईअड्डा के	मुआवजे के लिए	किस कारण से
1	Surjeet Singh	50	Amit chand	8628816007	2	9	3	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1741/1	1,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1
2	Prem chand	67	Vuji	7650094006	2	7	3	2	4	1,5	3	2	2	1	1	0	1741/1	1,3,4	1	2	6	3
3	Vanwari ram	60	Mangat ram	9882312308	2	7	3	2	3	1,3	2	2	2	0	1	0	1679/1,1681/1,1682/1	1,3,4	1	3	6	3
4	Rajesh Kumar	55	Kishan Chand	8988169707	2	10	3	1	3	1,3	2	2	2	0	1	0	489	1	1	1	1,2,3,4,5	2
5	Robin Mongra	31	Ashok Kumar	9205724338	2	10	3	1	5	2,5,6	4	2	2		1	1	489, 497/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
6	Saran Das	74	Maheshu	9816292652	1	5	2	2	3	1	2	1	2	0	0	0	293	1	2	1	1,2,3,4,5	1,2
7	Vijay Kumar	65	raju	0999099878	2	9	3	3	3	1	3	1	1		1		293	1,3,4	2	3	1,2,3,4,5	1,2
8	Subash Chander	61	Sh. Chandermani	8219292019	2	10	3	1	5	4	2	2	2	0	1	1	491	1	2	1	1,2,3,4,5	4
9	Ramsabrup	69	Nihala ram	8626971650	2	10	3	2	2	2,5,6	2	2	2			1	486	1	1	1	1,2,3,4,5	4
10	Neeraj Kumar	36	Onkar Singh	9459566480	2	10	3	1	5	1	2	1	2	0	1	1	748/485, 506/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
11	Surya Prakash	38	Jagdeesh	9816199788	2	10	3	2	3	1,3	2	2	2	0	1	1	493	1	1	1	1,2,3,4,5	2
12	Sunil Kumar	52	Moor chand	9129251798	2	9	2	1	2	1	2	2	2	0	0	0	1756	1	2	2	1,2,3,4,5	1
13	Tilak raj	73	Sadhu ram	9418019058	2	7	3	2	4	1,3	3	2	1	1	1	1	1991/1767	1,2,3,4	1	2	6	1,2
14	Arjun Singh	62	Riju Ram	9816563106	2	10	3	3	5	3	3	1	2	0	1	1	476	1	2	2	6	4
15	Vishnu Ram	63	Mahesu Ram	9888845680	2	5	2	3	4	1,4	3	2	1	0	1	1	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
16	Kavel krishan	42	Vidhi chand	6230549355	2	5	3	1	5	1,5	3	1	2	0	0	0	20,21,22	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
17	Todar Mal	60	Longu	8350989759	2	10	3	2	4	1	2	1	2	0	2	0	490	1	1	1	1,2,3,4,5	2

18	Karam Singh	65	Gurditta devi	8894976380	2	7	3	2	3	1,5	4	2	1	0	1	0	1742,1744,1744/1/1,1752/1	1	1	2	6	1,2
19	Arun kumar	49	Baini prasad	86280072619	2	10	3	1	4	1,5	2	2	2	1	1	0	747/485,803/505	1	1	1	1,2,3,4,5	1
20	Avtar	45	Birbal	9418866745	2	10	3	3	3	1	3	1	2	0	1	1	490	1	1	1	1,2,3,4,5	2
21	Saran Das	74	Maheshu	9816292652	1	5	2	2	4	1	3	1	2	0	1	0	293	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
22	Dharam Singh	92	Gurdita	6230192341	2	10	3	3	2	3	2	1	3	0	1	0	509	1	1	1	1,2,3,4,5	1
23	Sahib singh	62	Moor chand	9129251798	2	9	2	1	5	1	2	1	2	0	0	0	1940/1737	1	2	2	1,2,3,4,5	1
24	Vidhu singh	70	Gorkhu ram	9816894884	2	7	3	3	5	1,4,5	4	1	1	0	1	1	1689/1692	1,2,3,4	1	2	6	1
25	Chain Singh	66	Mahesu Ram	9816653906	2	5	2	3	2	1	3	2	2	0	0	0	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
26	Japan nath	74	Rasheed ram	9418869344	2	10	3	3	4	1	4	2	1	0	1	1	950/466/1	1,2	2	3	6	4
27	Surendra Singh		Jagdish Chand / dharm chand	9882292740	2	7	3	2	3	4	4	2	2	0	1	0	1738/1	1	1	2	6	1,2
28	Late Saroj Kumar	56	Mahesu Ram	9888845680	2	5	2	3	3	1	3	1	2	0	0	1	0-09-88	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
29	Prashhu Ram	Prashu Ram	Late Gempu Ram	7650963752	2	5	3	2	2	1	3	2	2	0	0	0	340/61,62,63/1,342/70,72	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
30	Jitender Kumar	65	Prem Das	9816105435	2	10	3	3	4	1	3	2	1	0	1	1	488/1	1	1	1	1,2,3,4,5	2
31	Dhulo		Daso	9736895176	2	9	2	1	3	1	3	2	2	0	0	0	1758	1	2	2	1,2,3,4,5	2
32	Narender Kumar	49	Pritam Das	9418069333	2	10	3	1	4	4	3	2	1	0	1	2	488/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
33	Vidya Chand	65	Promodh Singh	9418023320	2	10	4	1	5	1	4	2	1	0	1	1	1760, 1772, 1762, 1763, 1770	1,2,	1,3	3		
34	Purn chand	75	Bhaju ram	945944449	2	7	3	3	4	1,6	4	1	1	0	1	0	1760, 1772, 1762, 1763, 1770	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
35	Ramesh Chand	46	Late Pratap Chand	7650070480	2	5	3	2	2	1		1	2	0	1	0	406/13, 410/6/1, 12/1, 168	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
36	Virendar kumar	52	Pratap Chand	8894244160	1	5	3	1	4	1,	3	1	2	0	0	0	406/1, 3,410/6/1, 12/1, 16	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
37	Amit Kumar	35	Hans Raj	6230982852	2	10	3	3	4	2,5,6	2	1	2	0	1	0	950/466/1	1	1	2	6	4

38	Virindar kumar	36	Rajmal seni	8894469049	2	10	3	3	4	1	3	2	1	0	1	1	46/7/1	1	2	3	1,2,3,4,5	1,2
39	Narinder Kumar	49	Pratap Chand	9817995379	2	5	3	1	4	1,4	3	1	2	0	0	0	406/13, 410/6/1, 12/1,168	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
40	Roshan lal	82	Varndu	9625562199	2	5	3	2	2	1,5	3	1	2	0	0	0	402/370	1,3,4	2	2		1,2
41	Late Chandu lal		Vitu	9891314027	1	5	3	1	5	1	1	2	3	0	1	0	21/1, 23,24,25	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
42	Dharm Singh	45	Shri Kalu Ram	9418762804	2	5	3	3	5	4	4	2	3	0	0	0	0-05-10	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
43	Satya Prakash	0	Shankar	8091032409	2	10	3	4	4	4	3	2	1	0	0	1	495	1	1	1	1,2,3,4,5	1
44	Mast ram	47	Puni chand	9872129714	2	10	3	1	4	1	2	2	1	0	1	0	468,475,478	1	2	3	1,2,3,4,5	1,2
45	Pankaj Kumar	38	Late Nand Lal	9418327004	2	5	3	2	1	1,5	1	1	2	0	1	0	343/70, 403/370	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
46	Vidya Chand	65	Prabodh Singh	9418023320	2	10	4	2	5	3	4	2	1	0	1	1	487	1	1	1	1,2,3,4,5	2
47	Vinod Kumar	53	Tulsi Ram	9459234140	2	10	3	2	4	4	3	1	2	0	2	0	471,472,473	1	1	2	1,2,3,4,5	4
48	Pawan	52	Choudhary	8219818409	2	10	3	1	4	1,3	3	1	2	0	1		489, 497/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
49	Shubhas chand	52	Ishvar das	9459838555	2	7	3	3	4	1,4	4	1	1	0	1	1	1692	1	1	2	6	1,2
50	Savitri Devi	60	Jaswant Singh	8219730847	2	10	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	480/1	1,2,	1,3	3		
51	Ajay Kumar	36	Baldev	7719701261	2	10	3	1	3	4	3	2	2	0	1	1	480/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
52	Munshi ram	70	Sri Reply ram	8894361291	2	9	3	1	4	1	2	1	2	0	1	0	1816/1686,1 740/1	1	2	2	1,2,3,4,5	1,2
53	Suresh chandar	72	Giga ram	9418462355	2	10	4	1	5	1	3	2	1	0	1	1	784/469/1	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
54	Savitri	60	Jaswant Singh	8219730847	2	10	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	468, 470, 475	1	1	1	1,2,3,4,5	2
55	Jai chand	5	Gorkhu	9736264166	2	9	3	3	4	4	3	2	2	0	1	0	1735/2	1	1	2	6	4
56	Prem chand	64	Buji ram	9459259380	2	9	3	3	4	1	2	1	1	0	1	0	1741/1	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
57	Ajay	26	Partap chand	9882214870	2	9	3	3	4	1	3	1	2	0	0	0	478	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
58	Ved Parkash	68	Jaisi Ram	9218161762	2	10	3	1	4	3	4	2	1	0	1	1	478	1	1	3	1,2,3,4,5	4
59	Ravi Kumar	57	Piplu ram	8894361291	2	9	3	2	4	1	3	1	3	0	0	0	1743/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
60	Upendar Saini	52	Parshotam Chand	7018300930	2	10	3	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	510	1,2,3,4	1	2	1,2,3,4,5	4
61	Joginder Singh	63	Dulo Ram	9805240585	2	5	3	3	2	1	2	1	2	0	0	0	413/60, 69	1,3,4	1	3		

62	Nikhil kindal	28	Kulbhush chand	9218790908	2	9	3	1	4	1	3	2	2	0	1	1	1993/1768	1	1	2	6	1
63	Kamal	41	Late shubhas chand	9805954147	2	9	3	2	4	1	3	2	1	0	1	1	1772	1	1	2	6	1,2
64	Onkar Singh	65	Rama	9736864603	2	8	3	1	3	1	2	1	2	0	0	0	184, 185, 186, 188	1	1	1	1,2,3,4,5	2
65	Ashok kumar	65	Harija	9459027386	2	8	3	1	4	1	2	1	2	0	1	0	196,198	1	2	2	1,2,3,4,5	4
66	Jagdish	Lat e	Longu	9816303192	2	8	3	1	2	1	2	1	2	0	0	0	907/222	1	1	1	1,2,3,4,5	1
67	Prabhat Singh	63	Raj mal	8894081815	2	6	3	1	2	1	2	2	2	0	0	0	2365/2327,558	1	2	3	1,2,3,4,5	4
68	Aswani Kumar	43	Vassant Singh	7018265651	2	6	3	3	3	1	4	2	1	1	0	1	548,549,551,2223/552/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
69	Fakir chand	70	Vardu ram	9418611145	2	11	3	3	4	1,3	3	1	1	1	1	1	742/546,744/547,746/548,550,551,552,549	1,2,3,4	1	2	6	1,2
70	Chuni Lal	78	Durga	8580824045	2	8	3	3	4	1	3	1	1	1	1	0	909,223	1	1	1	1,2,3,4,5	2
71	Rajinder Singh	50	Tarolak singh	9418869877	2	6	4	3	4	3	3	2	1	0	0	3	2225/2164,2410/2328/2227,2412/2329/2227,2165/566	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
72	Ashwani kumar	60	Late Sh. Kesho ram	9418253516	2	8	3	2	4	2,5,6	3	1	1	1	1	1	218	1	1	1	1,2,3,4,5	1
73	Lt. Munshi ram f/o Narendra Pal	50	Munshi ram	9805382534	2	8	3	2	3	1	2	1	2	0	0	0	219	1	2	2	1,2,3,4,5	4
74	Bhagwan Singh	67	Phula Singh	9736478557	1	4	4	3	5	1,5	1	2	1	0	0	0	594/120/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
75	Rajesh Chand	55	Mehar Chand	9425669085	2	8	3	2	4	1	2	1	2	0	1	1	910, 224, 225	1	1	1	1,2,3,4,5	2
76	Narender Singh	75	Daya singh	8219877839	2	6	4	3	5	4	3	2	1	0	0	3	910, 224, 225	1,2,	1,3	3		
77	Baldev Singh	72	Sheetal Kumar	8988131073	2	8	3	2	4	3	3	1	1	0	1	0	191	1	1	1	1,2,3,4,5	1
78	Manoj Kumar	42	Late Sri Ami Chand	8263911234	2	6	4	1	2	2,5,6	2	2	2	0	0	0	2365/2327,558,568	1	1	1	1,2,3,4,5	2
79	Om prakash	60	Hari Ram	9882490918	2	8	3	2	2	1	2	1	2	0	1	0	210/1, 211/1	1	1	1	1,2,3,4,5	2
80	Pavan Kumar	65	Nand lal	9805106877	2	11	1	3	4	1,5	3	2	2	0	1	0	648/641	1,2,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
81	Amit kumar	50	Milking Ram	8628855595	2	8	3	1	4	1	3	1	2	0	0	0	220	1	2	2	1,2,3,4,5	4
82	Roshan lal	70	Tara chand	9418451222	2	6	2	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	560,2366/561	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2

83	Narender Singh	62	Phula Singh	8629888635	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	0	0	594/120/1	3	1	1	1,2,3,4,5	1,2
84	Rajinder Singh	63	Chamel Singh	6230913251	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	1	0	119/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
85	Baljeet singh	57	Rattan chand	9418939566	1	4	4	2	5	2,5,6	6	2	2	0	2	2	549/116/1	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
86	Narender Singh	75	Daya singh	8219877389	2	6	3	3	1	2,5,6		2	2				549/116/1	1,2,	1,3	3		
87	Manoj kumar	30	Pritam chand	7559604442	2	8	3	2	4	1	2	1	2	0	0	0	171,169/1,170/1,170/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
88	Thakur Das	75	Jasso ram	9418134537	2	8	3	3	2	1,2	3	1	1	0	1	1	246/1, 248/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1
89	Chakori devi	70	Santu ji	0000000	2	11	1	2	4	1,4	3	1	2	0	1	1	648/541	1,3,4	1	2	6	1,2
90	Narender Singh	62	Phula Ram	8629888635	1	4	4	1	4	1	1	2	2	0	0	0	594/120/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
91	Joginder Kumar	67	Dilip Chand	9459408482	2	8	3	2	3	1	2	1	1	0	0	0	175, 177	1	1	2	1,2,3,4,5	2
92	Late Pritam Chand	75	NA	8219474434	2	6	4	2	2	2,5,6	2	2	1			1	2364/2327,2423/563/1,564	3	1,3	3	1,2,3,4,5	1
93	Milan Singh Rana	78	Phula Singh	9882358677	1	4	4	2	2	1,5	1	1	1	0	0	0	612/173	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
94	Roshan lal	Late	Bakshi ram	9459417709	2	8	3	2	2	1,5	3	1	1	1	1	0	195	1	1	1	1,2,3,4,5	1
95	Narender Kumar	75	Daya singh	8219876970	2	6	4	3	5	4	4	2	1	0	0	3	553/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
96	Anita kumari	40	Jagan ram dhavn	9816079610	2	6	2	3	5	1,3	6	2	1	0	1	1	2461/2368/561	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
97	Lt. Amar Chand	34	Mastram	9988696554	2	8	3	2	3	1	3	1	3	0	0	0	182	1	1	2	1,2,3,4,5	4
98	Sansar chand	74	Kuldeep chand	9418062025	1	4	4	2	2	1	2	2	2	0	1	0	529/114	1	2	1	1,2,3,4,5	2
99	Kalyan Singh	85	Moti Singh	9816223236	1	4	4	2	3	4	2	2	2	0	0	0	601/124	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
100	Karm Chand	70	Jaissi Ram	8580557731	2	8	3	3	3	1	2	1	2	0	1	0	178/1, 179/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2

101	Chmpa Devi	95	NA	9817728060	2	6	3	3	2	1	2	2	2	0	0	0	178/1, 179/1	1,2,	1,3	3		
102	Rajneesh Rana	55	Late Jian Singh Rana	8413048104	1	4	4	2	2	1,5	2	2	2	0	1	0	165/175/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1
103	Ravindra Kumar	46	Dharm chand	9816454088	2	1	1	2	4	3	4	2	2	0	1	0	723/544/1,726/545,694/654,699/654,720/657	1,2,3,4	1	2	6	1
104	Lt. Saligram f/o sunil	60	Saligram	8627005534	2	8	3	2	2	1	3	1	3	0	1	0	187	1	1	1	1,2,3,4,5	4

124	Susheel Rana	48	Late khem Singh Rana	9816430691	1	4	4	1	4	1,5	3	2	1	0	0	0	181/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
125	Shashi wala	51	Tarnot singh	8894602078	1	4	4	1	4	4	4	2	2				0-02-99	1	2	1	1,2,3,4,5	2
126	Veena Kumari	60	Late. Sh Harnam Singh	9218214380	1	4	4	2	4	1,6	3	2	1	0	1	0	192/193/194/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
127	Ajay Kumar	47	Late Sant Kumar	7807767611	1	4	4	1	2	1,5	1	2	2	0	0	0	195/1	3	1	1	1,2,3,4,5	1
128	Bimbla devi, santosh devi	65	Pramod singh	9459206837	1	4	4	1	5	1	1	2	2	0	0	0	181/1	1,2,	1,3	3		
129	Rajindera Kumari	75	Late Delip Singh Pathaniya	8628846415	1	4	4	1	1	1	1	2	2	0	1	1	195/1	3	1	2	1,2,3,4,5	1
130	Lalit Kumar	43	Late Sant Kumar Rana	9816930781	1	4	4	1	5	1,5	1	2	2	0	0	0	195/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
131	Daljeet Singh	72	Late Amar Singh	9736630276	1	4	4	3	5	1,5	4	1	2	0	1	0	606/169	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
132	Bimbla devi, santosh kumar	65	Promadh singh	9459201837	1	4	4	1	5	1	1	2	2	0	0	0	123	1,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1,2
133	Amit rana	34	Om Prakash	9418130204	2	6	4	1	5	1	2	2	1		1	1	574	1,2	1,3	3	1,2,3,4,5	4
134	Vijay Kumar	52	Sant Kumar	8262039907	1	4	4	1	4	1,5	3	2	1	0	1	1	195/1	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1
135	Sunil Kumar	35	Avtar	9882654315	2	8	3	2	3	1	1	1	3	0	1	0	201, 203	1	1	2	1,2,3,4,5	2
136	Upendra singh	73	Late Bakhtabar Chand	7018309330	1	4	4	2	5	2,5,6	3	2	2	0	1	1	0-02-14	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
137	Gopal Das	70	Buta Ram	7807150906	2	8	3	3	4	1	3	1	2	0	1	1	844/383	1	1	2	1,2,3,4,5	2
138	Dhanvir katcoh	70	Bakhtavar Singh	7018309330	1	4	4	3	5	1,5	3	2	1	0	1	1	608/170	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
139	Amit Kumar	35	Subhash Chand	7018679865	2	8	3	1	3	1	2	1	2	0	1	0	174	1	1	2	1,2,3,4,5	2
140	Chuni Lal	82	Durga das	9805571287	2	8	3	3	4	1	2	2	2	0	1	1	909-223	1	1	3	1,2,3,4,5	2
141	Askhok Kumar	47	Hariya	9736290066	2	8	3	3	1	2,5,6		2	2				909-223	1,2,	1,3	3		
142	Harnam Singh	59	Rajmal	6230316527	2	8	3	3	4	1,5	3	1	1	1	1	1	908/223, 912/224	1	1	1	1,2,3,4,5	1
143	Madan lal	60	Phuman ram	908325685	2	8	3	1	2	1	2	1	3	0	1	0	792/208/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
144	Baldev	45	Prem Das	8894129831	2	8	3	1	3	1	1	1	2	0	0	0	208/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
145	Brij lal	Late	Rajmal	9015225628	2	8	3	3	5	4	4	2	2	0	1	1	911/224	1	1	1	1,2,3,4,5	1

146	Kunta Devi	73	Paras Ram	9816245556	2	8	3	2	3	1	1	1	2	0	1	0	212/1	1	1	2	1,2,3,4,5	2
147	Sunil Kumar (Sunny)	35	Avtar Singh	8219676321	2	8	3	3	4	1	2	2	1	1	0	0	201,203	1	1	3	6	2
148	Kawal Singh	75	Bajar Singh	9418137700	1	4	4	2	5	1,5	3	2	1	0	1	1	218/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
149	Jogindar kumar	69	Dhalku ram	9736308554	2	8	3	3	2	1	1	1	2	0	1	0	209/1	1	1	3	1,2,3,4,5	2
150	Late Chamaru now naveen kumar	37	Mahendar pal	9459206867	2	8	3	1	4	2,5,6	3	1	2	0	1	0	190	1	1	1	1,2,3,4,5	1
151	Utama chand	52	Des raj	9882493935	2	8	3	1	4	1,4	4	1	2	1	1	1	270/1,272,3	1	1	3	1,2,3,4,5	2
152	Kanto Devi	70	Lachhman	9736156182	2	8	3	3	3	1	2	1	2	0	1	0	173	1	1	1	1,2,3,4,5	2
153	Anup Kumar	57	Late shri Slaig Ram	8261949412	2	7	3	1	4	1,4	4	2	2	0	1	0	402/1, 401/1, 403,869/411, 871,413,415	3	2	2	1,2,3,4,5	1,2
154	Bhumi Singh	67	Chaglu Ram	9625346523	1	1	3	3	1	2,5,6		2	2				909-223	1,2,	1,3	3		
155	Indarjeet Kumar	68	Sri Gagata Ram	9817263917	2	7	3	2	5	1	3	2	1	0	1	1	585	1	1	1	1,2,3,4,5	2
156	Ratan lal	75-80	Shri duno ram	9625246499	2	7	3	2	2	1	2	2	2	0	0	0	484	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
157	Sanjeev kumar dogma	50	Megh ram	9857824736	1	1	3	3	2	1	2	2	2	1	1	0	503	1	1	1	1,2,3,4,5	2
158	Rumal singh	69	Diwan chand	9857824736	1	1	3	3	3	4	3	1	2	0	1	0	503	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
159	Bachittar singh	57	Brij lal	9816580843	2	7	3	2	5	1,4	4	2	2		1		402/1, 403,871/413, 415,861/411	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
160	Balveer Singh	75	Shri dulo ram	9816403154	1	1	3	2	2	1	2	2	2	0		0	372/1	1,2,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
161	Sita ji	73	Deevan Chand	9857824736	1	1	4	2	4	2,5,6	3	2	2	0	1	0	672/1 , 679,681,678,680,682 ,518,528,519,523	1	1	2	1,2,3,4,5	4
162	Sanjeev kumar	50	Klasa devi	9857824736	1	1	3	3	2	1	2	2	2	1	1	0	503	1	1	1	1,2,3,4,5	
163	Anup Kumar	57	Late shri Salig Ram	8261949412	2	7	3	1	4	1,4	4	2	2	0	1	1	402/1, 401/1, 403,869/411, 871/413, 415	3	1	2	1,2,3,4,5	1
164	Gajendra Singh	55	Shri acchar singh	9625246499	1	1	3	2	2	1	2	2	2	0	0	0	377	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
165	Amar Singh	76	Jagta ram	9313273179	2	8	3	3	5	1	3	2	1	0	0	0	50/2	1	1	1	1,2,3,4,5	1
166	Pradip Kumar	63	Bhagat Singh	9817056175	1	3	4	1	4	1	1	1	3	0	0	0	603	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

167	Jagdish chand	70	Pratap chand	8091137894	2	7	3	3	2	1,4	4	2	2	0	1	61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
168	Mahindra singh	63	Let shri believe ram	8628805365	1	3	4	1	2	1	3	2	1	0	1	992/706	1	1	3	1,2,3,4,5	2
169	Suresh Kumar	35	Acchar singh	8284823844	1	1	3	1	3	1	2	2	2	0	0	410	1,2,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
170	Krishna Kumar	80	Dhulo ram	8894049828	2	8	3	3	4	1	4	1	1	0	1	95,103,391/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
171	Sunil Kumar	65	Sri Porkhi Ram	9882650430	2	7	3	1	5	1	3	2	2	0	0	330	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
172	Arun Kumar	60	Late shri Salig Ram	9816466856	2	7	3	2	5	1,4	3	2	1	0	1	402/1, 401/1, 403, 869/411, 871/413, 415	3	1	2	1,2,3,4,5	1
173	Kiripal singh	63	Pratap chand	9816337145	2	7	3	2	2	1,3	4	2	1		1	61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
174	Rakesh Kumar	48	Sh. Joginder Singh	9418967590	1	1	3	2	5	1	1	1	1	0	1	685,686,688,689,1102/691	1	1	2	1,2,3,4,5	4
175	Prakas chand,	82	Ran Singh	9418967590	1	1	3	2	5	1	2	1	2	0	1	1103/691,901,902,903	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
176	Suresh Kumar	62	Late Sri Gajat Ram	8988131195	2	7	3	1	3	1	2	2	1	0	1	100,101/1	1	1	1	1,2,3,4,5	2
177	Shakuntala devi	70	Late Bhori Singh	9816102939	1	1	3	2	1	1	2	2	2	0	0	708	1	1	2	6	1,2
178	Swaroop chand	55	Pratap chand	9805435152	2	7	3	1	5	1,4	4	2	2		1	61/1, 50,55,57,58	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
179	Uttam Chand	78	Seta Ram	9882884887	2	7	3	3	2	1,4	2	1	1	0	1	794/90, 91,130/1,1,2,3	3	1	2	1,2,3,4,5	1
180	Pankeswar dingh	46	Let harbhagwan t singh	9816945320	1	1	3	2	4	1	2	1	2	0	1	650,690,1228/1167/1054,648,649	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
181	Ramesh chand	66	Dalip chand	9805493809	2	7	3	2	4	2,5,6	3	1	2		1	49,51,52,53,54,56,58,60	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
182	Chandra kanta	62	Bhuri Singh	9816102939	1	1	3	1	2	1	2	1	2	0	0	1070/716	1	1	2	1,2,3,4,5	1
183	Saroop Kumar	66	Dhulloram	9459121043	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	1	549,550,551,552,553	1	1	2	1,2,3,4,5	4
184	Prem Lata	45	late Bhuri Singh	9816102939	1	1	3	3	2	1	2	2	2	0	0	709	1	1	2	6	1,2
185	Ashok Kumar	60	Ratan chand	981663214	1	1	3	1	3	1	1	1	2	0	0	639,640,641,643,644	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
186	Preem Das	75	Late Sri Jagat Ram	8627066051	2	7	3	3	4	1	2	2	2	0	0	100,101/1	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
187	Pawna devi	55	Jagdish Chand	9459432806	2	8	3	1	1	4	3	2	1	0	0	99, 100	1	1	1	1,2,3,4,5	1
188	Suresh kumar	54	Dalip chand	9805947318	2	7	3	2	4	4	4	2	2		1	49,51,52,53,54,56,58,60	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
189	Dhani Ram	Late	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	1	3	2	1	3	2	2	0	1	562	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2

190	Kushla Devi	60	Dhuni Chand	8219476176	2	7	3	2	4	1	2	2	2	0	0	0	100,101/1	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
191	Bachitter Singh	49	Shri Gyan Chand	9816586958	2	7	3	2	4	1,5	2	1	1	0	1	0	127/1, 1050/1555/1, 128	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
192	Raj kumari	65	बसंत राम	8894045137	2	8	3	2	5	4	3	1	2	0	0	0	111,114	1	1	1	1,2,3,4,5	1
193	Durgadas	58	Virbal	7018772065	1	1	3	1	3	1	2	1	2	0	1	0	887,889,890,892,894,895,896,886,885,888,891,893,897,1005	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
194	Subash chand	50-55	Nyadu ram	9816780370	1	1	1	2	4	1,3	2	2	2	0	0	0	623, 637	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
195	Vikas Sharma	53	Krishan Dev Sharma	7011052890	2	7	4	1	5	1,3	3	2	1	0	0	0	1093,1094/242,336	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
196	Jogender	59	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	1	1	3	1	2	2	2	0	1	0	564	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
197	Kumar son late Ramesh Chand		Mukholi ram	9882623303	2	8	3	1	4	1,5	3	2	2	0	0	0	161/1, 162/2	1	1	1	1,2,3,4,5	1
198	Satya Parkash	77	Late Shri Raghu Nath	9418007421	2	7	4	2	4	3	3	2	1	0	1	1	424,425,426,427	3	1	1	1,2,3,4,5	1,2
199	Late munsi ram		Matlabi ram	8628846549	2	7	3	3	5	4	4	1	1		2		74/1,132/1, 75,76,77,	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
200	Ami Chand	70	Hira lal	8894097201	2	8	3	3	5	1	2	1	1	0			161/1, 162/2	1	1	2	1,2,3,4,5	4

201	Vikas Sharma	54	Krishan Dev Sharma	7011052890	2	7	4	2	5	1,3	2	2	1	0	0	0	336,1093/242, 1094/242	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2	
202	Let Veer singh		Pratap chand	9816143918	1	1	1	2	4	2,5,6	2	2	2	0	0	0	556,557,558,559,561	1,2,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2	
203	Kamal kishor	46	Amar singh	7018480523	1	1	4	3	2	1	1	2	2	0	0	1	399		1	1	2	1,2,3,4,5	1,2

204	Prithvi Singh	69	Late vaishaki ram	9857919921	1	1	3	3	1	2,5,6		2	2				399	1,2,	1,3	3		
205	Ashok Kumar	61	Dhani Ram	8352800358	1	1	3	2	4	1,5	2	1	2	0	0	0	849	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	4
206	रमेश चंद्र	मृत्यु	मखोली राम	7807300159	2	8	3	1	2	2,5,6	1	2	2	0	0	0	161/1,162/2		1	1	1,2,3,4,5	1,2
207	Amar Singh	81	Bugggad Singh	8219899161	2	7	3	2	2	1	2	2	2	0	1	0	399	1,2,	1,3	3		
208	Sunil kumar	44	Pritam chand	9459082790	2	7	3	3	2	1,5	3	1	2				74/132, 132/1, 75,77,	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
209	Prakash Chand	60	Hira lal	7876509472	2	8	3	1	1	1	2	1	2	0	0		161/1, 162/2		1	1	1,2,3,4,5	4
210	Sulochna Devi	60	Jagdish	9418607231	2	8	3	3	4	2,5,6	3	2	2	0	1	0	105		1	1	1,2,3,4,5	1
211	Piyungla devi	47	Prshotam chand	9805180018	1	1	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	522		1	1	1,2,3,4,5	2
212	Subhash Chand	69	Late Shri Rattan Chand	9418149130	2	7	3	2	5	1	2	2	1	0	1	1	259,266,267,1091/236, 237,263	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
213	Baldev Singh	57	Ranjit Singh	8091365811	1	1	3	1	4	1	2	2	3	0	1	0	408	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
214	Kushal Kumar	41	Bidi chand	8894689347	1	1	3	3	4	1	1	1	2	0	0	0	265/1,266	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
215	Sri Bisammar Singh	87	Sri Ram Saran	9779610092	2	7	3	2	4	1	1	2	3	0	0	0	94,95,92		1	1	1,2,3,4,5	1,2
216	Ranjit Singh	65	Late Shri Ishwer Dass	980587538	2	7	3	2	4	1,5	2	2	1	0	1	0	1113/816/304/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1
217	Ray singh	47	Bidhi chand	8894689347	1	1	3	1	5	1	2	2	3	0	1	0	264/1,265/1		1	1	3	
218	हरनाम	63	अमर सिंह	8626904343	2	8	3	2	3	1	3	1	2	1	1	0	380,381		1	1	1,2,3,4,5	1,2
219	Avatar Singh	47	Ratan lal	9882653554	2	8	3	2	1	2,5,6		2	2				380,381	1,2,	1,3	3		
220	Balbir Singh,vipin singh,	58,40	Bangali bhag	8894989445	1	1	3	3	4	1	2	1	2	0	1	0	487,488,495	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2

221	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	5	1	1	2	1	0	1	0	487,488,495	1,2,	1 3	3		
222	Vyasa devi	85		8894649957	2	8	3	2	2	2	3	1	2	0	0	0	724/387, 389	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1
223	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	5	1	1	2	1	0	0	0	333,334,335,3 32,1068/583,8 04/241	1	1	3		
224	Nirajan kumar	31	Late kishori lal	9857134911	2	7	3	1	2	1,4	3	2	2				74/1, 132/1, 75,77,76	1,3,4	1	2	1,2, 3,4, 5	1 2
225	Avatar Singh	47	Ratan Lal	9882653554	2	8	3	2	3	1	1	1	3	0	0	0	96,98	1	1	3	1,2, 3,4, 5	4
226	Pratap chand	80	Bangali ram	8894989445	1	1	3	1	5	1,2	2	1	2	0	1	0	496,497	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 2
227	Roshan lal	86	Sbaru Ram	9816977395	1	1	3	3	3	1,5	2	1	1	0	1	0	861,862,873,8 74,878,979,88 0,882,871,872	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1
228	Ram Parsad	53	Madan Lal	9882947093	2	7	4	1	4	1,5	2	2	1	0	0	1	795/90, 93,282,283,28 4,285,286,287 ,419,420,820/ 421, 821/421, 422,423	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1
229	Indah jeet singh	47	Chudhu ram	8894880480	1	1	3	1	2	1	1	2	3	0	0	0	504	1	1	3	1,2, 3,4, 5	2
230	Raye singh,ratan lal , Balbir Singh	72	Let dulu ram	980571398	1	1	3	3	3	1,5	2	1	1	0	1	0	484,372/1,373 /1,374,375,37 7,398,410,413 ,422,423,423/ 1,424,424/1,4 25,427,428,42 9,433,435,436 ,437,441,442, 459,460,478,4 79,480,481,48 2,430,376	1,3,4	1	1	1,2, 3,4, 5	1 2
231	पूर्ण चंद्र	स्वर्ग वासी	बूटा राम	8219526447	2	8	3	3	4	1	3	1	2	0	1	0	805/106,808/1 08,836/370,84 9/370,840/370 ,843/384	1	1	3	1,2, 3,4, 5	
232	Late Joginder Kumar and more		Mangat ram	9816680674	2	8	3	2	3	1,2	3	1	2	0	1	0	382, 383	1	1	1	1,2, 3,4, 5	1

233	Madan lal	65	Vha	8291365811	1	1	3	3	1	2,5,6		2	2			382, 383	1,2,	1,3	3				
234	Kishan lal kishor chand	75	Jogu mastana	8916355002	2	8	3	1	2	1,3	1	2	2	0	0	49/2, 52/2		1	1	2	1,2,3,4,5	4	
235	Mansa ram	Late	Bakht ram	9817280160	1	1	3	3	3	1	3	2	2	0	1	0	378	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2	
236	Nand lal	56	Brijlal	9882542316	1	1	3	1	4	1	2	2	2	0	1	0	687,814,814/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	4	
237	Late Jai Chand		Boota	9418913031	2	8	3	1	4	1	3	1	2	1	1	1	806/107, 809/108, 841/370, 845/384		1	1	2	1,2,3,4,5	1
238	Ram lal	Late	Shalo	9805602497	1	1	3	2	2	1	1	1	3	0	0	0	456	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1	
239	Kishori lal	72	Believe ram	7807449837	1	1	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	848,858,855,857,875,876,877		1	1	3	1,2,3,4,5	2
240	Late Dulo		Baaju	8894049828	2	8	3	3	4	1,3	4	1	1	0	1	0	94,102		1	1	1	1,2,3,4,5	1
241	Munshi Ram	63	Sauru Ram	9816831360	2	7	3	3	1	1	1	1	2	0	1	0	94,102	1,2,	1,3	3			
242	अवतार सिंह	79	जसवंत सिंह	9816003256	2	8	3	1	4	3	2	2	2	0	0	1	715/378,712/379		1	1	3	1,2,3,4,5	
243	Let Rajendra kumar		Let ami chand	9418869943	1	1	4	1	2	3	2	2	1	0	1	0	1098/1030/1,1088/1030	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2	
244	Harnam	Late	Bhakt ram	7832961445	1	1	3	2	3	1	2	2	2	0	0	0	420	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2	
245	Suresh Kumar	55	Roshan Lal	9816229151	2	7	3	2	4	1	1	1	2	0	0	0	332,333,334,335,1068/583,804/241		1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
246	Bahadur Singh	70	Late Shri Roshan Lal	9805652729	2	7	3	2	4	1,5	2	1	1	0	1	0	869/411, 871/413, 415,350/1, 352/1, 353/1, 349,351,393,394	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1	
247	Gyan chand	59	Ratan chand	9816666522	1	1	1	3	5	1,5	3	2	2	0	1	0	573		1	1	3	1,2,3,4,5	1,2

248	Subhasana puri	65		9459720660	2	7	4	1	4	1,6	2	2	2			337		3	1,3	1	1,2,3,4,5	1	
249	Roshan Lal	68	Suaru Ram	9816932286	2	7	4	3	2	1,4,5	3	1	1	0	1	1	254,255,256,257	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2	
250	Pumila devi	80	Buggad	9805180018	1	1	3	3	4	1	3	1	1	0	1	0	506,513,516		1	1	1,2,3,4,5	1,2	
251	Mehar Singh	75	Kapoor chand	7560097410	1	1	3	3	3	1	2	1	2	0	0	0	403	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2	
252	Indu bala	50		9805953430	2	7	4	1	2	2,5,6	2	2	3			337		3	1,3	1	1,2,3,4,5	1	
253	Arvind Kumar	63	Arvind Soni	7807356255	2	7	4	1	5	3	1	2	2	0	0	0	1003/438		3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
254	Mahesa	60	Nika	9736865985	2	8	3	2	4	1,5	2	1	2	1	1	0	199		1	1	2	1,2,3,4,5	1
255	Ravinder sharma	40	Late subhash chand	9816979157	2	7	4	2	2	2,5,6	3	2	2	0	0	0	428		3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
256	Bahadur Singh	70	Late Shri Roshan Lal	9805652729	2	7	3	2	5	1,5	2	1	1	0	1	869/411,871/413,415,350/1,352/1,353/1,349,351,393,394	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1		
257	Vijay Kumar	43	Parkash Chand	8263911745	1	1	3	2	1	1,2	2	2	2	0	0	0	274,275,267/1,272/1,272,271/1,268/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	4	
258	Vinay kumar	73	Late Girdhari lal	9816377579	2	7	4	2	4	4	3	2	2	0	0	0	1003/438		4	1,3	2	1,2,3,4,5	2
259	Late Deena nath		Bhagwan das	8219873219	2	8	3	1	4	2	2	2	2	1	1	0	192, 193		1	1	3	1,2,3,4,5	1
260	Subash Chander	75	Bardu Ram	988260365	1	1	4	1	1	6	3	2	2	0	0	1	668	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1	
261	Raj Kumar	45	Rooplal	9816246657	2	8	3	2	3	1,5	2	1	2	1	1	0	240/1		1	1	1	1,2,3,4,5	1
262	Dhyan singh	73	Ram Das	9805654568	1	1	3	3	4	1,4	4	2	1	0	1	1	820,823,824,829		1	1	2	1,2,3,4,5	1,2

263	Jeewan Lal (Vinod Kumar)	68	Late Sri Sadhu Ram	9816188084	2	7	1	2	2	2,5,6	1	2	1	0	1	0	359/1,360,361,362	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
264	Puran chand	63	Boota(jaswant singh)	9816443684	2	7	3	2	4	1,5	3	1	2	0	0	1	1071/584,332,333,334,335,1068/583,800/240,804/241	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
265	Ramesh Chand	77-80	Let wardu	9816339770	1	1	3	3	2	1,2	2	1	2	0	0	0	812,813,815,821	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
266	Parkash Chand	77	Hansraj	9418593131	1	1	1	3	4	4	3	2	1	0	1	1	618	3	1,3	2	6	4
267	Nikka ram	80	Hans Raj	9629460086	1	3	1	2	1	2,5,6	2	2	2	0	0	0	614	3	1,3	2	6	1,2
268	Gurmit singh	42	Dhyan singh	9805654568	1	1	3	3	4	1,4	4	2	1	0	1	1	829	1	1	2	1,2,3,4,5	
269	Harnam Singh	54	Shri Birbal Singh	9736277986	2	7	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	1062/580,1065/582/2	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
270	Usha devi	45	Lab singh	8580727150	1	3	3	1	3	1,2	1	1	2	0	0	0	591/1,592/1,597/1,622/1,623,624,625,626,627	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
271	Dev singh	58	Bardu ram	9459754811	1	1	3	3	5	1,5	2	1	1	1	1	1	815,821	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
272	Chuni lal	85	Hans Raj	973607712	1	1	1	3	4	3	2	2	1	0	0	1	663	3	1,3	2	6	4
273	Sureshna devi	50	Late Ashok kumar	9882884887	2	7	3	1	2	2	1	2	3	0	0	0	794/90,91,130/1,1,2,3	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
274	Roshan lal	72	Lal singh	8679718077	1	1	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1105/705	1	1	2	1,2,3,4,5	2
275	Des Raj	59	Bhagat Ram	9816824729	1	3	1	2	3	1,2,5	2	1	1	0	0	1	658	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	4
276	Ramesh Chand	65	Jadu Ram	9816452497	2	7	3	2	3	2	1	2	2	0	0		5 to 89	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
277	Jogender Singh	70	Bhakt ram	9418122359	1	3	1	2	2	2,5,6	2	2	1	0	0	1	637	3	1	2	6	1,2

278	Surinder Singh	68	Bhagat Ram	8988609493	1	3	1	2	2	1,2	2	1	2	0	0	0	637/1	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1
279	Madan lal	64	Ratan Chand	9805322004	2	8	3	1	4	1	3	2	1	0	0	1	691/189	1	1,3	1	1,2,3,4,5	4
280	Naresh Kumar	54	Bhakt ram	9816495593	1	3	1	1	4	3	2	2	2	0	0	0	659	3	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
281	Mahindr Singh	72	Tek Chand	9783412092	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	1	0	986,987,988,989,990,991,1004,1088/1030,1089/1030/1	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
282	Sooram Chand	78	Kanthu Ram	9418070987	1	3	1	3	5	1,6	3	2	2	0	0	1	620	3	1,3	1	1,2,3,4,5	4
283	Har mahindar singh	83	JAlmal singh	8351872239	1	1	3	2	5	1	1	2	2	0	0	1	620	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
284	Kalyan singh	60	Ratan chand	9816326813	1	2	3	2	3	2	2	2	2	0	0	0	1661,1662,1663	1	2	1	1,2,3,4,5	4
285	Purni devi	93	Baldev Singh	6230390175	1	1	3	3	5	2,5,6	3	1	1	0	0	0	543,544,545,546,547,483,695,696	1,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
286	Raninder Singh	74	Shri Brij Lal	9418104246	2	7	3	3	5	1,4	3	1	2	0	1	1	869/411,871/413,415,946/405,414,395/1,417/1,350/1,352/1,353/1,349,351,393,394	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
287	Om prakash	68	Sher Singh	9817134005	1	3	1	3	3	2,5,6	3	2	1	0	1	1	634,635,638	3	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
288	Bhagwan singh	63	Ratan chand	8894504314	1	2	3	1	3	2	2	1	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	2	1	1,2,3,4,5	4
289	Tajindar singh	55	Deal singh	7807970102	1	1	3	1	2	1	1	2	2	0	0	0	610	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
290	Balbir Singh	83	Fatah singh	8894376056	1	1	3	2	5	4	3	2	1	0	1	1	613,619,654,655,659,660	1,2,3,4	2	2	1,2,3,4,5	1,2
291	Malkiyat singh	52	Ratan chand	9816292350	1	2	3	2	5	1	3	1	2	0	1	1	0-00-75	1	1	2	6	1,2
292	Tripta Devi	55	Ratan Chand	9817045173	1	2	3	3	3	6	3	1	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2

293	Bchitar	83	Lakhu	9805499413	1	2	3	2	4	6	3	2	2	0	1	0	1661,1662,1663	1	1	1	1,2,3,4,5	4
294	Vinod Bharia	63	Munshi Ram	9816688574	2	11	3	1	4	1	2	1	1	0	1	1	658/560	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
295	Uttam Chand	58	Late Sh. Makhan Ram	8893903667	1	3	3	3	1	2,5,6		2	2	0	0	0	94,102	1,2,	1,3	3		
296	Surender Bharadiya	61	Late Sh. Kehar Singh	9418052822	2	11	3	1	5	2,5,6	2	1	1	1	1	1	567, 572/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
297	Uttam Chand	58	Makhan lal	8894903667	1	3	1	2	3	1,5	2	2	1	0	1	1	638	3	1	1	1,2,3,4,5	1,2
298	Surjeet Singh	67	Makhan Ram	9780715917	1	3	1	3	4	2,5,6	3	2	1	0	1	1	635	3	1,3	2	6	1,2
299	Narendra Kumar	54	Sri tek Chand	9857045106	1	1	3	1	4	1,5	2	1	2	0	1	0	0-1-41	1	2	1	1,2,3,4,5	1,2
300	Virendar	60	Tek chand	9857045106	1	1	3	2	4	1,4	3	2	1	0	1	1	514,515	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2

301	Suresh Kumar	59	Makhan Ram	9805461584	1	3	1	1	4	6	2	2	1	0	1	1	633,634	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
302	Naresh kumar	55	Sh. Natho Ram	9418687969	1	3	4	2	4	3	2	1	1	0	1	1	911/612	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
303	Rajindar kumar	62	Tet chand	9857045106	1	1	3	2	4	1	4	2	1	0	1	1	645,508	1	2	2	1,2,3,4,5	2
304	Sanjiv Kumar	46	Megh raj	9871563977	1	1	3	1	4	3	1	2	2	0	1	0	503,678,680,682,518,528	1,2,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1,2
305	Heera lal	45	Amarnath	9816292246	1	3	4	1	4	2,5,6	2	2	2	0	0	0	613	3	1,3	3		
306	Ashok Kumar	60	Amarnath	9418654749	1	3	4	2	4	1,5	2	1	1	0	1	1	646	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
307	Madan Lal	60	Faltru ram	9417164159	1	1	3	2	5	4	2	1	2	0	0	0	501,505,529,530,517,363/2	1	2	1	1,2,3,4,5	1,2
308	Ramesh Kumar	55	Pritam Chand	9805172168	1	3	4	1	4	1,5	2	1	1	0	1	0	602/1	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
309	Dinesh Kumar	46	Shri pritam chand	962552964	1	3	4	1	3	4	3	2	1	0	1	1	605/1	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
310	Amar singh	83	Vishan das	6230043303	1	1	3	2	5	1,5	2	2	1	0	1	0	517	1	1	2	1,2,3,4,5	2
311	Urmila Devi	61	Sh. Bargu Ram ji	9816571456	1	3	4	4	2	1	1	1	1	0	0	0	671	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
312	Pankaj sharma	40	Shri intrdrajeet sharma	9459444391	1	3	4	1	3	2,5,6	2	1	1	0	1	0	670	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2

313	Jai Chand	58	Late. SH Naudha Ram	9418837673	1	3	2	1	4	1,4	3	2	1	0	1	1	726	1	1	1	1,2,3,4,5	4
314	Hari sngh	68	Vishan das	9417064359	1	1	3	3	5	1	4	2	1	0	0	1	517	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
315	Let Lithdu devi		Let Rikhiya	8894845185	1	1	3	3	3	1,4	3	2	2	0	1	0	502,511,512	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
316	Dharm chand	62	Madhaw ram	9805020636	1	1	3	2	4	4	4	1	1	0	1	1	526	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
317	Vipin kumar	44	Saphri ram	7807873448	1	1	3	2	2	1,2	1	1	2	0	0	0	491,492,493	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
318	Pratap chand	80	Bali ram	8894989445	1	1	3	3	5	1	2	1	2	1	1	0	493,494,485,486	1	1	1	1,2,3,4,5	2
319	Lekh Raj	65	Naudhar Ram	8094798381	1	3	2	1	5	1,5	2	1	1	0	1	0	726	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
320	Ashok Kumar	69	Sh. Bhagat Ram	9805592781	1	3	4	2	4	1,6	3	1	1	0	1	1	603/1	1	1	2	1,2,3,4,5	4
321	Subash Singh	65	Sh. Tel Singh	8219363148	1	3	4	1	5	1,4	4	2	1	0	1	1	724	1	1	1	1,2,3,4,5	4
322	Late. Sh joginder Singh	78	Late. Sh Tek Chand	9816004922	1	3	4	2	4	1,5	2	2	1	0	1	1	724	1	1	1	1,2,3,4,5	4
323	Rajesh	43	Late Shri karam Singh	9781935445	1	3	4	3	4	1	2	2	2	0	0	0	0-02-38	1	1	3	1,2,3,4,5	1,2
324	Surjeet Singh	59	Sh. Agya Chand	9459847822	1	3	4	2	5	6	4	2	2	0	1	1	705	1	1	2	1,2,3,4,5	4
325	Diljeet Singh	51	Sh. Agya Chand	7807516897	1	3	4	2	4	1,5	2	2	2	0	1	1	715	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
326	Sudarshan Devi	65	Late. Sh Fateh Singh	9805156511	1	3	4	1	3	1,5	2	1	1	0	1	0	722	1	1	2	1,2,3,4,5	4
327	Sulochna devi	70	Kehar Singh	9805581537	1	1	3	3	3	1,2	2	1	2	0	0	0	1104/705	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
328	Ravinder Kumar	57	Sh. Moti Singh	9459639531	1	3	4	1	4	1,6	3	1	1	0	1	0	569	1	1	2	1,2,3,4,5	4
329	Satish Kumar	68	Sh. Moti Singh	9418708312	1	3	4	2	4	1,6	2	1	1	0	1	0	721/1,722,723	1	1	2	1,2,3,4,5	1,2
330	Ram pyari	68	Late. Sh Ker Singh	9805267536	1	3	4	4	1	1	1	1	2	0	0	0	705	1	1	2	1,2,3,4,5	4
331	Let Svaru		Nadu	0000000	1	1	3	3	2	1,2	1	1	3	0	0		864,868	1	1	3	1,2,3,4,5	2
332	Janam Singh	77	Omkar Singh	9857952870	1	3	4	2	5	1,6	4	1	1	0	1	1	912/695	1	1	1	1,2,3,4,5	4
333	Jagdish Chand	65	Mango ram	9418354250	1	1	3	1	1	2	1	2	3	0	0	0	1220/1038	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2
334	Surindera Chauhan	65	Late. Omkar Singh	9816491489	1	3	4	4	2	6	3	2	1	0	0	0	702/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
335	Manu chauhan	37	Ramesh Chauhan	8988161613	1	3	4	2	5	2,5,6	3	2	1	0	1	1	702/1	1	1	3	6	1,2
336	Om Prakash	66	Sh. omkar Singh	9816307408	1	3	4	2	4	1	3	2	1	0	1	1	991/706	1	1	3	6	1,2
337	Desh raj	45	Sukriya ram	7807193261	1	1	3	3	4	1,2	2	1	2	0	1	0	645	1,3,4	1	3	1,2,3,4,5	1,2
338	Ashok Kumar	62	Let Dhani ram ji	7807387031	1	1	3	2	4	1,2	1	1	1	0	0	1	866	1,3,4	1	2	1,2,3,4,5	1,2

339	Surindar kumar	69	Dhani ram	7807352351	1	1	3	3	4	1,5	2	1	2	0	0	1	868	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
340	Suresh Kumar	65	Sh. Udham Singh	9816276990	1	3	4	2	2	1,6	2	2	1	0	1	0	566	1	1	1	1,2,3,4,5	4
341	Let Ajit Singh		Curu ram	8091365811	1	1	3	3	4	2	2	1	1	0	1	0	684	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
342	Chanchlo Devi	57	Late.Sh Nikka Ram	8628038232	1	3	4	1	2	4	3	2	1	0	0	0	603/1	1	1	1	1,2,3,4,5	4
343	Vikul singh	49	Virendar Singh	7018709945	2	12	4	2	5	3	6	2	1	0	1	1	270,271,275,1479/799,275,1476/79, 808/1	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
344	Sher Singh	74	Shakti Chand	9418033999	2	12	4	3	4	3	6	1	1	0	1	1	297,300,270,271,275	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
345	Prakash Chand	75	Pramesh Bari Das	9816496222	2	12	4	3	3	1	1	1	2	1	1	0	1594/1502	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
346	Pankaj Nijhol	39	Prem Prakesh	9816632295	2	12	4	1	5	3	3	2	2	0	1	1	1470/662,1465/660,1467/661,1551/1463	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
347	Nishi talwar	64	Vizir chand	9817150398	2	12	4	3	5	3	2	2	1	0	1	1	1389/340, 1388/338	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
348	Surinder pal	60	Late Roshan lal	9459531230	2	12	3	3	5	1,3	3	1	1	0	1	1	1503/62, 63,70	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
349	Arvind Pathania	45	Ashok Singh Pathania	9816042249	2	12	4	2	5	3	6	1	2	0	1	1	748,1934/1473/741,1933/1473/741, 744	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
350	Davinder Kohli	56	Late Shri Mohan Lal Kohli	9816104444	2	12	4	3	5	3	6	2	1	0	1	1	290,295,296	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
351	Prakash Chand etc	75	Pramesh Bari Das	9816496222	2	12	4	3	3	1	1	1	2	1	1	0	56, 57, 49/1, 113, 119, 120, 126/1, 127, 128, 130, 131, 133, 137, 138, 1360, 140, 141, 1362/142, 60, 61, 59	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
352	Gurmail Singh	65	Late Kushal Singh	8091044110	2	12	4	2	4	1,3	4	1	2	0	1	1	277,278,279,280,281,282,283,	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
353	Mansha Ram Chauhan	76	Late sh. Bajiru Ram	9418079441	2	12	4	2	5	3	4	2	1	0	1	1	1389/340	1	1	1	1,2,3,4,5	1,2
354	Santosh sethi	71	Late diwan chand	7018631789	2	12	4	1	5	3	3	2	1	0	0	1	1422/1355, 1396/425	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
355	Upender Singh	74	Late Shri B. C. Katoch	7018309330	2	12	3	3	1	2,5,6	1	1	3				94,102	1,2,	1,3	3		
356	Devinder Singh	58	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	4	4	1,4	3	2	3	0	1	0	121	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
357	Upender Singh	74	Late Shri B. C Katoch	7018309330	2	12	4	2	5	2,5,6	3	2	2	0	1	1	301	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
358	Mahesh chander dhawan	59	Tulsi ram dhawan	9418064646	2	12	4	1	4	3	3	2	2	0	1	1	1608/405, 1395/425	1,2,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
359	Gurmail Singh	74	Late Kushal Singh	8091044110	2	12	4	2	4	1,3	6	1	2	0	1	1	277,278,279,280,281,282,283	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
360	Sudarshna Devi	80	Late Shri Dalku Ram	9805393350	2	12	4	3	4	1,5	1	1	2	0	0	0	104	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	2
361	Suresh Kumar	69	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	2	5	4	4	2	2	0	1	1	122	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1

362	Ram prakesh	82	Tulsi ram	9988553859	2	12	4	3	5	4	3	2	2	0	1	2	1388/1338, 1388/336	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
363	Lajya Devi	57		8872990420	2	12	4	2	5	1,3	4	2	2	0	1	1	1591/1497	1,2,3 ,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
364	Suresh Kumar	69	Sansar Chand	9459146409	2	12	4	2	5	4	4	2	2	0	1	1	122	3	1,3	1	1,2,3,4,5	1
365	Kultar Thakur	39	Sh. Purushotam Singh	9736085555	2	12	4	2	4	3	6	2	1	0	1	1	1493/818, 267, 1441/263,1444/262, 312, 313, 1485/816	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
366	Sanjay Kumar	48	Mehar Chand	9817601796	2	12	4	1	5	1,5	2	1	1	0	1	0	76,1819/1247, 1249	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1
367	Varinder singh	51	Bhikam singh	6230278842	2	12	4	1	2	4	3	2	2	0	0	1	769/770	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
368	Anuj Mehta etc.	43	Siri Ram Mehta	9418223399	2	12	4	3	4	3	6	2	1	0	1	1	1407/647,1398/647, 1406/647,1399/647,	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
369	Padam veer	70	Tulsi ram	9988553859	2	12	4	1	5	4	4	2	2	0	0	1	1388/338, 1388/336	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1
370	Sai Das	90	Amar Nath	9015227276	2	12	4	3	5	1,3	6	2	1	0	1	1	1536/544, 1535/544	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
371	Swaran kanta	75	Late krishan gopal	9805378343	2	12	4	4	5	3	2	2	1		2	4	1470/662,1954/1862/1 553/1464/2,1953/1862 /1553/1464	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
372	Jitender Kumar	42	Late Shri Agya Ram	8894094188	2	12	3	1	2	1	3	2	2	0	1	0	458,463,572,575,576, 608,648,649,650	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
373	Anuj Mehta	43	Siri Ram Mehta	9418223399	2	12	4	3	4	3	6	2	1	0	1	1	1399/647,1406/647, 1398/647, 1407/647	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
374	Late Jagdev singh		Late mali ran	9736100497	2	12	3	1	5	1,3	6	1	1	0	1	1	1884/1448/403/1	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
375	Ravinder kumar	62	Late kishan chand	9418051323	2	12	4	2	5	3	3	2	1		0	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
376	Late Bhagwan das		Late Dhani Ram	9418105535	2	12	4	3	5	3	6	1	1	0	1	1	0-06-09, 0-01-92, 0- 01-68, 0-01-26	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
377	Shilakha Saini	28	Shri Inder Pal	8580678206	2	12	4	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	1388/338	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
378	Pawan kumar(aawadi deh)	65	Late krishan chand	8219902544	2	12	4	1	4	3	3	2	2	0	0	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
379	Parameshwari Das Mehta	92	Late Dhani Ram Mehta	9418472448	2	12	4	2	5	3	6	1	1	0	1	1	1402/647,1403/647, 1398/647,1407/647	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
380	Saravjit Kour	26	Late Dalbir Singh	8219257134	2	12	3	2	3	3	4	2	2	0	1	1	1223	1,2,3 ,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
381	Harish Saini	36	Shri Dev Raj	9816156392	2	12	4	2	5	1,3	4	2	1	0	1	1	339	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
382	Naran das	70	Lakshman das	9816890126	2	12	4	3	2	1,5	3	2	2	0	1	1	100,102,103	1,3,4	2	1	1,2,3,4,5	1
383	Sunil Kupoor	45	Sh. Bharat Bhushan	9816660673	2	12	4	2	3	3	6	2	1	0	1	1	728	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2
384	Jaspal Sharma	57	Late Shri Amin Chand Sharma	9459288111	2	12	4	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	1358/87, 326, 1386/338/1	1,2,3 ,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
385	Kanta devi	76	Late Desh raj (Son of-basant ram)	9418968182	2	12	4	3	5	4	2	2	1	0	2	0	1421/1355	1,3,4	1,3	2	1,2,3,4,5	1,2

386	Harish Kapoor	67	Kishan Chand	9882384830	2	12	4	1	4	3	6	2	1	0	1	1	1421/1355	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
387	Neeru Mahajan	52	Kuldeep Ram	8219468010	2	12	4	1	5	3	6	2	1	0	1	1	341	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
388	Sunny Kohli	38	Late Sh. Praveen Kohli	9816884204	2	12	4	2	3	3	4	2	1	0	1	1	728	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
389	Nishi talwar	64	Vizir chand	9817150398	2	12	3	3	1	2,5,6	1	1	2				94,102	1,2,	1,3	3		
390	Bir Singh	80	Shahjada Ram	9418068116	2	12	3	3	4	4	6	2	1	0	1	1	1394/425	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
391	Pawan kumar	62	Ratan Chand	8219468010	2	12	4	2	5	3	6	2	1	0	0	1	329	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
392	Roshni Devi	78	Late Shri Denanath Sharma	9459288111	2	12	4	3	4	1,3	6	2	1	0	1	1	1537/544	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
393	Roopam	27	Pardeep Sabharwal	9882418180	2	12	4	1	5	3	6	1	1	0	1	1	728/1	1,3,4	1,3	1	1,2,3,4,5	1,2
394	Ankush choudary	35	Ramsurap	7018416574	2	12	3	3	4	4	2	2	2	0	0	0	701	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
395	Pritam Chand	74	Late Birbal Kohli	9418460184	2	12	3	3	4	2,5,6	6	1	1	1	1	1	465, 624, 621,630, 630/1, 632, 634, 635, 466, 625,464, 631, 633, 636,651,	1,2,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1,2
396	Manohar Lal	58	Shri Sarri Ram	8894115742	2	12	3	3	4	1,4,5	3	1	1	0	1	1	0-05-15	1	1	3		
397	Vikash Sharma	53	Kishan dev Sharma	7011052890	2	12	4	1	5	3	3	2	1	0	0	0	523	4	1,3	1	1,2,3,4,5	2
398	Padam Veer	71	Tulshi Ram	9882021021	2	12	4	1	5	2,6	4	2	2		1	1388/338	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1	
399	Ram praksh	82	Tulshi ram	9988553859	2	12	4	3	5	4	6	2	2		1	1	1338/338, 336	1,3,4	1	1	1,2,3,4,5	1

कोड :

1. तहसील का नाम : शाहपुर-1, कांगड़ा-2
2. ग्राम का नाम : रछियालू -1, भड़ोत -2, कियोड़ी -3, जुगेहड़-4, भेडी-5, ढुगियारी खास-6, सनौर-7, बल्ला-8, सहौड़ा-9, मुंगरेहाड-10, बाग-11, गगल खास-12, बरसवालकड-13, झिकली इच्छी-14
3. परिवार का प्रकार : एकल परिवार (2-4 सदस्य), मध्यम परिवार (5-7 सदस्य)-2, संयुक्त परिवार (7 सदस्य से अधिक)-3 स्वयं-4
4. जाति : अनुसूचित जाति/जनजाति-1, अनुसूचित जनजाति-2 अन्य पिछड़ी जातिया-3, सामान्य-4
5. शिक्षा : हाईस्कूल से कम-1, हाईस्कूल तक-2, इन्टरमीडिएट -3, स्नातक-4, परास्नातक-5
6. परिवारिक आय: 1 लाख से कम-1, 1 लाख से 2.5 लाख तक-2, 2.5 लाख से 5 लाख तक-3, 5 लाख से 10 लाख तक-4, 10 लाख से ज्यादा -5,
7. व्यवसाय : कृषि-1, कृषि एवं गैर कृषि मजदूर-2, व्यवसाय एवं दुकान-3, सरकारी नौकरी-4, गैर सरकारी नौकरी-5, अन्य-6
8. घर का प्रकार : बहुमंजिल पक्का-1, एक तल का पक्का-2, मिश्रित-3, कच्चा-4
9. भूमि अधिग्रहण का प्रकार: कृषि भूमि-1, गैर कृषि भूमि-2, आवासिये-3, व्यापारिक भूमि-4
10. फसल: बहुफसल-1, अनाज (धान, गेहू, आदि)-2, कंछ नहीं-3
11. अधिग्रहण भूमि का वार्षिक विक्रय: 50 हजार से कम-1, एक लाख से कम-2, दो लाख से कम-3, पाच लाख से कम-4, पाच लाख से अधिक-5
12. हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के बारे में आपका विचार: अच्छा-1, खराब-2, कह नहीं सकते-3

13. भूमि अधिग्रहण में आपकी सहमती हैं: हाँ-1, नहीं-2, कह नहीं सकते-3
14. भूमि अधिग्रहण में आपकी सहमती नहीं होने का कारण : पुश्तैनी जमीन,-1, आजीविका का नुकसान-2,भूमि का सर्किल रेट कम-3, व्यावसायिक नुकसान-4, कृषि भूमि का नुकसान-5, वैकल्पिक भूमि उपलब्ध-6, विस्थापन के कारण-7,
15. प्रतिकर के लिए वरीयता/शर्तें : प्रतिकर बाजार दर पर होना चाहिए -1, जमीन के बदले जमीन -2, परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी -3, आवास दिया जाए -4 जमीन नहीं देना चाहते-5, अनिर्णीत /अभी सोचा नहीं-6
15. क्या आप भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं : आवासीय-1, व्यावसायिक-2, दोनों-3, लागू नहीं-4

एस आर एशिया
चौथी मंजिल, सीएस -25 और 26, अंसल प्लाजा मॉल, सेक्टर -1,
वैशाली, गाजियाबाद, यूपी -201010 | भारत

Ph. 0120 410 3023 Email: srsiaproject@gmail.com
www.sr-asia.org

